सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

01 मार्च, 2021

सप्तदश विधान सभा | सोमवार, तिथि 01 मार्च, 2021 ई0
द्वितीय सत्र | 10 फाल्गुन, 1942(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय- 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, सरकार ने पिछले समय में 19 लाख नौकरी देने का वादा किया था....

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पूरे बिहार के युवा आज सड़कों पर उतरे हैं । हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहेंगे...

अध्यक्ष : अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री सत्यदेव राम : 19 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए कौन-सी कार्रवाई की जा रही है ?

अध्यक्ष : श्री राज कुमार सिंह । मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, आपकी ओर से सदन में उनको बधाई....

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : मुख्यमंत्री जी आवेंगे तब, रहेंगे तब बधाई दीजिएगा ।

अध्यक्ष : उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं ।

प्रश्नोत्तर-काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 20 (श्री राज कुमार सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0-9706 दिनांक-20.07.2018 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति दी जा रही थी । इसी बीच एम0जे0सी0 संख्या-2847/2017, अरविन्द कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक- 01.04.2019 को आदेश पारित करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उपर्युक्त संकल्प के आधार पर दी जाने वाली प्रोन्नति को माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना माना गया । फलतः सामान्य प्रशासन विभाग के ओदश संख्या-5066 दिनांक-11.04.2019 द्वारा राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति एवं प्रोन्नति की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है । पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रोन्नति से संबंधित सभी सदृश्य मामलों की

सुनवाई करते हुए दिनांक-15.04.2019 को स्टेटस-को (यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश) आदेश पारित किया गया है, इसी कारण प्रोन्नति बाधित है ।

श्री राज कुमार सिंह : महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 11.04.2019 का आदेश निकाला गया, क्या उस आदेश की एक प्रतिलिपि पटल पर रखी जा सकती है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, जो उत्तर मैंने पढ़ा, वह तो सदन के पटल पर आयेगा ही ।

श्री राज कुमार सिंह : मैं आदेश की प्रति की बात कर रहा हूँ, न्यायालय के आदेश की ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : मैंने जो न्यायालय के आदेश का जिक्र किया, यह रेकर्ड की बात है न, कोई मौखिक थोड़े ही बोल रहे हैं ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मेरा एक सप्लीमेंट्री प्रश्न है । न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया, जिसकी बात की जा रही है, वह कंटेम्प्ट को स्टेटस-को के बारे में किया गया था, न कि प्रोन्नति रोकने के बारे में । यदि संकल्प 2016 में सरकार द्वारा दिया गया, उस आधार पर सरकार क्यों नहीं प्रोन्नति देना चाहती है ? महोदय, तीन वर्षों से प्रोन्नति रूकी हुई है, विभिन्न राज्यकर्मियों की जो स्थिति है, कहीं ड्राईंग डिस्बर्सल ऑथोरिटी का प्रोब्लेम है, कहीं डिमोटिवेशन है, हम पैसा फिर बाद में एरियर जोड़कर देंगे ही, प्रोन्नति पूर्व तिथि से घोषित करेंगे ।

सरकार क्यों नहीं इसका अध्ययन कराकर 2016 के संकल्प के आधार पर ही, जब बाद के संकल्प को अवमानना माना गया तो पहले के पहले के संकल्प के आधार पर उसको करें । सरकार को कोर्ट के आदेश को निश्चित रूप से पटल पर रखना चाहिए क्योंकि हमारी समझ से इसका इंडरपिटीशन गलत किया गया है । इसलिए उसको निश्चित रूप से पटल पर रखा जाना चाहिए और उसका फिर से विश्लेषण कराया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 21 (श्री अजीत शर्मा)

(लिखित उत्तर)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । मौजूदा हालात के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा बुनकरों को कार्यशील पूँजी दिये जाने हेतु राज्य योजना मद से वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यरत बुनकरों के कल्याणार्थ कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने की योजना प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है । पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब यह है कि योजना प्रक्रियाधीन है । महोदय, जब बुनकर उद्योग पूरी तरह बंद हो जायेगा तब सरकार सहायता देगी क्या ? मैंने विशेष पैकेज की बात की है । सरकार ने कार्यशील पूँजी की बात की है ।

मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि कार्यशील पूँजी किस शर्त्त पर दी जायेगी तथा कबतक ? तिथि बता दें ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय अजीत शर्मा जी ने जो प्रश्न पूछा है, उसपर जब मैंने जवाब दिया था उसके बाद ही, 26 तारीख को ही उसपर आदेश हो गया है, करीब 71 लाख 20 हजार रू0, यानी जो बुनकर हैं 712, उनको 10 हजार रु0 अनुदान दिया जा रहा है । उसमें भी बहुत से लोग हैं जिनको दिक्कतें बहुत हैं, कोरोना-काल में जितनी मदद सरकार से हुई है, वह किया गया है लेकिन बहुत से बुनकर हैं जिनके ऑर्डर कैंसिल हुए, उनको बहुत सारी दिक्कत और दुश्वारी हुई तो 10 हजार रु0 अनुदान दे दिया गया है । कल-परसों तक उनके एकाउंट में यह पैसा पहुँच जायेगा ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-577 (श्री अखतरूल ईमान)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में बिहार संवर्ग के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा मे 359 पद स्वीकृत हैं । इन पदों में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिये सुरक्षित 78 पद, प्रशिक्षण सुरक्षित 6 पद, राज्य प्रतिनियुक्ति सुरक्षित 43 पद, कनीय स्तर के 32 पद तथा प्रोन्नति कोटा के 109 पद भी सम्मिलित हैं।

सम्प्रति राज्य में भा0प्र0से0 के 202 पदाधिकारी कार्यरत हैं । उनमें से शीर्ष वेतनमान (मुख्य सचिव स्तर) में 11 पदाधिकारी, अधिसमय के ऊपर वेतनमान (प्रधान सचिव स्तर) में 15, अधिसमय वेतनमान (सचिव स्तर) में 27, अधिसमय वेतनमान से नीचे के वेतनमान (विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर) में 118, कनीय पद पर 31 हैं ।

इसके अतिरिक्त, भा0प्र0से0 के विभिन्न स्तरों के 31 पदाधिकारी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं ।

2- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में 14 भा0प्र0से0 पदाधिकारियों को एक से अधिक विभागों के अतिरिक्त प्रभार प्रदत्त हैं । राज्य में सम्प्रति पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारी विधि-व्यवस्था का संधारण एवं विकासात्मक कार्यों का निष्पादन भली-भाँति कर रहे हैं ।

3- उपर्युक्त खंडों के आलोक में उल्लेखनीय है कि सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भारत सरकार द्वारा तय नीति के तहत विभिन्न राज्य/केन्द्र शासित संवर्गों के बीच अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों का आवंटन किया जाता है । सिविल सेवा परीक्षा 2020 के आधार पर भा0प्र0से0 के 54 पदाधिकारियों को आवंटित करने का अनुरोध भारत सरकार से किया गया है । इसके अतिरिक्त, प्रोन्नति कोटा के विरूद्ध चयन वर्ष 2018 के 22, चयन वर्ष 2019 के 15 तथा चयन वर्ष 2020 के 16 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है । पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, पूरक ही पूछ रहा हूँ सर । मैं माननीय मंत्री जी का बड़ा आभारी हूँ कि बड़े ही विस्तार से और बहुत ही स्पष्ट इन्होंने जवाब दिया है कि बिहार में 359 आई0ए0एस0 अधिकारी होने चाहिए थे जिसमें 202 यहाँ पर कार्यरत हैं यानी 128 लोगों की यहाँ पर कमी है ।

मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि आई0ए0एस0 अधिकारियों की कमी होने के नतीजे में हमारी विकास में बड़ी रूकावट है और हम अगर देश के दूसरे राज्यों में देखते हैं तो तमिलनाडु में 376 का स्ट्रेंथ है और 300 कार्यरत हैं, वेस्ट बंगाल में 389 का स्ट्रेंथ है 307 कार्यरत हैं, बिहार में 359 में सिर्फ 202 कार्यरत हैं, लगभग 40 परसेंट से ज्यादा पदाधिकारी हमारे कम हैं उससे बिहार के विकास को बड़ा नुकसान हो रहा है । इन पदाधिकारियों के पदस्थापन के लिए केन्द्र को कब खत लिखा गया और केन्द्र से अगर हमारे हिस्से के आई0ए0एस0 ऑफिसर नहीं मिल पा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, खंड-3 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि राज्य सरकार ने भारत सरकार को लिखा है और मैंने जिक्र किया है कि तीन परीक्षाओं का परिणाम आने के बाद भारत सरकार इसपर कार्रवाई करेगी । यह इसमें उद्धृत है ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि बिहार सरकार विकास के बारे में रातो-दिन प्रयासरत है और यह बात स्पष्ट है कि हमारे एक-एक सेक्रेटरी पर कई-कई विभागों के प्रभार हैं तीन-चार डिपार्टमेंट का । जाहिर है कि जिस पदाधिकारी के पास अतिरिक्त प्रभार होंगे तो वे अपना काम सुचारू ढंग से नहीं कर पायेंगे । तो आखिर यह विषमता तो हमारे साथ है, अगर आई0ए0एस0 ऑफिसर्स की कमी है तो देश के स्तर पर राष्ट्रीय मसला है, हमारे ही हिस्से में कम है इसका क्या कारण है जबकि बिहार सरकार और केन्द्र सरकार में रिश्ता बड़ा अच्छा भी है । मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि कमी का कारण क्या है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, लगता है कि माननीय सदस्य पढ़ नहीं रहे हैं । खंड-3 के उत्तर को पूर्णतः पढ़ें । स्पष्ट है स्थिति ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं पूरे तौर पर पढ़कर भी आया हूँ और समझ कर भी आया हूँ । माननीय मंत्री महोदय का मैं बड़ा आभारी हूँ, हमारे गार्जियन हैं, पढ़ने के लिए कहते हैं तो मैं फिर एक बार पढ़ लूँगा लेकिन जो कुछ उन्होंने अपना होमवर्क किया है, मैं कह रहा हूँ कि आखिर में तुलनात्मक बात पेश की, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, यू0पी0, अगर इनको देखें तो उतनी कमी वहाँ नहीं है, हमारे यहाँ क्यों रही ? 11 पदाधिकारी तकरीबन मैं समझता हूँ फिर इस साल जिनको रिटायर होना है, तो इन पदाधिकारियों की कमी में बिहार के विकास का ख्वाब कैसे पूरा होगा ? मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि कमी का कारण क्या है ? दूसरे स्टेट में है लेकिन हमारे स्टेट में इतनी कमी क्यों है ?

अध्यक्ष : उत्तर स्पष्ट है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : पढ़िये तो, इसमें लिखा हुआ है कि 54 पदाधिकारियों की कमी है और 31 पदाधिकारी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी हैं । सिविल सेवा परीक्षा 2020 के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 54 अधिकारियों को आवंटित करने का अनुरोध भारत सरकार से किया गया है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय प्रोन्नति कोटा के विरूद्ध चयन वर्ष 2018 के 22, चयन वर्ष 2019 के 15 तथा चयन वर्ष 2020 के 16 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । बीच में कोरोना के चलते परीक्षा में भी व्यवधान हुआ । जल्द ही वह पूरा हो जायेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 578 (श्री ललित कुमार यादव)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1 एवं 2 - वस्तुस्थिति यह है कि पुलिस महानिदेशक कार्यालय में प्राप्त होने वाले सामान्य प्रकृति के परिवाद-पत्रों को विषय से संबंधित प्रभाग को पृष्ठांकित किया जाता है । जिन परिवाद-पत्रों में पुलिस महानिदेशक स्तर से कार्रवाई अपेक्षित होती है उसे संबंधित प्रभाग के प्रभारी पदाधिकारी को नियमानुकूल कार्रवाई करने हेतु पृष्ठांकित किया जाता है ।

पुलिस महानिदेशक कार्यालय के डी0आर0 नम्बर 7981/डी0जी0पी0, दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 द्वारा आवेदन-पत्र को पुलिस महानिरीक्षक, मद्य निषेध को भेजा गया ।

मद्य निषेध प्रभाग में त्रुटिपूर्ण टिप्पणी अंकित होने के कारण उक्त पत्र को पुलिस अधीक्षक (मद्य निषेध) के पत्र संख्या 118, दिनांक 6 जनवरी, 2021 के द्वारा सभी जिलों को प्रेषित कर दिया गया । भूल पाये जाने पर उक्त पत्र को पत्र संख्या 385/मद्य निषेध, दिनांक 19 जनवरी, 2021 के द्वारा निरस्त किया गया है ।

पुलिस महानिदेशक कार्यालय से दबाव देकर पुलिस अधीक्षक, मद्य निषेध के पत्र को निरस्त कराने का कथन सत्य नहीं है ।

3- उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है । उत्पाद कर्मियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों एवं सूचनाओं के सत्यापन तथा जॉंचोपरान्त अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जाती है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है । पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सरकार का उत्तर अपने-आप में प्रश्न है । महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सरकार के जवाब में बतायें कि त्रुटिपूर्ण टिप्पणी अंकित होने के कारण निरस्त किया है, जो कि मेरा प्रश्न था मंत्री जी से, महोदय, पत्रांक 118 दिनांक 6 जनवरी, 2021 में कौन-सी बात त्रुटिपूर्ण है जो माननीय मंत्री जी जवाब में लिखे हैं, कृपया बता दें । पत्र आपके पास मंत्री जी है तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास वह पत्र है, मैं दूँ आपको । इसमें क्या त्रुटिपूर्ण थी जिसके कारण इस पत्र को निरस्त किया गया ?

टर्न-2/आजाद/01.03.2021

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, उत्तर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि '' वस्तुस्थिति यह है कि पुलिस महानिदेशक कार्यालय में प्राप्त होन वाले सामान्य प्रकृति के परिवाद-पत्रों को विषय से संबंधित प्रभाग को पृष्ठांकित किया जाता है । जिन परिवाद-पत्रों में पुलिस महानिदेशक स्तर से कार्रवाई अपेक्षित होती है उसे संबंधित प्रभाग के प्रभारी पदाधिकारी को नियमानुकूल कार्रवाई करने हेतु पृष्ठांकित'' महोदय जिसपर ऐलिगेशन होता है उसी के खिलाफ में जॉंच की कार्रवाई होती है । सभी के विरूद्ध में जिसपर कोई आरोप नहीं है उसपर कोई डायरेक्शन भूलवश त्रुटिपूर्ण हो गई तो उसी को संशोधित करके निरस्त किया गया है और कुछ नहीं है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सरकार ने स्पष्ट जवाब दिया है कि उत्पादकर्मियों निरीक्षक, दारोगा एवं सिपाही के परिवाद-पत्र पर जॉंच होती है, यह अच्छी बात है । यह संबंधित परिवाद में उत्पाद विभाग के कर्मियों की सम्पत्ति की जॉंच, आरोप सरकार इसकी क्यों नहीं जॉंच कराना चाहती है, यदि उस पत्र में था तो निरस्त क्यों किया गया, इसमें तो सिर्फ है कि सिपाही, दारोगा, अवर निरीक्षक इनकी सम्पत्ति की अगर अवैध कमाई है तो उसकी जॉंच होगी, इसमें एस0पी0 के पत्र में कौन सी ऐसी बात है जिसको डी0जी0पी0 ने निरस्त कर दिया, इसका तो जवाब नहीं आ रहा है?

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है, पूरक पूछिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, उसमें सम्पत्ति की जॉच करने का कोई नियम नहीं है । आरोप लगता है कि इन्होंने अनधिकृत सम्पत्ति की कमाई की है, अगर इसपर मुकदमा होगा तो इसकी जॉच होगी । सामान्य परिस्थिति में ऐसा होता नहीं है।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सरकार जीरो टोलरेंस की बात करती है, इसमें यदि अवैध कमाई के संबंध में एस0पी0 ने कोई पत्र जारी किया ....

अध्यक्ष : जवाब स्पष्ट दे दिये हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : कहां जवाब स्पष्ट है महोदय ।

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है, आपका लास्ट तीसरा पूरक हो रहा है ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सरकार जीरो टोलरेंस की बात करती है और इसमें अवैध कमाई पर उसकी जॉच का सवाल है तो सरकार जॉच से क्यों भाग रही है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : आप माननीय सदस्य बाईनेम अवैध कमाई का आरोप लगाईए, जॉच होगी । ऐसे ही सबके जॉच नहीं होगी, यह नियम कभी नहीं रहा है ।

अध्यक्ष : अब तो क्लीयर कह रहे हैं कि आप बाईनेम दीजिए, उसको देखवा लेंगे ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : जिस पर कोई आरोप नहीं है, उसको भी पुलिस गिरफ्तार करे, जॉच करे । ऐसा कभी नहीं होता है, कानून .....

श्री ललित कुमार यादव : यह हमलोगों का पत्र नहीं है, सरकार का पत्र है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : आपको कानून से कोई मतलब नहीं है । हम मांग करें कि विधायक की सम्पत्ति की जॉच करें तो यह होगा क्या ? आरोप लगेगा तभी किसी की जॉच होगी । बिना आरोप के किसी पर जॉच होती नहीं है, नियम नहीं है । यह कंस्टीच्यूशन में प्रोविजन ही नहीं है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : आपका तीन पूरक हो गया, अब बैठ जाईए । माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता ।

तारांकित प्रश्न सं0-579(श्री निरंजन कुमार मेहता)

अध्यक्ष : उत्तर ऑनलाईन उपलब्ध है ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : नहीं है सर ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री,

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्वालपाड़ा प्रखंड के पीर नगर पंचायत के ललीया गांव जो कि सहरसा जिला, मधेपुरा जिला के बॉर्डर पर अवस्थित है । उक्त गांव की ग्वालपारा थाना से दूरी 10 कि0मी0 है । यह एन0एच0 106 पर स्थित है । उक्त थाना से ललीया गांव जाने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है ।

विगत 5 वर्षों में 2016 से 2020 में चोरी की 03, हत्या के 01 कांड प्रतिवेदित हुए हैं, जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र में अपराध एवं विधि व्यवस्था नियंत्रण में है । थाना स्तर से सघन गश्ती द्वारा सतत् निगरानी रखी जा रही है ।

तत्काल ललीया गांव में पुलिस चौकी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय हमलोगों के गार्जियन हैं, हमारे क्षेत्र से हैं । एक आग्रह करना चाहेंगे और हम सही बताते हैं कि ललीया गांव सहरसा और मधेपुरा जिला के बॉर्डर पर है, ठीक है । लेकिन एक परिवार में दो वर्ष पहले दो हत्या हुई है । होता क्या है वहां सोनवर्षा विधान सभा और बिहारीगंज विधान सभा का बोर्डर है और हत्या करता है और वह सोनवर्षा चला जाता है और हमने आग्रह करके एस0पी0 साहेब को बोलकर के चार चौकीदार की वहां पर नियुक्ति करायी थी ललीया गांव में और वहां चौकीदार को भी हटा दिया जाता है तो कम से कम चौकीदार का डिपुटेशन लगातार रहना चाहिए क्योंकि वहां पर लोग भयभीत रहते हैं । इसलिए माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि वहां पर कुछ व्यवस्था करा दीजिए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मनोज मंजिल ।

तारांकित प्रश्न सं0-580 (श्री मनोज मंजिल)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिलान्तर्गत अगियांव प्रखंड में झवनाढ़ी ग्राम नहीं है । अगियांव प्रखंड में नाढ़ी एवं पवना ग्राम अवस्थित है:-

ग्राम-पवना, मौजा-अरेला, थाना सं0-401, खाता सं0-357, खेसरा-959/1807, रकवा-0.86 एकड़ किस्म जमीन कब्रिस्तान (अनाबाद सर्वसाधारण) की घेराबंदी पूर्ण है ।

ग्राम-पवना, मौजा- अरेला, थाना नं0-401, खाता-357, खेसरा-786, रकवा-0. 21 एकड़ किस्म जमीन अन्य का उपयोग कर्बला के रूप में होता है ।

ग्राम-नाढ़ी, मौजा-नाढ़ी खाता सं0-703, खेसरा-1444, रकवा-0.23 एकड़ भूमि पर अवस्थित कब्रिस्तानों की घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची के क्रमांक 46 पर अंकित है ।

उक्त प्राथमिकता सूची के क्रमांक-28 तक के कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण हो चुकी है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका, 2014 की कंडिका 6(34) में भी कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना को शामिल किया गया है ।

माननीय विधायक, उन्हें प्राप्त निधि से भी प्राथमिकता सूची में शामिल कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा सकते हैं ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, ...

अध्यक्ष : अब तो इतना स्पष्ट जवाब दिये ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, उस ब्लॉक में दो का मैं नाम दिया हूँ पार्टिकुलर, लेकिन उस ब्लॉक में मुरादपुर दो-तीन गांव हैं जहां पर कब्रिस्तान की घेराबंदी जरूरी है .....

अध्यक्ष : उसके लिए अलग से प्रश्न लाइयेगा । माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, पवना का जो कब्रिस्तान की घेराबंदी का जवाब दिया है, वह गलत है । मैं नाढ़ी गांव लिखा हूँ, जमुनाढाढ़ी नहीं, प्रिन्ट करने में गड़बड़ी हुई होगी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब बैठ जाइए, अब आगे बढ़ गया ।

तारांकित प्रश्न सं0-581 (श्री सुधाकर सिंह)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिलास्तर पर प्राथमिकता सूची के क्रमांक-37 पर है ।

उक्त कब्रिस्तान अतिक्रमणमुक्त है । उक्त प्राथमिकता सूची के क्रमांक-16 तक की कब्रिस्तान घेराबंदी की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है और 10 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो चुकी है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के संशोधित मार्गदर्शिका, 2014 की कंडिका 6(34) में भी कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना को शामिल किया गया है ।

माननीय विधायक, उन्हें प्राप्त निधि से भी प्राथमिकता सूची में शामिल कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा सकते हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0-582 (श्री मुरारी प्रसाद गौतम)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-583 (श्री छोटे लाल राय)

(अनुपस्थित)

टर्न-3/शंभु/01.03.21

तारांकित प्रश्न सं0-584(श्री राजेश कुमार सिंह)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : 1- उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2006-07 में सरकार द्वारा गन्ना कास्तकारों को ईख मूल्य भुगतान हेतु मो0 2.4 करोड़ रूपया जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को उपलब्ध कराया गया था जिसके विरूद्ध मात्र 69.78 लाख रूपये का भुगतान हो पाया । शेष 1.34 करोड़ रूपये का भुगतान गन्ना किसानों के बैंक खाता संख्या आदि उपलब्ध नहीं रहने के कारण लंबित है । भुगतान प्राप्त करने हेतु व्यापक रूप से किसानों के बीच प्रचार-प्रसार किया गया, परन्तु किसी भी किसान द्वारा ईख मूल्य पर्ची बैंक खाता प्रस्तुत नहीं किया गया ।

2- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

3- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । हथुआ चीनी मिल से संबंधित गन्ना कास्तकारों की मृत्यु से संबंधित सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है । संबंधित आश्रित आवश्यक दस्तावेज जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को प्रस्तुत कर बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं ।

4- उपरोक्त खंड 1 एवं 3 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री राजेश कुमार सिंह : महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जब मिल बंद हुआ 1997 में उसके पहले गन्ना गिरता था और पर्ची लेकर लोग जाते थे काउंटर पर पेमेन्ट लेते थे उसमें से 80 परसेंट किसान की मृत्यु हो गयी तो उनके नाम से कैसे खाता खुलेगा और कैसे पेमेन्ट होगा ? मेरा कहना है कि लोग पहले जैसा पर्ची लेकर जायें और काउंटर पर उनका पर्ची देखकर पेमेन्ट किया जाय । इसका जवाब चाहता हूँ ।

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न ही है कि 1997 में यह फैक्ट्री बंद हो गया तो जब फैक्ट्री बंद हो गया, निगम के अधीन चला गया तो 2006-07 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान और निगम के फैक्ट्री सबको समावेशित कर स्टेट बैंक के माध्ययम से इसका मूल्यांकन कराया गया और किसान के जो बकाये राशि थे उसका भी अवलोकन किया गया जो 2.4 करोड़ रूपये था जिसके एवज में 69.78 लाख रूपया हमने भुगतान किया है । शेष 1.34 करोड़ रूपया वहां उपलब्ध है तो महोदय, माननीय सदस्य के ऐसे कोई लोग हैं तो वे जिला पदाधिकारी को अपने वंशावली के साथ, आवश्यक दस्तावेज के साथ पुर्जा दाखिल कर बैंक खाता के माध्यम से भुगतान प्राप्त करा सकते हैं । जिला पदाधिकारी के माध्यम से मैंने स्पष्ट कह दिया, वह काउंटर भुगतान वाली प्रक्रिया तो बंद हो गयी ।

श्री राजेश कुमार सिंह : महोदय, जिस तरह से माननीय मंत्री जी जवाब दिये हैं मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ । ऐसे ही लोग दौड़ते रह जाते हैं, चपरासी के यहां भी लोग जाते हैं तो 50 बार जाना पड़ता है । डी0एम0 के यहां उस तरह के कास्तकार कैसे जा पायेंगे, न पढ़े हैं न लिखे हैं, वे बिलकुल अनपढ़ लोग हैं । उनको घुसने नहीं दिया जाता है, डी0एम0 से मिलने नहीं दिया जाता है । मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ । उसको पर्ची के आधार पर पेमेन्ट करवाया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है, आपके सुझाव को इन्होंने ग्रहण किया । श्री महबूब आलम ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, महमूद आलम नहीं, महबूब आलम ।

अध्यक्ष : महबूब आलम ही कहा गया । आप सुनते नहीं हैं ध्यान कहीं और रखते हैं । आप उनका समय बर्बाद कर रहे हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : लगता है कि आप ही उनका नाम रखे हैं । यही रखे हैं आपका नाम।

श्री महबूब आलम : नाम का उच्चारण सही हो सर, नहीं तो महबूब के बदले महमूद हो जायेगा तब तो आप भेज दीजिएगा अफगानिस्तान, गजनी में ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : आप ही के दल का लोग आपका नाश कर रहा है तो उसमें हमारा क्या दोष है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : ये सदन के महबूब हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-585(श्री महबूब आलम)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : 1- वस्तुस्थिति यह है कि भोरे थाना कांड सं0-258/2020, दिनांक-27.08.2020, धारा-143, 323, 308, 504, 427, 447, 34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत वादीनी मंजू देवी के आवेदन के आधार पर 7 प्राथमिक अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज किया गया । उक्त कांड में 6 प्राथमिक अभियुक्त न्यायिक जमानत पर है । मतलब गिरफ्तार हआ और बेल मिल गया तथा 1 अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है । भोरे थाना कांड सं0-279/2020, दिनांक-06.09.2020, धारा-147, 148, 149, 323, 324, 307, 380, 342, 504 भा0द0वि0 के अन्तर्गत वादीनी देवरतिया देवी के आवेदन के आधार पर 20 प्राथमिक अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज किया गया है । उक्त कांड में 7 प्राथमिक अभियुक्त न्यायिक जमानत पर है । शेष 13 अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है । थाना अध्यक्ष एवं अनुसंधानकर्त्ता दोनों को कांडों में फरार अभियुक्त को शीघ्र गिरफ्तार कर आरोप पत्र समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया है ।

श्री महबूब आलम : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूँ और सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा प्रश्न है कि हम सूचना दे रहे हैं कि अभियुक्त फलां-फलां जगह है और ये लोग दबंग प्रवृत्ति के अभियुक्त हैं । इन लोगों के हौसले बढ़े हुए हैं और 6 महीने मुकदमा के हो गये उसके बावजूद भी एक अभियुक्त फरार है और दूसरे मुकदमा में 13 अभियुक्त

फरार है । ये 13 अभियुक्त फरार रह नहीं सकते हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछता हूँ कि क्या अब तक कोई अग्रेतर कार्रवाई करके कुर्की जप्ती की मांग की गयी ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैंने दिया है निदेश- 6 महीने पहले का ही केस है । मैंने साफ कहा निदेशित किया कि अविलंब कार्रवाई करे ।

श्री महबूब आलम : महोदय, ये निदेशित, इनका कुर्की जप्ती करने का इरादा है कि नहीं है और है तो कब तक ?

अध्यक्ष : ये तो कह रहे हैं ।

श्री सत्यदेव राम : इस सवाल का जवाब नहीं मिला और अपराधी सरेआम घूमता है, लोग सूचना देते हैं फिर भी गिरफ्तार नहीं करते हैं और छापामारी चल रही है तो कहां अमेरिका में छापामारी चल रही है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : जवाब उन्होंने दे दिया, संज्ञान भी ले लिया और बता भी दिये ।

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, गरीबों का जमीन दखल करनेवाले लोग हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो इन गरीबों की हत्या हो जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सरकार का जवाब टालमटोल करनेवाला रहता है, जवाब स्पष्ट नहीं होगा तो वेल में आना मजबूरी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इतना स्पष्ट जवाब दे दिया गया । आपलोग बैठ जाइये पहले । आप ये आदत बंद कर दीजिए कि एक आदमी पूछ रहे हैं प्रश्न तो पांच आदमी खड़े हो गये, क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं । हां बोलिये । आप बैठ जाइये महबूब जी ।

श्री भाई वीरेन्द्र : कुर्की जप्ती जब निकल गया है......

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, प्रश्नकर्त्ता सदस्य जब खड़े हैं महोदय....

अध्यक्ष : नहीं अब वे बैठ गये हैं । उनका प्रश्न खत्म हो गया ये पूरक पूछ रहे हैं ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : प्रश्नकर्त्ता का जवाब आयेगा तब न आप पूछियेगा ?

श्री भाई वीरेन्द्र : हमारा कहना है, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, कहां छापामारी कर रही है । कुर्की जप्ती के लिए सरकार के तरफ से या विभाग के तरफ से नहीं गया है, कब तक उसकी कुर्की जप्ती कराकर गिरफ्तारी की जायेगी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मुकदमा है कब का एक मुकदमा है 27.08.2020 का ये 2021 है फरवरी ही अभी बीता है और एक मुकदमा है 06.09.2020 का तो जो अपेक्षित कार्रवाई है उसके लिए निदेशित किया गया है, कोर्ट परमिशन भी लेना पड़ेगा ।

क्रमशः

टर्न-4/ज्योति/01-03-2021

क्रमशः

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : प्रक्रिया साफ लिखी हुई है । यह कैसे सरकार निर्देशित करेगी कि तुरत कुर्की ज्पती करो या गोली मार दो ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुनिये, माननीय मंत्री बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अगर इसी तरह की प्रवृति होगी तो मुश्किल हो जायेगी । महोदय, इसमें और कोई बात नहीं है । स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या - 586 (श्री नीतीश मिश्रा)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत ग्राम पंचायत लखनौर (पश्चिमी) का खाता -2993, खेसरा -4380 व 2144, रकवा- क्रमशः 10 डी0 व 49 डी0 नया खतियान में कब्रिस्तान दर्ज है 1 उक्त कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची के क्रमॉक -14 पर अंकित है ।

अंचल झंझारपुर के मौजा-सिरखरिया नया खाता नं0-802, खेसरा -3328, रकवा-1.10 एकड़ भूमि किस्म जमीन कब्रिस्तान के नाम से दर्ज है । उक्त कब्रिस्तान घेराबंदी जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची -21 पर अंकित है ।

उक्त प्राथमिकता सूची के क्रमॉक -11 तक स्थित कब्रिस्तानों का घेराबंदी का कार्य प्रारंभ है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका,2014 की कंडिका 6(34) में भी कब्रिस्तान की घेराबन्दी योजना को शामिल किया गया है ।

माननीय विधायक, उन्हें प्राप्त निधि से भी प्राथमिकता सूची में शामिल कब्रिस्तानों की घेराबन्दी करा सकते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा जी ऑन लाईन उत्तर प्राप्त है आप पूरक पूछिये ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि मधुबनी जिला में क्रमॉक-11 पर स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी करायी जा रही है मैंने जो प्रश्न किया है वह प्राथमिकता सूची ...

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहती है । सरकार प्रश्नों का स्पष्ट जवाब दे । 6 महीना हो गया .

अध्यक्ष : ललित जी बैठ जाईये ।

श्री ललित कुमार यादव : जब सरकार से जवाब ही नहीं मिलेगा तो सवाल कैसे करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जायं । प्रहलाद जी बैठ जाईये । अपराध के मामले में सरकार गंभीर है और सरकार गंभीरता से जवाब दे रही है । आप सुन लीजिये जब आप बैठेंगे तब न सुनियेगा ।

श्री भाई वीरेन्द्र : 6 महीने के बाद भी कुर्की जप्ती का आदेश नहीं हुआ है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है । मामला बहुत गंभीर है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ललित जी, सदन में बयान दे रहे हैं । पहले आप सब लोग बैठ जाईये । सारे सदस्य बैठ जाईये । ऑन लाईन जवाब आया हुआ है । ऑन लाईन सभी माननीय सदस्य जवाब देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं फिर भी माननीय मंत्री ने जवाब को पढ़ा है । साफ लिखा हुआ है कि एक की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है । 6 प्राथमिकी अभियुक्त अंतरिम जमानत पर हैं । सारे विषयों को डिटेल में डाला गया है और बतलाया गया है जिन माननीय सदस्य का पूरक प्रश्न था जिसका जवाब माननीय मंत्री ने दिया है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं । सभी माननीय सदस्य हैं, कोर्ट भी तो करोना काल में डिस्टर्ब है । वकील लोगों को जाने के लिए अनुमति नहीं मिलती इसलिए वक्त तो थोडा़ लगेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपको तो इतना ध्यान में होना चाहिए कि मंत्री खड़े हैं इसलिए बैठ जांय । बोलने के लिए बहुत सारे प्रश्न है और बहुत सारा मौका है । सभी माननीय सदस्य की इच्छा है कि हमारा भी प्रश्न आये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, न्यायालय भी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा था लेकिन निर्देश दिया गया है जल्द कार्रवाई करने के लिए । माननीय सदस्य जो कह रहे हैं और सूचना दे रहे हैं तो लिख के भेज दीजिये कार्रवाई होगी ।

अध्यक्ष : ठीक है, दूबे जी बोलिये ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के सवाल पर माननीय मंत्री उत्तर देकर के 6 अभियुक्तों पर कार्रवाई की बात करते हैं । महोदय, पूरे राज्य में लॉ ऐण्ड औरडर बिल्कुल खराब है । अभियुक्तों पर जो माननीय सदस्य उठा रहे थे कि अभियुक्तों पर गिरफतारी का वारंट लेने में, कुर्की जप्ती की कार्रवाई करने में न्यायालय में क्यों नहीं पुलिस पदाधिकारी जा रहे हैं जिसके कारण महोदय, अपराधियों का मनोबल आज राज्य में ऊंचा है । सरकार, माननीय मंत्री गंभीर आदमी हैं, माननीय मंत्री पुलिस पदाधिकारियों को निदेशित करें कि जिन पर वारंट ड्यू है कुर्की की जप्ती की कार्रवाई हेतु पुलिस ने कोर्ट में रिक्वेस्ट भेजकर केवल अपने दायित्व का निर्वहन करके बैठी है, सरकारी वकील के माध्यम से दबाव डाल कर कुर्की जप्ती की कार्रवाई सरकार करना चाहती है ?

अध्यक्ष : ठीक है, नीतीश मिश्रा जी आपका पूरक प्रश्न है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : उन्होंने संज्ञान में लिया और निर्देशित करेंगे ।

श्री नीतीश मिश्रा : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मधुबनी जिला में जो प्राथमिकता सूची बनी हुई है कब्रिस्तानों की घेरा बंदी की जिसका उन्होंने अपने उत्तर में जिक्र किया कि अभी 11 वें क्रमॉक की घेराबंदी की जा रही है और जो प्रश्न मेंने किया है कि सीरियल 14 और सीरियल 21 पर है तो मेरा दो पूरक है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि मधुबनी जिले में कितने कब्रिस्तान प्रस्तावित हैं जिनकी घेराबंदी होनी है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में औसतन कितने कतिब्रस्तानों की घेराबंदी हो जाती है जिसके बारे में उन्होंने मेरे उत्तर में कहा है । क्रमॉक 14 और 21 पर मैंने प्रश्न किया है कि क्या आगामी विततीय वर्ष में उसकी घेराबंदी संभव हो सकेगी या नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव , मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि विधायक योजना में भी इसको किया जा सकता है । माननीय सदस्य सुन तो लीजिये । मुख्यमंत्री विकास योजना अन्तर्गत माननीय सदस्य के अनुरोध पर ही, ऐसे सरकार ने नहीं किया इसको अमेंड करके किया कि इसको भी शामिल किया जाय । उसके अनुसार करेंगे । कलक्टर एस.पी. की अध्यक्षता में कमिटी है और जहॉ सेंसीटीव ज्यादा है उसी के आधार पर प्राथमिकता सूची बनी है जहॉ विवाद होने का डर है, जो नौर्मल स्थिति में है वह नीचे में जाता है और जहॉ बहुत ज्यादा आपस में विवाद का विषय है, लौ ऐण्ड औरडर और हिन्दू मुस्लिम का ज्यादा मामला है उसको प्राथमिकता सूची में रखते हैं । यही नियम है ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, जवाव नहीं मिला । मैं जानना चाह रहा था कि पूरे जिले में कितने की सूची बनी है जो लंबित है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : इसके लिए अलग से प्रश्न करें ।

अध्यक्ष : आप अलग से जानकारी मांगेंगे, उपलब्ध कराया जायगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या 587 (श्रीमती स्वर्णा सिंह)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : प्रश्न का प्रथम खंड स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि जिला मुख्यालय में जिला अतिथि गृह/परिसदन की व्यवसथा होती है । अनुमंडल या प्रखंड/अंचल स्तर पर जिला अतिथि गृह/परिसदन के निर्माण की व्यवस्था नहीं है ।

दरभंगा जिला मुख्यालय में जिला अतिथि गृह अवस्थित है ।

दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल में विश्राम गृह निर्माण का सम्प्रति कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्रीमती स्वर्णा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर से संतुष्ट हूँ ।

तारांकित प्रश्न संख्या -588 (श्री मुकेश कुमार रौशन)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2017 में राज्य के गृह रक्षकों के ‘‘ अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले जाने के कारण अग्निशमनक कार्य प्रभावित होने के कारण अग्निशमन सेवा अंतर्गत कुल 333 अग्निशमन वाहनों हेतु 383 चालक जिला वार बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड से प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई । साथ ही अग्नि चालकों की सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने तक अग्निशमन सेवा के संचालन हेतु रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति शीघ्र किए जाने के शर्त के साथ 268 अद्‌य फैब्रिकेटेड वाटर मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशमन वाहन हेतु कुल 268 चालक जिला वार बिहार राज्य पर्यटन विकास लिमिटेड से प्राप्त करने के अनुमति प्रदान की गई । बिहार राज्य पर्यटन विकास लिमिटेड , पटना के माध्यम से निर्धारित मानदेय के आलोक में पर्यटन चालकों की सेवाएं प्राप्त होने पर उक्त चालकों से अग्नि शमन वाहनों पर चालक का कार्य लिया गया ।

2- उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार अग्नि शमन सेवान्तर्गत केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) बिहार, पटना के विज्ञापन सं0 01/2018 के विरुद्ध कुल-891 अग्नि चालकों की नियुक्ति अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई , जिसके क्रम में सर्वप्रथम 74 अग्निचालकों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षण हेतु भेजा गया । शेष अग्नि चालकों की नियुक्ति के क्रम में आदर्श आचार संहित लागू होने के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया

स्थगित रखी गयी । आदर्श आचार संहित के समाप्त होने के पश्चात् शेष अग्नि चालकों की नियुक्ति कराई गई ।

बिहार अग्निशमन सेवान्तर्गत चालकों की नियमित नियुक्ति हो जाने के उपरान्त बिहार पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्राप्त पर्यटन चालकों को वापस कर दिया गया ।

3-उपर्युक्त कंडिका 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : उत्तर ऑनलाईन है । माननीय सदस्य पूरक पूछिये ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार के श्रम संसाधनप विभाग द्वारा एक पत्र जारी किया गया था कि लॉक डाउन के समय किसी को भी रोजगार से मुक्त नहीं किया जायेगा । इस दरम्यान 600 चालकों को अग्नि शमन विभाग का जो मामला है उन लोगों को हटा दिया गया । सरकार का जो पत्र है अपर मुख्य सचिव के द्वारा निकाला गया था । पत्रांक संख्या 2740 दिनांक 28 अप्रील 2020 इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सरकार का निर्देश है कि लॉक डाउन के कारण श्रमिकों को कार्य से हटाने अथवा उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं होने से श्रमिकों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जायेगी एवं इस महामारी के विरुद्ध उनकी लड़ने की मानसिकता को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करेगा इसके अतिरिक्त यह भी संभावना है कि कई कर्मी लॉक डाउन ....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछें ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : इसी में स्पष्ट आ जायेगा । कई कर्मी लॉक डाउन के कार्यालय नहीं जा पा रहे हों अथवा कई कार्य दिवस पर अनुपस्थित भी रहें हों अत: वर्णित परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि आपके विभाग के नियंत्रणाधीन संविदा अथवा आउटसोर्सिंग अथवा अन्य माध्यमों से कार्यरत कर्मियों को लॉकडाउन की स्थिति में न तो कार्य से हटाया जाय, न ही उनके वेतन की कटौती की जाय यदि कोई कर्मी लॉक डाउन के कारण कार्यालय में अनुपस्थित रहे हों ।

अध्यक्ष : वह जानकारी सदन को है, आप पूरक पूछें ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, 6 सौ कर्मियों को क्यों हटा दिया गया ? रोजगार मिल नहीं रहा है और जो रोजगार कर रहे हैं उनको हटा दिया जा रहा है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इसमें हटाने का कोई जिक्र उत्तर में नहीं है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार अग्निशमण सेवा अंतर्गत केन्द्रीय चयन पर्षद, बिहार पटना के विज्ञापन 1/2018 के विरुद्ध कुल 891 अग्नि चालकों की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई जिसके क्रम में सर्वप्रथम 74 अग्नि चालकों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षण हेतु भेज दिया गया । शेष अग्नि चालकों की नियुक्ति के क्रम में आदर्श आचार संहिता चुनाव के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया स्थगित रखी गयी है । आदर्श

आचार संहिता समाप्त होने के समाप्त होने के पश्चात् शेष अग्नि चालाकों की नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है । बिहार अग्निशामक सेवा अंतर्गत अग्नि चालकों की नियुक्ति हो जाने के उपरांत बिहार पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्राप्य पर्यटन चालकों वापस कर दिया गया । बहाली की प्रक्रिया है वह अब शुरु हो जायेगी ।

टर्न-5/पुलकित/अभिनीत/01.03.2021

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, आप दूसरे जगह से ले रहे हैं, वैकेंसी कर रहे हैं, जो लोग ऑल रेडी कार्यरत थे उनको हटा दिया गया है, उनलोगों का क्या होगा ? उनका परिवार कैसे चलेगा ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी कह ही रहे हैं कि प्रक्रिया चल रही है, यह पर्यटन विभाग का था ।

श्री मुकेश कुमार रौशन: महोदय, माननीय मंत्रीजी से आग्रह है कि कम-से-कम उन 600 लोगों को रख लिया जाय ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: मैंने कहा ही है कि 74 की नियुक्ति हो गयी है और बाकी की नियुक्ति प्रक्रिया चुनाव आचार संहिता के कारण स्थगित कर दी गयी थी । अब प्रक्रिया शुरू हुई है उनकी भी नियुक्ति होगी, जरूरत तो है ही । किसी को भगाया नहीं जा रहा है और जब ये सारे लोग नियुक्त हो जायेंगे तो पर्यटन विभाग को भी जरूरत है ही, कुछ लोगों को वहां भी वापस कर दिया गया है, फिलहाल वहां से भी डिमांड आयी थी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-589 (श्री छोटे लाल राय)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-590 (श्री छत्रपति यादव)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि गृह विभाग आरक्षी शाखा के पत्रांक- 1002, गृह आरक्षी-3520, दिनांक- 27.04.2017 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में 2 लाख से अधिक आबादी वाले शहर के यातायात नियंत्रण हेतु यातायात थाना का अधिष्ठापन किया जाना है । उक्त मापदंड को पूरा नहीं किये जाने के कारण खगड़िया जिला मुख्यालय में यातायात थाना का सृजन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । स्थानीय थाना के द्वारा ही यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रखने हेतु कार्रवाई की जाती है ।

श्री छत्रपति यादव: महोदय, खगड़िया बाजार ऐसा बाजार है जहां 129 प्रखंडों के लोगों की भीड़ जुटती है और लोकल थाना से जो एक सिपाही दिया जाता है, अगर आप बाजार में चलियेगा और इमरजेंसी आ जाय तो बाजार में ही दुर्घटना आपकी हो जायेगी, इसलिए सरकार से आग्रह यह है कि आये दिन की दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए, नियम को हल्का करते हुए यहां ट्रैफिक थाना की व्यवस्था करना अनिवार्य है ।

तारांकित प्रश्न सं0-591 (श्री विजय कुमार खेमका)

(लिखित उत्तर)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री: 1- स्वीकारात्मक है ।

2- अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बियाडा के औद्योगिक क्षेत्रों में अवस्थित इकाईयों द्वारा सम्यक कारणों से उद्यमी द्वारा इकाई नहीं चला पाने अथवा बंद हो जाने की स्थिति में अपनी भूमि का हस्तानान्तरण दूसरे किसी अन्य इकाई के पक्ष में किया जाता है । इस भूमि हस्तानान्तरण हेतु संबंधित क्षेत्र के सर्किल दर का 15 प्रतिशत शुल्क एक मुश्त लेने का प्रावधान था, जिसे निदेशक पर्षद् के 41वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में आदेश ज्ञापांक- 7082, दिनांक 16.11.12 द्वारा औद्योगिक इकाईयों के हस्तानान्तरण शुल्क को किश्तों में लिये जाने का प्रावधान लागू किया गया ।

ऐसे मामलों में प्राय: ऐसा देखा जाने लगा कि उद्यमियों द्वारा प्रथम किस्त की राशि जमा करने के उपरांत भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर, आगामी किस्तों का भुगतान ससमय नहीं किये जाने के कारण प्राधिकार को अनावश्यक वित्तीय हानि होने लगी । फलस्वरूप निदेशक पर्षद् के 49वीं बैठक में सभी इकाईयों के लिये भूमि हस्तानान्तरण शुल्क का एक मुश्त भुगतान पूर्व की भांति करने का निर्णय लिया गया । इसके साथ ही आदेश ज्ञापांक- 7082, दिनांक 16.11.12 को इस हद तक संशोधित किया गया ।

3- उपरोक्त कंडिका 2 में स्थिति स्पष्ट की गई है तथा इस प्रकार का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष: इस प्रश्न में माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा जी को ऑथराइज किया गया है ।

श्री नीतीश मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, मेरा दो पूरक प्रश्न है, माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि यह व्यवस्था वर्ष 2012 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 41st की बैठक में लागू की गयी थी लेकिन डिफाल्ट्स केसेज ज्यादा आने लगे थे, इसलिए 49th बैठक में फिर उसको रिव्यू किया गया और उस व्यवस्था को रोका गया है । मेरा दो पूरक प्रश्न है माननीय मंत्री जी से, पहला यह कि 49th मीटिंग कब हुई, क्योंकि 2012 का यह निर्णय था और दूसरा कितने सारे ऐसे डिफाल्ट्स वाले केसेज आयें, जिसके कारण विभाग, सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा और उस 2012 के निर्णय को रिवाईज करना पड़ा ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रीज बिहार में बड़ी तादाद में लग रही हैं लेकिन जो जवाब मैंने पहले दिया है, यह सही है कि हमलोगों ने एक प्रक्रिया बनाई थी कि जिनके पास जमीन है, जिनको एलॉट की गयी है और अगर वे इसको ट्रांसफर करते

हैं या इसके अंदर कोई इक्विटी पार्टनर आता है तो 50 लाख तक एक मुश्त किस्त, 50 लाख से अधिक है तो तीन बराबर वार्षिक किस्तों में, एक करोड़ से अधिक है तो पांच किस्तों में और अगर ढाई करोड़ से अधिक है तो सात किस्तों में शुल्क का भुगतान लिया जायेगा । जब यह प्रक्रिया शुरू की गयी तो इसका काफी दुरूपयोग होने लगा, इसलिए हमलोगों ने इस प्रक्रिया को बंद किया और यह तय किया कि जिस किसी को नियमित जमीन दी गयी है, वह उद्योग नहीं लगा पा रहा है और वह उस जमीन को किसी को औने-पौने रेट पर दे दे और उसका इन्वस्टर भी ना आये, इसलिए हमने इस प्रक्रिया को बंद किया है ।

अभी भी कई जगह इस तरह की सूचना है कि इंडस्ट्रीज लगी हैं । उसके अंदर अगर कोई इन्वस्टर आता है तो 49 परसेंट से अगर वह ज्यादा होता है, 51 परसेंट तक जाता है और उसका मालिकाना हक चेंज होता है तो उसमें कई लोग इन्वेस्ट करेंगे और उसके लिए हमारा मंत्रालय इसको रिव्यू कर रहा है । हमारा मकसद है उद्योगों को चलाना और उसके जरिए रोजगार देना । हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि एक-एक इशू बेस हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं लेकिन अभी जो प्रस्ताव आया है, जो डिफाल्टर थे, बहुत सारे डिफाल्टर थे उनकी सूची मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रक्रिया को बंद किया और अभी 15 फीसदी उसको देना होगा, तभी वह इन्वेस्ट कर सकता है ।

अध्यक्ष: बोलिये ।

श्री नीतीश मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने स्पष्ट कहा और यह सरकार की नीति भी है कि सर्कल रेट का 15 परसेंट उनको एक मुश्त देना है । मैं सरकार ये यही आग्रह करना चाहूंगा कि वातावरण बदल रहा है और जब हम आत्मनिर्भर बिहार की बात कर रहे हैं तो इसको लिमिटेड प्रीयेड के लिए भी करने का एक बार प्रयास किया जाय और बियाडा के पास जितनी जमीनें हैं वे जमीनें वेस्ट न हों और उसका उपयोग ऐसे उद्यमी जो अपना उद्योग लगाना चाहें उनको आसानी से जमीन ट्रान्सफर हो जाय और वे उद्योग स्थापित कर सकें ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के लिए यह बड़ी चुनौती भी है और अवसर भी, क्योंकि बहुत सारी गन्ना मिलें पहले बंद हुई थीं । करीब ढाई हजार एकड़ जमीन उद्योग मंत्रालय, बियाडा को ट्रान्सफर हुई और नीतीश कुमार जी की सरकार ने वर्ष 2006 में सोचा था कि जो चीनी मिल की जमीनें हैं, उन चीनी मिल की जमीनों पर इथेनॉल बनाने की इजाजत दी जाय । वर्ष 2006 में सरकार की तरफ से इसके संबंध में चिट्‌ठी भारत सरकार को भेजी गयी थी लेकिन तात्कालीन यू0पी0ए0 गवर्नमेंट के दौर में इसकी इजाजत नहीं मिल पाई थी और यह कहा गया था कि जो चीनी मिल, चीनी

बनायेगा वही इथेनॉल बनायेगा । अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि अब भारत सरकार ने अमेंड कर दिया है कि अब इथेनॉल डायरेक्ट बना सकते हैं । ढाई हजार एकड़ जमीनें जो हमारी हैं उसमें जो चीनी मिल की जमीनें हैं, कहीं 700 एकड़, कहीं 500 एकड़ हैं, इथेनॉल बनाने के लिए 50 एकड़ में भी इसका प्लांट लग सकता है और बिहार इथेनॉल का हब बन सकता है । माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने दो दिन पहले ही करीब ढाई घंटे तक इस पर उच्चस्तरीय बैठक की थी जिसमें मैं मौजूद था, माननीय गन्ना मंत्री और हमारे डिप्टी सी0एम0 भी मौजूद थे । हमने यह तय किया है कि जो चीनी मिल की जमीनें हैं उसको भी हम इथेनॉल बनाने के लिए देंगे ।

एक शुभ सूचना और है जो मैं माननीय सदस्य को देना चाहता हूँ, क्योंकि यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें गन्ना से इथेनॉल बनता है और उसकी खरीद की गारंटी भारत सरकार देती है । गन्ना के अलावा मक्का से, चावल की टुकड़ी से भी इथेनॉल बन सकता है । इथेनॉल की 15 फीसदी ही ब्लैंडिंग करनी है लेकिन अभी भारत सरकार 5 परसेंट ही कर पा रही है । इसी का भविष्य है, मैं समझता हूं कि अभी बड़ी तादाद में जहां गन्ना से ही इथेनॉल बनेगा और ऐसे सभी डिस्ट्रिक्ट में जहां मक्का का उत्पादन बड़ी तादाद में होता है, हमारे यहां ही उत्तर बिहार में और दक्षिण बिहार में भी बड़ी तादाद में मक्का का उत्पादन होता है, उस मक्का से भी इथेनॉल बन सकता है, स्टार्च बन सकता है । हर जिले में इथेनॉल बेस इंडस्ट्री लगे, इसके लिए सरकार ने इसको मिशन मोड में लिया है और इसके जरिए लोगों को रोजगार मिले, यह सरकार का ध्येय है ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न बियाडा द्वारा जमीन के आवंटन में होने वाली समस्याओं का है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बियाडा जो जमीन का आवंटन कर रही है और शुरू में प्रथम किस्त के रूप में 10 प्रतिशत राशि शुल्क ली जा रही है लेकिन उनको आवंटन करने के बाद लीज नहीं किया जा रहा है जिसके कारण बैंक द्वारा ऋण नहीं दिया जा रहा है । मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि जब आप 10 प्रतिशत शुल्क लेकर आवंटन कर दिये तो फिर उसको लीज एग्रीमेंट, उसके साथ लीज क्यों नहीं कर रहे हैं जिसके कारण बैंकों से ऋण उन उद्यमियों को नहीं मिल रहा है ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री: महोदय, जिन लोगों ने भी आवेदन दिया है, मैंने उद्योग मंत्रालय संभालने के बाद यह निर्देश दिया है कि हम एक महीने के फ्रेम में उस मामले का निष्पादन करेंगे, उसमें कोई भी दिक्कत या दुश्वारी नहीं आने वाली है और अगर कोई इस तरह की समस्या आपके संज्ञान में है तो आप मुझे उसके बारे में भेजें, मैं जरूर उसको दिखवाउंगा ।

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, कोई स्पेसिफिक केस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यह पूरे बिहार में जितने भी उद्योगों के लिए जमीन का आवंटन हो रहा है उसमें 10 परसेंट प्रथम किस्त के रूप में ली जा रही है लेकिन उद्योग विभाग द्वारा किसी भी उद्योग का लीज नहीं किया जा रहा है । विभाग द्वारा कहा जाता है कि पूरा पेमेंट शुल्क देने के बाद ही लीज होगा । अब बैंक तो ऋण नहीं दे रहा है तो यह नीति की बात है, यह कोई स्पेसिफिक एक-दो उद्योग की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष: ठीक है, संज्ञान में आप दे दिये हैं ।

टर्न-6/हेमन्त-धिरेन्द्र/01.03.2021

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह हस्तांतरण के बारे में है । बियाडा की जमीन जिनको उपलब्ध हुई है, हमारे मंत्रालय के पास इस तरह का कोई विषय पेंडिंग नहीं है । लेकिन अगर आपने कोई जमीन ली है और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें कोई नया इक्विटी पार्टनर आ रहा है और जब वह ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर की राशि के बारे में प्रश्न है कि पहले हम करते थे कि 3 बार में, 5 बार में और 7 बार में लेते थे । जो राशि मैंने पहले बतायी, जब ज्यादा राशि है । अब हमने उसको बंद कर दिया है, तो एक ही बार में वह राशि ले लेती है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

(व्यवधान)

इसी प्रश्न से है ? बताइये ।

श्री अनिल कुमार सहनी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या बिहार में उद्योग इसलिए नहीं लग रहा है कि आपकी बहुत जटिल प्रक्रिया चल रही है उद्योगकर्मी को लाने के लिए, आपके उद्योग इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि आपकी प्रक्रिया बहुत जटिल है

अध्यक्ष : क्या यह पूरक इसी प्रश्न से है ?

श्री अनिल कुमार सहनी : हां, इसी प्रश्न से है ।

अध्यक्ष : चलिए । श्री शकील अहमद खाँ

तारांकित प्रश्न सं0-592(श्री शकील अहमद खाँ)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-593(श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1- अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना संकल्प संख्या-1070(14), दिनांक-20.05.2006, संकल्प सं0- 1182(14), दिनांक- 02.06. 2006, संकल्प सं0-946(14), दिनांक-14.08.2015 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों/पत्रों के आलोक में बिहार सरकार के कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को, जिसमें पुलिस कर्मचारी भी शामिल हैं एवं उनके परिवारों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ मिलता है । संकल्प सं0- 1070(14), दिनांक- 20.05.2006 की कंडिका-3(ट) के आलोक में चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति दी जाती है ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं मंत्री महोदय से कि इन लोगों की यह व्यवस्था कब तक सुदृढ़ हो जायेगी ? यह कब तक मिलेगा ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : मैंने उत्तर दिया कि व्यवस्था है । संकल्प भी पढ़कर सुनाया । माननीय सदस्य का स्पेसिफिक मामला भी कवर्ड है । अगर कोई स्पेसिफिक मामला हो तो दिखा लेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब जवाब तो स्पष्ट दे दिया न ।

तारांकित प्रश्न संख्या-594(श्री शमीम अहमद)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0 - 595 (श्री नरेन्द्र नारायण यादव)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत थाना चौसा के अधीन ग्राम पंचायत लौवालगाम पश्चिम के बाबा विशुराउत स्थान से चौसा थाना की दूरी 08 कि0मी0 है । थाना से बाबा विशुराउत स्थान पहुँचने में लगभग 10 मिनट लगते हैं । उक्त स्थान, थाना से एस0एच0-58 पक्की सड़क से जुड़ा है । उक्त स्थान में किसी प्रकार की आपराधिक घटना घटित होने पर चौसा थाना से विधि-सम्मत कार्रवाई की जाती है, साथ ही विगत पाँच वर्षों में कोई कांड प्रतिवेदित नहीं हुए हैं । जिससे स्पष्ट है कि क्षेत्र में अपराध एवं विधि-व्यवस्था नियंत्रण में है । थाना स्तर से सघन गश्ती द्वारा सतत् निगरानी रखी जा रही है ।

तत्काल विशुराउत स्थान में पुलिस फाड़ी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाबा विशुराउत स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह मधेपुरा और भागलपुर जिला की सीमा पर अवस्थित है । तीन-तीन माननीय

मुख्यमंत्री जी वहां पर गये हैं और माननीय प्रभारी मंत्री जी, जो जवाब दे रहे हैं, वह भी गये हैं । असल में, हर सप्ताह वहां हजारों की संख्या में दूध चढ़ाने लोग जाते हैं और रात में वहीं रह जाते हैं, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इतना ही जानना चाहता हूँ कि भविष्य में जब सरकार नये ओ0पी0 खोलने का विचार करेगी तो क्या इस स्थान को प्राथमिकता के आधार पर जोड़ने का प्रयास किया जायेगा ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि वह स्थान थाना से थोड़ी ही दूरी पर है और मैं वहां पर गया भी हूँ । अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है । कल क्या होगा, वह कल की बात होगी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0 - 596 (श्री सुदामा प्रसाद)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला अन्तर्गत हसनपुर थाना कांड संख्या-110/19, दिनांक-04.06.2019 धारा-363/365 भा0द0वि0 के अन्तर्गत वादिनी कविता कुमारी के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध उनके प्रति एवं उनके भैसुर अरविन्द राय का अपहरण कर साजिश के तहत हत्या करने का आरोप में दर्ज कराया गया है ।

अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से यह कांड उक्त धारा के अन्तर्गत अज्ञात के विरुद्ध सत्य पाया गया है । कांड के अनुसंधान के क्रम में साक्षियों का बयान लिया गया और अपहरणकर्त्ताओं को बरामद करने हेतु अनेक जगहों पर तलाशी की गयी है । साक्षियों के बयान के आधार पर वादिनी के ससुर गणेश राय का ग्रामीण उमाशंकर सिंह से जमीन विवाद चल रहा है, परन्तु कांड में उनकी संलिप्तता का अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है । अरविन्द राय वर्ष-2018 से रोसड़ा से गायब हैं परन्तु उसके संबंध में कोई कांड प्रतिवेदित नहीं कराया गया है । संतोष राय तथा अरविन्द राय के बैंगलोर में मजदूरी करने की भी जानकारी प्राप्त हुई है, परन्तु इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है ।

अनुसंधान के दौरान तकनीकी साक्ष्य एवं वैज्ञानिक साधनों का भी उपयोग किया जा रहा है । अनुसंधानकर्त्ता को कांड का अनुसंधान शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक मिनट सुनें । माननीय सदस्यगण, आज सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन है ।

अत: मैं उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपने एवं संपूर्ण सदन की ओर से हार्दिक बधाई एवं स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ ।

श्री सुदामा प्रसाद ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मतलब सरकार मान चुकी है कि यह गलत केस किया गया है । मैं यह मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह केस गलत हुआ है, बैंगलोर में काम करते हैं और उसका भी कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है तो वस्तुस्थिति क्या है, मंत्री जी बतायेंगे ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तार से बताया कि जिनके ऊपर आरोप है, उनका पारिवारिक जमीनी झंझट भी है, उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है और वह जो लड़का गायब है, उसके विषय में इस तरह की चर्चा है, जांच की जा रही है, जांच के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, 17 माह हो गये हैं ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई है और मैं कहूँगा कि पक्ष और विपक्ष को कुछ मिठाइयां बाँटें, हमलोगों को खिलावें ।

अध्यक्ष : जब पूरे सदन की ओर से बधाई दी गई तो उसमें आप भी सम्मिलित थे ।

यह पूरक प्रश्न है, आपका ?

टर्न-7/सुरज-संगीता/01.03.2021

अध्यक्ष : जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जाएं । अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

शून्यकाल

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, सीतामढ़ी जिला में लगातार एक सप्ताह के अंदर आठ हत्या का क्रम हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी एवं अन्य व्यापारियों की दिन-दहाड़े हत्या अतिचिंतनीय है ।

सरकार अविलंब रिक्त पुलिसकर्मी का पदस्थापन करायें तथा 48 घंटे के अंदर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा मुकर्र करें ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : मानीय अध्यक्ष जी, सरकार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक-16.07.2007 द्वारा सरकारी सेवकों को अन्य सरकारी नौकरियों की परीक्षा में सम्मिलित होने पर आयुसीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाती है परन्तु नियोजित शिक्षकों को यह छूट देय नहीं है ।

अत: नियोजित शिक्षकों को भी आयु सीमा में छूट दी जाय ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विगत दो वर्षों से दिव्यांगजनों के बीच ट्राई साईकिल एवं अन्य उपकरणों का वितरण नहीं हो पा रहा है । दिव्यांगजन मायूस हा रहे हैं ।

अत: दिव्यांगजनों के बीच ट्राई साईकिल एवं अन्य उपकरणों का वितरण प्रारंभ किए जाने की मांग करता हूं ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, बिहार में लगभग लाखों लोग व्यवसायी करते हैं, लेकिन इनकी समस्याओं को हल करने के लिए कोई ऐसी सरकारी संस्थान नहीं है । व्यवसायियों के निराकरण हेतु ‘‘ व्यवसायिक आयोग ’’ गठन करने की मांग करता हूं ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, वित्तरहित अनुदानित विद्यालय विगत 35 वर्षों से छात्रों का भविष्य संवारने का कार्य कर रहे हैं ।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि जिस पंचायत में माध्यमिक विद्यालय की आवश्यकता है उस पंचायत में वित्तरहित अनुदानित माध्यमिक विद्यालय का अधिग्रहण करने की कृपा की जाय ।

श्री अजय कुमार : महोदय, समस्तीपुर जिलान्तर्गत दलसिंहसराय स्थित काली मंदिर चौक से पंचायत कमराँव, बुलाकीपुर, चकहवी, केराई चैता द०, चैता उत्तर, अंगार घाट तक जाने वाली सड़क उक्त क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण है, की स्थिति काफी जर्जर है ।

मैं सरकार से उक्त सड़क का जीर्णोद्धार कराने की मांग करता हूं ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नगर परिषद फारबिसगंज एवं नगर पंचायत जोगबनी के अधिकतर सड़क एवं नालों की स्थिति बेहद खराब एवं जर्जर है । आमजन नारकीय जीवन जीने को बेबस हैं, नगर विकास विभाग द्वारा मास्टरप्लान बनाकर सड़कों एवं नालों के निर्माण कराने की मांग सदन से करता हूं ।

श्री चेतन आनंद : अध्यक्ष महोदय, मैं शिवहर जिलान्तर्गत शिवहर प्रखंड के फतेपुर चौक एन.एच. -104 से कहतरवा बाजार होते हुए मुंशी चौक तक ग्रामीण सड़क को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण करने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री सुधाकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में तालिमी मरकज में बहाल अल्पसंख्यक सामान्य जाति के शिक्षा सेवक को शिक्षा विभाग के पत्रांक-1098, दिनांक-25.08.2018 को सेवा समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि वह अति पिछड़ा के लिए था । जबकि शिक्षा विभाग के पत्रांक-1355, दिनांक-01.09.2014 में स्पष्ट है कि सभी जाति के लिए है । अल्पसंख्यक सामान्य जाति के सेवक को बहाल करावें ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई बलरामपुर प्रखंडों की डेढ़ लाख आबादी को खुराधार की घाट पर पुल नहीं होन से एन॰एच॰-34 तक जाने तथा बारसोई मुख्यालय तक आने हेतु 30 किलोमीटर दूरी तय कर दो रेलवे गुमटी पार कर आना पड़ता है । खुराधार में पुल निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिलान्तर्गत मोदनगंज प्रखंड में धाना बिगहा और बरछी बिगहा के बीच फल्गु नदी (दुमुहाना के पास) पुल नहीं रहने के कारण नईमा पंचायत का अपना प्रखंड मोदनगंज और जिला मुख्यालय जहानाबाद से संपर्क टूटा रहता है । सरकार से मांग है कि पुल निर्माण कराया जाय ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर से जुड़े रीगा चीनी मील के गन्ना पेराई किए बगैर अधिसूचित मील बंद होने से करीब पाँच लाख क्विन्टल गन्ना खेतों में सूख रहा है । मिल क्षेत्र सरकार द्वारा रिजर्व क्षेत्र घोषित है अतएव सरकार किसान हित में गन्ना की पैमाईश कराकर गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चत करायें ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत खरीक प्रखंड के लक्खी यादव, पिता-कौशल किशोर यादव का दिनांक 25 फरवरी 2021 को सड़क दुर्घटना में ट्रक से धक्का लगने के कारण मौत हो गई ।

अतः सरकार से मृतक परिवार को पाँच लाख रूपये देने की मांग करता हूं।

श्री कृष्णनंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, पूर्वीचम्पारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि प्रखंड के हरसिद्धि बाजार से सटे पकड़िया रोड में धनौती नदी किनारे श्मशानघाट के खाली भूखण्ड पर शवदाह गृह का निर्माण जनहित में अतिआवश्यक है । यहां चार किलोमीटर के अंदर से मृतकों के लिए एकमात्र श्मशानघाट है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त भूखण्ड पर शवदाह गृह बनाया जाय ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, फुलवारीशरीफ विधानसभा का फुलवारी शहर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखता है । यहां के बच्चे और बच्चियों को औद्योगिक ट्रेनिंग लेने के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता है ।

अतः हमारी मांग है कि फुलवारीशरीफ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाय ।

श्री राकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, नालंदा जिला के इस्लामपुर थाना अध्यक्ष द्वारा बालू अवैध खनन एवं शराब माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है जिससे राजस्व की क्षति तथा सरकार की शराबबंदी कानून का उल्लंघन किया जा रहा है ।

अतः इस्लामपुर थाना प्रभारी के उक्त कार्यों का जांच कर कार्रवाई करें ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के आरा नगर निगम की जीविका दीदियों का मानदेय 10 माह से बाकी है । सी॰एम॰एम॰ कृष्णमुरारी पाण्डे व सी॰एम॰यू॰ प्रियंका राय 9 वर्षों से जमे हैं, जो दीदियों को हमेशा प्रताड़ित-अपमानित-शोषित करते हैं । रविवार को भी उनसे काम लिया जाता है । सरकार जनहित में वहां से सी॰एम॰एम॰-सी॰एम॰यू॰ को तत्काल हटाकर मानदेय का भुगतान करावें ।

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज बाजार से गुजरनेवाली एन॰एच॰-57 बाजार को दो भागों में बांटती है । आवागमन हेतु एकमात्र संकीर्ण अंडरपासवे जाम रहने के कारण लोग सीधे एन॰एच॰ पार करते वक्त दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं ।

उक्त स्थान पर अंडरपासवे के चौड़ीकरण की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

डॉ॰ मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के केवटी एवं सिंहवाड़ा प्रखण्ड के अन्तर्गत ग्राम बस्तवाड़ा, मधपुर, बहुआर में अतिक्रमणकारियों द्वारा श्मशान घाट का अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिससे शमशान की भूमि का अस्तित्व संकट में है सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच करते हुए श्मशान के अस्तित्व की रक्षा हेतु कार्रवाई करे ।

टर्न-8/ मुकुल-राहुल/01.03.2021

श्री पवन कुमार यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत गोराडीह प्रखंड के काशीमपुर में वर्ष 1999 में अधिगृहीत की गई जमीन पर अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण नहीं होने से इलाज करने में चिकित्सक एवं कर्मी को काफी कठिनाई होती है ।

अत: सरकार से अधिगृहीत जमीन पर भवन का निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री राज कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय एवं आसपास के क्षत्रों के महाविद्यालयों का संबद्धन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा से है जो भौगोलिक रूप से काफी दूर है। बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग वर्षों से लंबित है ।

अत: मैं बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में सरकार से मांग करता हूं ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव: अध्यक्ष महोदय, कल जहानाबाद सदर अस्पताल में लगभग पांच घंटे तक कोई भी चिकित्सक वहां पर नहीं रहे ।

अध्यक्ष: आप अलग से प्रश्न लायें । अब ध्यानाकर्षण सूचना लिये जायेंगे ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव: अध्यक्ष महोदय, वहां लगभग 24 डॉक्टर पदस्थापित हैं और एक भी डॉक्टर वहां पर, अस्पताल में मौजूद नहीं था और न सिविल सर्जन है, न एच0ई0एम0ओ0 है और न ही डिप्टी सुपरिंटेंडेंट है कोई भी वहां पर स्थायी रूप से नहीं है । अध्यक्ष महोदय, एक महीना से वहां पर सिविल सर्जन का पद खाली है ।

श्री जनक सिंह: अध्यक्ष महोदय, विगत बाढ़ में सारण तटबंध जो 0 से 126 किलोमीटर है । जगह-जगह पर टूट जाने के कारण, तटबंध अभी भी पूर्णरूप से बना नहीं है । दूसरी बात पानी के दबाव के कारण पथ निर्माण विभाग का पथ, ग्रामीण कार्य विभाग का पथ ये तीनों जो हैं तीनों विभाग से जुड़ा हुआ है । इसकी स्थिति अभी भी, उसको केवल ईंट देकर कर भर दिया गया है, कालीकरण नहीं हुआ है, पक्कीकरण नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष: आप इसे अलग से लाइये ।

श्री जनक सिंह: इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि.....

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री मोती लाल प्रसाद, दिलीप राय एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (गन्ना उद्योग विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मोती लाल प्रसाद जी, आप अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री मोती लाल प्रसाद जी: अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा चीनी मिल इस पेराई सत्र से बंद हो गया है, जिसके कारण हजारों किसानों का गन्ना खेतों में ही सूख रहा है । कोई खरीदार नहीं है । मिल मालिक द्वारा किसानों के गन्ना का बकाया एवं मजदूरों के वेतनादि का करोड़ों रुपयों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण किसानों एवं मिल मजदूरों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है साथ ही किसानों को बैंक का कर्जदार भी बना दिया गया है ।

अतएव किसानों एवं मिल मजदूरों के सभी बकाये का भुगतान कराने एवं किसानों के गन्ना खरीद नहीं होने के कारण हुए नुकसान के एवज में क्षतिपूर्ति हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, हम इसका जवाब अगले सप्ताह दे देंगे । मेरा मतलब है कि महोदय अगले सोमवार तक जवाब दे देंगे ।

सर्वश्री रत्नेश सादा, मेवालाल चौधरी एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री रत्नेश सादा, आप अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री रत्नेश सादा: अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में 20 लाख दिव्यांगों (विकलांगों) को जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के माध्यम से ए0टी0एम0 कार्ड की तर्ज पर यू0आई0डी0 कार्ड बनाने का प्रावधान तीन वर्ष पहले सरकार के द्वारा हुआ था, परन्तु धीमी गति रहने के कारण दिव्यांगों को यू0आई0डी0 कार्ड की सुविधा नहीं मिल पा रही है । जो दिव्यांग सिविल सर्जन के यहां बार-बार जाते हैं सिर्फ उन्हें ही को यू0आई0डी0 कार्ड की सुविधा मिल रही है, शेष वंचित रह जाते हैं । प्रत्येक दिव्यांगों का यू0आई0डी0 कार्ड बन जाने से उन्हें और किसी प्रामण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।

अत: दिव्यांगों के हित में प्रत्येक जिला के प्रत्येक प्रखण्ड के तीन पंचायतों को मिलाकर कलस्टर के माध्यम से दिव्यांगों को यू0आई0डी0 कार्ड बनाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः महोदय, प्रत्येक दिव्यांगों को एक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी करने हेतु युनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी परियोजना कार्यान्वित है । अभी तक राज्य में 1 लाख 8 हजार 582 युनिक डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं, नए दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने के पूर्व मेडिकल बोर्ड आयोजित करने की आवश्यकता होती है जिसके लिए प्रत्येक मंगलवार को सिविल सर्जन कार्यालय एवं चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मेडिकल बोर्ड नियमित रूप से आयोजित किया जाता है और युनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड निर्गत किया जाता है । वैसे दिव्यांगजन जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र पूर्व से बना हुआ है किन्तु यू0डी0आई0डी0 निर्गत नही है वे संबंधित पंचायत के कॉमन सर्विस सेंटर में स्थापित बुनियाद केन्द्र या स्वयं यू0डी0आई0डी0 के पोर्टल पर http://www.swavlambancard.gov.in पर अपने आधार कार्ड, फोटो एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑनलाईन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र सत्यापन एवं यू0डी0आई0डी0 कार्ड निर्गत हेतु आवेदन दे सकते हैं । 1 अप्रील, 2021 से सारे दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑनलाईन मोड में ही निर्गत किए जाएंगे । राज्य सरकार इस योजना को प्रचारित-प्रसारित करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों को सूचना दे रही है । महोदय, अखबारों में जो विज्ञापन निकलता है मेरे पास उसकी भी प्रति है ।

श्री रत्नेश सादाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विगत 3 वर्षों से यह योजना लागू है लेकिन सरकार द्वारा अभी तक यह काम धीमा ही रहा, पूरे बिहार में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी जाति, सभी धर्म के दिव्यांग लोग हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर दिव्यांग ए0टी0एम0 कार्ड बनाने का विचार रखती है ?

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्रीः महोदय, मैंने अपने जवाब में स्पष्ट कि जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र पूर्व से बना हुआ है और उनको यू0डी0आई0डी0 कार्ड उपलब्ध नहीं है, चूंकि यू0डी0आई0डी0 कार्ड की उपलब्धता के संबंध में माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की है । मैं एक बात यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है और यू0डी0आई0डी0 कार्ड नहीं है वे अपनी पंचायत के कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर यू0डी0आई0डी0 कार्ड बनवा सकते हैं और दूसरी बात यह है कि सिविल सर्जन कार्यालय में प्रत्येक मंगलवार को और पी0एच0सी0 में डॉक्टरों की उपलब्धता के आधार पर, बोर्ड के द्वारा जांच होती है जिसके द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है । माननीय सदस्य ने अभी कहा कि क्या सरकार पंचायतों में शिविर लगाकर दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने का विचार रखती है तो मैंने अपने जवाब में स्पष्ट बताया है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करने के पूर्व मेडिकल बोर्ड आयोजित करने की आवश्यकता होती है और प्रत्येक पंचायत में

मेडिकल बोर्ड गठित करने के लिए जितने चिकित्सकों की आवश्यकता होगी उतने चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो सकते हैं । इसलिए उसकी व्यवस्था यही बनी हुई है कि प्रखंड पर और जिले में जो व्यवस्था बनी हुई है उसके तहत काम भी होता है, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत वाजिब प्रश्न उठाया है । इसमें सबसे ज्यादा जागरूकता की जरूरत है इसके लिए सरकार की तरफ से दिव्यांगों के बीच विज्ञापन और प्रचार-प्रसार करके इस बात का प्रयास किया जाता है कि दिव्यांग लोग इन केन्द्रों पर आएं और उनको हम यू0डी0आई0डी0 कार्ड उपलब्ध कराएं और 1 अप्रील, 2021 के बाद सारे दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑनलाईन मोड में ही निर्गत होंगे ।

श्री मेवालाल चौधरी: महोदय, मेरा मूल प्रश्न है कि जो सर्टिफिकेट सब-डिवीजनल हॉस्पिटल में बन रहे हैं, मेरा माननीय मंत्री महोदय से पहला सवाल यही है कि जिस रफ्तार से ये कार्ड बन रहे हैं उस रफ्तार में तेजी लाई जा सकती है।(क्रमश:)

टर्न-9/यानपति-अंजली/01.03.2021

श्री मेवालाल चौधरी: नंबर-2 सी0एस0 के मर्जी पर ही सर्टिफिकेट इशू होती है और सर्टिफिकेट के लिए ही वहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है । सर, कोई लिमिटेशन नहीं है कि दस दिन के बाद, पंद्रह दिन के बाद या कंपलसरी डॉक्टर आयेंगे सब-डिवीजन हॉस्पिटल में और सर्टिफिकेट इशू करेंगे । ए0टी0एम0 कार्ड की बात बाद में आती है । महोदय, हम यही माननीय मंत्रीजी से जानना चाह रहे हैं ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: ए0टी0एम0 कार्ड नहीं महोदय, यू0डी0आई0डी0 कार्ड है यूनिक डिजिबलिटी आइडेंटिटी कार्ड है और महोदय मैंने स्पष्ट किया कि पंद्रह दिन, बीस दिन पर नहीं प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को यह कार्य जिला सदर अस्पताल में होता है । महोदय, निश्चित रूप से सदस्य के इस विचार से हम भी सहमत हैं कि यह संख्या और बढ़नी चाहिए इसीलिए तो जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं वह हमारे केंद्र पर आयें और उनको हम सर्टिफिकेट इशू करें, हमारी भी यही इच्छा है ।

श्री रत्नेश सादा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से.....

अध्यक्ष: आप अपना पूरक बंद कर दिये हैं वह प्रश्न नहीं है । बैठ जाइये आप । पवन जी बोलिए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से मेरा प्रश्न है कि सी0एस0 ने एक पत्र निकाला है कि तीन सदस्यीय कमिटी होगी तभी कोई विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत होगा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र तो जब अनुमंडल स्तर पर तीन तरह के

डॉक्टर हैं ही नहीं तो फिर अनुमंडल स्तर पर प्रमाण पत्र जारी कैसे होंगे । माननीय मंत्रीजी बताएं ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: महोदय, मेरे जवाब को सब सदस्य यदि प्रेम से सुनेंगे तो सब मिथक मन का खत्म हो जायेगा । बहुत स्पष्ट तरीके से मैंने कहा कि तीन डॉक्टर की जरूरत तो पड़ेगी ही, मैंने जवाब में ही कहा है कि मेडिकल बोर्ड आयोजित करना ही पड़ता है, कोई एक डॉक्टर सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता है नंबर-1 । नंबर-2, मैंने कहा कि सिविल सर्जन कार्यालय के अलावे, जिला सदर अस्पताल के अलावे जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अनुमंडल अस्पताल है, वहां चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर होता है । चूंकि विशेषज्ञ चिकित्सक की जरूरत पड़ती है, हम तो स्पष्ट जवाब में बोले हैं।

श्री पवन कुमार जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह होगा कि मंत्रीजी बताएं कि क्या अनुमंडल स्तर पर रोटेशन में ऐसी व्यवस्था हो सकती है । मान लीजिए कि पूर्वी चम्पारण में छह अनुमंडल हैं तो सी0एस0 अनुमंडल वाईज डेट निर्धारित करें कि एक दिन ढाका, एक दिन चकिया, एक दिन अरेरा ऐसे करके जिले 101 अनुमंडल हैं बिहार में तो अनुमंडल वाईज अगर होगा तो विकलांग, दिव्यांग जो होंगे उनको 40 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी...

अध्यक्ष: अब आप बैठ जाइए ।

श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री: अच्छा सुझाव है, दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष: अब ध्यानाकर्षण समाप्त हुआ । माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के तहत अधिसूचना संख्या एस0ओ0-206, दिनांक-16.07.2018 सहित कुल 212 अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति को सदन पटल पर रखता हूं । अध्यक्ष महोदय, 212 की संख्या है तो इसे नहीं पढ़कर कार्यवाही का हिस्सा मान लिया जाय ।

क्रमांक	अधिसूचना संख्या	दिनांक
01	एस0ओ0-206	16.07.2018
02	एस0ओ0-213	26.07.2018
03	एस0ओ0-211	26.07.2018
04	एस0ओ0-212	26.07.2018
05	एस0ओ0-214	26.07.2018
06	एस0ओ0-215	26.07.2018
07	एस0ओ0-216	26.07.2018
08	एस0ओ0-217	26.07.2018
09	एस0ओ0-218	26.07.2018
10	एस0ओ0-219	26.07.2018
11	एस0ओ0-220	06.08.2018
12	एस0ओ0-221	06.08.2018
13	एस0ओ0-222	09.08.2018
14	एस0ओ0-224	10.08.2018
15	एस0ओ0-225	10.08.2018
16	एस0ओ0-228	21.08.2018
17	एस0ओ0-231	07.09.2018
18	एस0ओ0-232	07.09.2018
19	एस0ओ0-233	10.09.2018

20	एस०ओ०—234	10.09.2018
21	एस०ओ०—235	10.09.2018
22	एस०ओ०—236	10.09.2018
23	एस०ओ०—237	10.09.2018
24	एस०ओ०—240	13.09.2018
25	एस०ओ०—238	13.09.2018
26	एस०ओ०—239	13.09.2018
27	एस०ओ०—244	20.09.2018
28	एस०ओ०—243	20.09.2018
29	एस०ओ०—260	09.10.2018
30	एस०ओ०—261	09.10.2018
31	एस०ओ०—262	23.10.2018
32	एस०ओ०—265	24.10.2018
33	एस०ओ०—266	26.10.2018
34	एस०ओ०—267	31.10.2018
35	एस०ओ०—269	05.11.2018
36	एस०ओ०—274	23.11.2018
37	एस०ओ०—275	11.12.2018
38	एस०ओ०—278	31.12.2018
39	एस०ओ०—279	31.12.2018
40	एस०ओ०—280	31.12.2018
41	एस०ओ०—281	31.12.2018
42	एस०ओ०— 282	31.12.2018
43	एस0ओ0—283	31.12.2018
44	एस०ओ०—284	31.12.2018
45	एस०ओ०—1	03.01.2019
46	एस०ओ०—2	03.01.2019
47	एस०ओ०—3	03.01.2019
48	एस०ओ०—4	03.01.2019
49	एस०ओ०—5	03.01.2019
50	एस०ओ०—6	03.01.2019

51	एस०ओ०–7	03.01.2019
52	एस०ओ०–8	03.01.2019
53	एस०ओ०–9	03.01.2019
54	एस०ओ०–10	03.01.2019
55	एस०ओ०–11	03.01.2019
56	एस०ओ०–12	03.01.2019
57	एस०ओ०–13	03.01.2019
58	एस०ओ०–14	14.01.2019
59	एस०ओ०–15	15.01.2019
60	एस०ओ०–16	17.01.2019
61	एस०ओ०–17	17.01.2019
62	एस०ओ०–18	17.01.2019
63	एस०ओ०–23	31.01.2019
64	एस०ओ०–24	31.01.2019
65	एस०ओ०–25	31.01.2019
66	एस०ओ०–26	31.01.2019
67	एस०ओ०–27	31.01.2019
68	एस०ओ०–28	11.02.2019
69	एस०ओ०–29	11.02.2019
70	एस०ओ०–30	11.02.2019
71	एस०ओ०–31	20.02.2019
72	एस०ओ०–32	20.02.2019
73	एस०ओ०–47	07.03.2019
74	एस०ओ०–48	07.03.2019
75	एस०ओ०–49	07.03.2019
76	एस०ओ०–50	07.03.2019
77	एस०ओ०–51	07.03.2019
78	एस०ओ०–52	07.03.2019
79	एस०ओ०–53	08.03.2019
80	एस०ओ०–70	29.03.2019
81	एस०ओ०–71	29.03.2019

82	एस०ओ०–72	29.03.2019
83	एस०ओ०–73	29.03.2019
84	एस०ओ०–74	29.03.2019
85	एस०ओ०–75	29.03.2019
86	एस०ओ०–76	29.03.2019
87	एस०ओ०–77	29.03.2019
88	एस०ओ०–84	09.04.2019
89	एस०ओ०–85	09.04.2019
90	एस०ओ०–86	09.04.2019
91	एस०ओ०–87	09.04.2019
92	एस०ओ०–211	08.05.2019
93	एस०ओ०–212	08.05.2019
94	एस०ओ०–213	08.05.2019
95	एस०ओ०–214	08.05.2019
96	एस०ओ०–215	10.05.2019
97	एस०ओ०–216	15.05.2019
98	एस०ओ०–218	07.06.2019
99	एस०ओ०–315	28.06.2019
100	एस०ओ०–316	01.07.2019
101	एस०ओ०–317	03.07.2019
102	एस०ओ०–318	03.07.2019
103	एस०ओ०–319	03.07.2019
104	एस०ओ०–320	03.07.2019
105	एस०ओ०–321	03.07.2019
106	एस०ओ०–322	03.07.2019
107	एस०ओ०–345	18.07.2019
108	एस०ओ०–346	18.07.2019
109	एस०ओ०–348	31.07.2019
110	एस०ओ०–349	31.07.2019
111	एस०ओ०–350	31.07.2019
112	एस०ओ०–352	21.08.2019

113	एस०ओ०—353	21.08.2019
114	एस०ओ०—354	28.08.2019
115	एस०ओ०—355	30.08.2019
116	एस०ओ०—356	02.09.2019
117	एस०ओ०—357	05.09.2019
118	एस०ओ०—359	27.09.2019
119	एस०ओ०—360	30.09.2019
120	एस०ओ०—361	30.09.2019
121	एस०ओ०—362	30.09.2019
122	एस०ओ०—363	30.09.2019
123	एस०ओ०—364	30.09.2019
124	एस०ओ०—365	30.09.2019
125	एस०ओ०—366	30.09.2019
126	एस०ओ०—367	30.09.2019
127	एस०ओ०—368	30.09.2019
128	एस०ओ०—369	30.09.2019
129	एस०ओ०—370	30.09.2019
130	एस०ओ०—371	30.09.2019
131	एस०ओ०—372	30.09.2019
132	एस०ओ०—385	14.10.2019
133	एस०ओ०—386	14.10.2019
134	एस०ओ०—387	14.10.2019
135	एस०ओ०—388	14.10.2019
136	एस०ओ०—389	14.10.2019
137	एस०ओ०—390	14.10.2019
138	एस०ओ०—393	25.10.2019
139	एस०ओ०—394	20.11.2019
140	एस०ओ०—396	22.11.2019
141	एस०ओ०—397	27.11.2019
142	एस०ओ०—398	27.11.2019
143	एस०ओ०—399	11.12.2019

144	एस०ओ०—400	26.12.2019
145	एस०ओ०—401	26.12.2019
146	एस०ओ०—402	26.12.2019
147	एस०ओ०—403	26.12.2019
148	एस०ओ०—404	26.12.2019
149	एस०ओ०—409	31.12.2019
150	एस०ओ०—410	31.12.2019
151	एस०ओ०—411	31.12.2019
152	एस०ओ०—412	31.12.2019
153	एस०ओ०—413	31.12.2019
154	एस०ओ०—414	31.12.2019
155	एस०ओ०—415	31.12.2019
156	एस०ओ०—75	13.01.2020
157	एस०ओ०—79	16.01.2020
158	एस०ओ०—83	27.01.2020
159	एस०ओ०—84	12.02.2020
160	एस०ओ०—85	12.02.2020
161	एस०ओ०—86	17.02.2020
162	एस०ओ०—87	25.02.2020
163	एस०ओ०—90	17.03.2020
164	एस०ओ०—97	30.03.2020
165	एस०ओ०—98	30.03.2020
166	एस०ओ०—107	06.05.2020
167	एस०ओ०—108	06.05.2020
168	एस०ओ०—109	06.05.2020
169	एस०ओ०—110	06.05.2020
170	एस०ओ०—111	06.05.2020
170	एस०ओ०—112	06.05.2020
172	एस०ओ०—113	06.05.2020
173	एस०ओ०—114	06.05.2020
174	एस०ओ०—115	06.05.2020

175	एस०ओ०–116	06.05.2020
176	एस०ओ०–117	06.05.2020
177	एस०ओ०–118	06.05.2020
178	एस०ओ०–119	06.05.2020
179	एस०ओ०–120	06.05.2020
180	एस०ओ०–121	06.05.2020
181	एस०ओ०–122	06.05.2020
182	एस०ओ०–123	06.05.2020
183	एस०ओ०–124	14.05.2020
184	एस०ओ०–125	14.05.2020
185	एस०ओ०–126	14.05.2020
186	एस०ओ०–129	09.06.2020
187	एस०ओ०–130	22.06.2020
188	एस०ओ०–131	22.06.2020
189	एस०ओ०–132	22.06.2020
190	एस०ओ०–133	30.06.2020
191	एस०ओ०–134	02.07.2020
192	एस०ओ०–144	07.08.2020
193	एस०ओ०–145	07.08.2020
194	एस०ओ०–146	07.08.2020
195	एस०ओ०–147	07.08.2020
196	एस०ओ०–148	10.08.2020
197	एस०ओ०–149	10.08.2020
198	एस०ओ०–150	10.08.2020
199	एस०ओ०–151	10.08.2020
200	एस०ओ०–152	10.08.2020
201	एस०ओ०–153	10.08.2020
202	एस०ओ०–154	10.08.2020
203	एस०ओ०–155	18.08.2020
204	एस०ओ०–156	18.08.2020
205	एस०ओ०–157	18.08.2020

206	एस0ओ0-158	24.08.2020
207	एस0ओ0-159	24.08.2020
208	एस0ओ0-160	28.08.2020
209	एस0ओ0-161	04.09.2020
210	एस0ओ0-162	09.09.2020
211	एस0ओ0-163	09.09.2020
212	एस0ओ0-182	16.10.2020

अध्यक्ष: वाणिज्य-कर विभाग द्वारा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के तहत सदन पटल पर रखी गयी अधिसूचनाओं की प्रति सभा मेज पर 30 दिनों तक रखी रहेगी ।

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 99 के तहत अधिसूचना संख्या एस0ओ0-223, दिनांक- 10.08.2018, एस0ओ0-259, दिनांक-05.10.2018, एस0ओ0-46, दिनांक- 05.03.2019, एस0ओ0-392, दिनांक-24.10.2019, एस0ओ0-76, 77 एवं 78, दिनांक-15.01.2020, एस0ओ0-105, 106, दिनांक-13.04.2020, एस0ओ0-127, दिनांक-18.05.2020, एस0ओ0-135, दिनांक-02.07.2020 तथा एस0ओ0-166, 167, 168, दिनांक-21.09. 2020 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष: बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 99 के तहत अधिसूचना संख्या एस0ओ0-223, दिनांक-10.08.2018, एस0ओ0-259, दिनांक-05.10.2018, एस0ओ0-46, दिनांक-05.03.2019, एस0ओ0-392, दिनांक-24.10.2019, एस0ओ0-76, 77, 78, दिनांक-15.01.2020, एस0ओ0-105, 106, दिनांक- 13.04.2020, एस0ओ0-127, दिनांक-18.05.2020, एस0ओ0-135, दिनांक- 02.07.2020 तथा एस0ओ0-166, 167, 168, दिनांक-21.09.2020 की एक-एक प्रति सदन पटल पर 14 दिनों तक रखी रहेगी ।

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उपमुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 की धारा 22(3) के तहत् अधिसूचना संख्या एस0ओ0- 164, दिनांक- 11.09.2020 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष: बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 की धारा 22(3) के तहत अधिसूचना संख्या एस0ओ0 164, दिनांक 11.09.2020 की प्रति सदन पटल पर 14 दिनों तक रखी रहेगी ।

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उपमुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विज्ञापन कर अधिनियम, 2007 की धारा 37(3) के तहत् अधिसूचना संख्या एस0ओ0-139, दिनांक- 02.07.2020 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष: बिहार विज्ञापन कर अधिनियम, 2007 की धारा 37(3) के तहत् अधिसूचना संख्या एस0ओ0-139, दिनांक- 02.07.2020 की प्रति सदन पटल पर 14 दिनों तक रखी रहेगी।

माननीय प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उपमुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा 20(2) के तहत् अधिसूचना संख्या एस0ओ0-138, दिनांक- 02.07.2020 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष: बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 की धारा 20(2) के तहत् अधिसूचना संख्या एस0ओ0-138, दिनांक 02.07.2020 की प्रति सदन पटल पर 14 दिनों तक रखी रहेगी ।

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उपमुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा 9(4) के तहत् अधिसूचना संख्या एस0ओ0-136, दिनांक- 02.07.2020 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष: बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, व्यवहार अथवा बिक्री के लिए मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993 की धारा 9(4) के तहत् अधिसूचना संख्या एस0ओ0-136, दिनांक- 02.07.2020 की प्रति सदन पटल पर 14 दिनों तक रखी रहेगी ।

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उपमुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा 18(2) के तहत् अधिसूचना संख्या एस0ओ0-272, 273, दिनांक- 20.11.2018; एस0ओ0-323, दिनांक- 11.07.2019 एवं एस0ओ0- 140, दिनांक- 02.07.2020 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष: बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा 18(2) के तहत् अधिसूचना संख्या एस0ओ0- 272, 273, दिनांक- 20.11.2018; एस0ओ0-323, दिनांक- 11.07.2019 एवं एस0ओ0-140, दिनांक-02.07.2020 की प्रति सदन पटल पर 14 दिनों तक रखी रहेगी ।

माननीय प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग ।

टर्न-10/मधुप/01.03.2021

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 सपठित बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की धारा 37 के तहत् अधिसूचना संख्या एस0ओ0-137, दिनांक-02.07.2020 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 सहपठित बिहार प्रत्यायोजित विधान उपबंध अधिनियम, 2013 की धारा 37 के तहत् अधिसूचना संख्या एस0ओ0-137, दिनांक-02.07.2020 की प्रति सदन पटल पर 14 दिनों तक रखी रहेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज अल्पसूचित प्रश्न 2 थे, दोनों का उत्तर आया है 100 प्रतिशत ।

तारांकित प्रश्न कुल प्रश्न थे 79 उसमें 72 का उत्तर आया, 91 प्रतिशत का जवाब आया हुआ था, गृह विभाग का 94 प्रतिशत, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का 0 प्रतिशत, उनका जवाब नहीं आया है, वित्त विभाग का 100 प्रतिशत, उद्योग विभाग का भी 90 प्रतिशत, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का 100 प्रतिशत, गन्ना उद्योग विभाग का 75 प्रतिशत, सूचना प्रावैधिकी विभाग का 100 प्रतिशत, सामान्य प्रशासन विभाग का 100 प्रतिशत ।

अब सभा की कार्यवाही 2:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(अन्तराल)

टर्न-11/सत्येन्द्र/01-03-21

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृषि विभाग की अनुदान की मांग पर वाद विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा। इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है। इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा।

राष्ट्रीय जनता दल	-	56 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	55 मिनट
जनता दल युनाइटेड	-	33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	14 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	-	09 मिनट
ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन	-	04 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	03 मिनट
विकासशील इंसान पार्टी	-	03 मिनट
सी0पी0आई0एम0	-	01 मिनट
सी0पी0आई0	-	01 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	-	01 मिनट

माननीय मंत्री, कृषि विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह,मंत्री: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ....

श्री सत्यदेव राम: अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: इनको बोल लेने दीजिये।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह,मंत्री: अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"कृषि विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान हो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 33,35,47,43,000/-(तैंतीस अरब पैंतीस करोड़ सैंतालीस लाख तैंतालीस हजार) रू0 से अनधिक राशि प्रदान की जाय।"

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्ष: इस मांग पर माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे, श्री राजेश कुमार, श्री अजीत शर्मा, श्री सत्यदेव राम, श्री अख्तरूल ईमान, श्री सुधाकर सिंह एवं श्री महबूब आलम से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये सभी व्यापक हैं, जिस पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं। माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे का प्रस्ताव प्रथम है। अतएव माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री विजय शंकर दूबे: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''इस शीर्षक की मांग 10/-रू0 से घटायी जाय।''

अध्यक्ष महोदय..

श्री सत्यदेव राम: अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का सवाल है, सूचना देना है, सरकार सूचना ग्रहण करे। सरकार ने लोगों से वायदा किया था रोजगार देने का, नौकरी देने का..

(व्यवधान)

अध्यक्ष: बैठिये। अब आप अपना शुरू कीजिये।

श्री सत्यदेव राम: अध्यक्ष महोदय, इस सदन के तीन माननीय सदस्य बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। पुलिस ने पीट पीट कर उनको घायल कर दिया है। इस पर सरकार को जानकारी देनी होगी। (व्यवधान) पुलिस तीन माननीय सदस्यों को लाठी से बुरी तरह से पीटकर के गांधी मैदान में पस्त कर दिया है और नौजवानों की पिटाई हुई है। ये बर्बर लाठी चार्ज हुआ है महोदय, लोग तो आये थे नौकरी मांगने और उन लोगों को लाठी मिला है महोदय, इस सवाल पर सरकार को जवाब देना चाहिए महोदय, सरकार जवाब दे।

अध्यक्ष: ठीक है। सूचना ग्रहण किये हैं, अब उनको बोलने दीजिये। बैठ जाईए आप।

(व्यवधान)

सूचना आपने दी, सूचना ग्रहण किये । चलिये, बोलिये विजय जी।

श्री सत्येदव राम: माननीय सदस्यों की पिटाई हुई है..

श्री विजय शंकर दूबे: अब तो बैठ जाईए, सूचना दे दिया आपने।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अब बैठ जाईए, बोलने दीजिये न उनको। सूचना आप दे दिये न?

(व्यवधान)

श्री विजय शंकर दूबे: अरे भाई हो गया, सूचना दे दिया आपने।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम: महोदय, सरकार को इस पर वक्तव्य देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं मांग करता हूँ कि सरकार इस पर अपना बयान दे।

अध्यक्ष: आप बैठ जाईए।

श्री विजय शंकर दूबे: अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश..

अध्यक्ष: सुदामा जी बैठ जाईए ।

श्री विजय शंकर दूबे: महोदय, झारखंड के बंटवारे के बाद इस बिहार में खेती, बालू और पानी रह गया, उद्योग सारे झारखंड चले गये । उस विवाद की ओर मैं नहीं जाना चाहता लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ अब बिहार को आगे बढ़ाने के लिए कृषि और कृषि पर आधारित उद्योग को बढ़ावा देना पड़ेगा, इसके अलावे कोई और उपाय नहीं है। महोदय, उसके बाद से सरकारें जो भी सरकारें आयीं, 15 वर्ष लालू राबड़ी जी की और 15 वर्ष नीतीश कुमार की हुकूमत 30 वर्ष चली, कोई उद्योग धंघा या बेरोजगारी को दूर करने के लिए राज्य में उपाय नहीं हुए। कृषि के क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए, कृषि अनुसंधान पर जो खर्च होना चाहिए वह खर्च नहीं हुआ और महोदय आज कृषि के डिमांड के साथ माननीय मंत्री के विभाग के साथ गन्ना उद्योग विभाग, सहकारिता विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग गिलोटीन में शामिल है। मैं महोदय इसलिए इस डिमांड के मांग पर कटौती का प्रस्ताव लाया हूँ कि ये सारे विभाग कृषि से लेकर ये गिलोटीन वाले तीनों विभाग में फरवरी माह बीत गया और जो पिछले वर्ष के आवंटित पैसे थे इन सारे विभागों में, ससमय पैसा खर्च नहीं हुए, मतलब इस सरकार को खर्च करने की कैपिसिटी नहीं है। अधिकारी जितना बिहार में चाहिए, इंजीनियर जितना बिहार में चाहिए, नहीं है तो कैसे काम होगा, कैसे पैसा व्यय होगा तो महोदय सदन में सरकार आती है विभाग के मंत्री डिमांड रखते हैं उस पर सदन विचार करता है और सदन प्रस्ताव पारित करता है । सदन में विरोध भी होता है विपक्ष के लोग विरोध करते हैं और सुझाव भी देते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन सारे विभाग को खर्च करने की क्षमता नहीं है इसीलिए इनको इतने पैसे मांगने का भी हक नहीं है महोदय, कृषि विभाग के संबंध में राज्य में महोदय 3229 ग्राम पंचायतें हैं और उसमें महोदय 2020-21 में कृषि इनपुट अनुदान में 3229 ग्राम पंचायतों को कृषि इनपुट अनुदान इन्होंने दिया है। सहकारिता के क्षेत्र में कृषि के लिए इनपुट अनुदान नहीं दे सकते हैं, ये तो केवल 3229 पंचायतों को दिया है और महोदय हमारे सी0पी0आई(माले) के लीडर चिन्तित थे कि हमारा जिला तो इसमें शामिल नहीं है। मैंने सूची जब इनको दिखलाया तो सूची में शामिल नहीं है इधर महोदय, अररिया, कटिहार, पूर्णिया और सुपौल के 337 पंचायतों को कृषि इनपुट अनुदान में शामिल किया गया है । ये राज्य की स्थिति है महोदय, यह कृषि प्रधान प्रदेश और यहां किसान टोटल हैं 76 प्रतिशत, किसानी पर राज्य में लोग निर्भर हैं और कृषि इनपुट अनुदान केवल 38 प्रतिशत लोगों को नीतीश बाबू की हुकूमत कृषि इनपुट अनुदान दे रही है। महोदय, इसमें नगर पंचायत और पंचायत दोनों शामिल है। इधर 22 नगर पंचायतों को भी शामिल किया गया है । मैं मांग कर रहा था एक प्रश्न के माध्यम से तारांकित प्रश्न

के माध्यम से उस दिन और महोदय मुझे वेल में जाना पड़ा आपसे निवेदन करने के लिए।(क्रमश:)

टर्न-12/आजाद/01.03.2021

...... क्रमश: ......

श्री विजय शंकर दूबे : बड़ा जायज मांग है महाराजगंज के किसानों की, मैं जांच की मांग करता था और माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि हम सदन की कमेटी से भी जॉच करा देंगे लेकिन आसन की ओर से कह दिया गया कि पहले विभागीय स्तर से इसकी जॉच हो जाय, उसके बाद अगर सदस्य संतुष्ट नहीं होंगे तो सदन की कमेटी जॉच करेगी । मैं कहना चाहता हूँ महोदय कि उस महाराजगंज नगर पंचायत के लोगों का कृषि इनपुट अनुदान 2016-17 और 2017-18 में सरकार दे रही है लेकिन कृषि इनपुट अनुदान में उस नगर पंचायत को शामिल करने से मना कर रही है, शामिल नहीं कर रही है । महोदय, इस बार भी वहां के किसान आवेदन दिये हैं और जब हमारा प्रश्न स्वीकृत हुआ आपके सभा सचिवालय से और जब फील्ड में गया तो उस वक्त एक ऑब्जेक्शन लगाकर के सारे किसानों के आवेदन को फाड़ दिया गया है, खतम किया गया कि यह 35 प्रतिशत के शर्त्तो को पूरा नहीं करता है । अगर पूरा नहीं किया तो 2016-17 एवं 2017-18 में कृषि इनपुट अनुदान क्यों दिया गया और महोदय, जब 22 नगर पंचायत शामिल है तो महाराजगंज नगर पंचायत को क्यों नहीं शामिल किया गया, महाराजगंज नगर पंचायत का क्या कसूर है ? वहां 6678 एकड़ जमीन में खेती होती है । विभाग के अधिकारी एक्जामिन करें, उस नगर पंचायत में किसानी होती है या नहीं और उन किसानों का फसल इस साल मारी गई है या नहीं, वे लोग कृषि इनपुट के लिए फिट है या नहीं, 35 प्रतिशत कौन कहे बर्बादी का, वहां पर तो फसल 100 प्रतिशत पानी से बर्बाद हो गयी है । भदई तो हुई नहीं और रब्बी की फसल भी जल-जमाव के कारण किसान अपना लगा नहीं सकें हैं, बो नहीं सके हैं, यह हालात है उस नगर पंचायत का । माननीय मंत्री जी ने घोषणा किया जॉच भी करा रहे हैं, जॉच करायें और विभाग के लोग एक्जामिन करें और उस जॉच में विभाग के लोग ईमानदारी से विवेचना करके जॉच करके महाराजगंज नगर पंचायत को शामिल करे, यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ । महोदय, हमारे दल का 14 मिनट समय है, दूसरे साथी बोलने वाले हैं सिद्धार्थ जी, उनका नाम मैं पुकारता हूँ, बोलने की इजाजत आसन से दिया जाय । महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार कृषि बजट 2021-22 के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ और बिहार के किसानों की बदहाली अब देश और

दुनिया से छिपी हुई नहीं है । भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है । बिहार समाजवादियों की धरती रही है और यहां पर किसानों की महत्ता इसलिए भी अधिक है कि बिहार कोई कृषि प्रधान राज्य नहीं कृषि राज्य है । कृषि प्रधान राज्य तो वह होगा जहां पर 20-25 प्रतिशत निर्भरता वहां के उद्योगों पर होगा और बाकी कृषि पर आधारित होंगे लेकिन बिहार में तो लगभग 90 प्रतिशत कृषि पर निर्भरता है यहां के लोगों की और हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसान है जो मछली पालन से लेकर और एलाईड एग्रीकल्चर के जिस फील्ड में काम कर रहे हैं सबलोग किसान हैं । सदन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है और वह किसान नहीं है । ऐसे में किसानों की समस्याओं से मुँह मोरना और उसे उपेक्षित रखना अच्छी बात नहीं है । आज देश में तीन कृषि बिल के विरूद्ध देश के किसान आन्दोलित हैं और ऐसे में उनका समर्थन नहीं करना यह बहुत बड़ी बेईमानी होगी और वैसे लोगों को किसानों का मत लेने का कोई अधिकार नहीं है जो लोग किसान आन्दोलन का विरोध कर रहे हैं । किसान आन्दोलन में बहुत सारा जिस्ट है, उसके उद्देश्य जो है, उसमें सारे उद्देश्य बिहार के किसानों से जुड़े हुए हैं । अब यह बात अलग है कि बिहार में कम रकवा के किसान ज्यादा हैं या फिर बटाईदार किसान ज्यादा हैं । महोदय, भारत सरकार के कृषि आयोग की सूची में बटाईदार किसान भी किसान हैं और उन किसानों की जो व्यथा है, तमाम किसानों की जो व्यथा है वह कहने योग्य नहीं है लेकिन उसके बावजूद कहना पड़ता है क्योंकि समाधान यही से निकलना है महोदय । मैं यह नहीं समझता कि किसानों की हक की बात जब की जाय तो कहीं विरोध या सर्मथन की बात होगी । सरकार ने लगभग 33 अरब 35 करोड़ रू0 के बजट का प्रावधान किया है, मांगें रखी हैं और यह एक बड़ा साईज है और समय के साथ यह साईज बढ़ता जाता है । इनफ्लेशन रेट के साथ, महंगाई के साथ और तमाम ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हर बजट में इसके प्रावधान बढ़ते जाते हैं । यह कोई सरकार की उपलब्धि या अनुपलब्धि का मामला नहीं है । हमारे साथी हमेशा बजट के साईज के बारे में टिप्पणी करते रहते हैं लेकिन सच बात यह है कि जिन दिनों बजट हजार करोड़ रू0 भी हुआ करता होगा उन दिनों भी इनफ्लेशन रेट था, महंगाई दर जो थी, उसी के अनुरूप थी । इसलिए वह उस समय कम था लेकिन आज समय के बदलाव के साथ पूरी दुनिया में यह बदलाव आ रहा है । विश्व बैंक की मदद के बाद, 2002 के बाद बजट का साईज हर जगह बढ़ा । यह किसी एक सरकार की उपलब्धि नहीं कह सकते हैं । हर जगह मांगें बढ़ी, हर जगह उसके आपूर्तियां बढ़ी इसलिए बजट का साईज बढ़ा लेकिन बजट का इस्तेमाल बजट के पैसों का इस्तेमाल कहां-कहां होता है, इस बात पर भी कड़ी नजर रखने की जरूरत है ।

महोदय, हम बताना चाह रहे हैं कि बिहार के किसानों की बदहाली का इनडेक्स यहां के प्रति किसान प्रति माह आमदनी पर यदि नजर डालें तो वह 3558 रू0 प्रतिमाह प्रति किसान है और यह देश में सबसे कम है । देश में जितने भी राज्य हैं उन सब किसानों की जो आय है, उसमें सबसे कम आय यहां के किसानों की है और सबसे ज्यादा कहां है पंजाब में 18059 रू0, यह पंजाब की स्थिति है । यह क्यों हैं, तुलनात्मक अध्ययन अगर करें और उसके जो रिपोर्ट आये हैं अगर उसको देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कहीं ए0पी0एम0सी0 एक्ट का खतम होना तो इसका कारण नहीं है । ए0पी0एम0सी0 एक्ट की वजह से लगभग 1840 मंडियां पंजाब में काम कर रही है और उन मंडियों के माध्यम से किसानों की जो ऊपज है, उसकी सरकारी दर या कम्पीटरी रेट पर उसकी खरीद होती है । इसलिए वहां के जो किसान हैं और वहां सिर्फ धान का मामला नहीं है, दलहन, तेलहन और तमाम ऐसे फसलें जिसकी उपयोगिता है उसकी खरीद बिक्री वहां होती है । इसलिए वहां के किसानों की आय हमारे यहां से ज्यादा है । हमारे यहां के 5 बिगहा जमीन वाले किसान पंजाब के 5 बिगहा वाले किसान के यहां नौकरी कर रहे हैं और उनके खेतों की उत्पादकता बढ़ा रहे हैं । महोदय, यह हमलोगों के लिए शर्म की बात है ।

..... क्रमशः ......

टर्न-13/शंभु/01.03.21

श्री आलोक कुमार मेहता : क्रमशः..सरकार कहती है कि पलायन रूक गया । मैं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में अगर कोई घटना हुई और पीट-पीट कर वहां के बिहारियों को भगाया गया और उससे लोग वापस आ गये तो यह पलायन रूका नहीं । यह शर्म की बात है कि हमारे यहां जो मनीआर्डर इकॉनोमी की परंपरा रही है, हमारे यहां के किसान, मजदूर बाहर जाकर काम करते हैं, मनीआर्डर अपने पिता के यहां भेजते हैं उसी से बहुत बड़ी संख्या में यहां के परिवार चलते हैं वही मनीआर्डर इकॉनोमी अभी के जमाने में भी चल रहा है । इसको एक ट्रांजिशन देने की जरूरत है जो सरकार के बजट में बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है । हमलोग भी सरकार में थे प्रयास किये गये, लेकिन जो आज की स्थिति है, जितनी भी कृषि की योजनाएं हैं अधिकांश भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर चढ़ी हुई है और कहीं भी कृषि उपादानों पर सबसिडी का मामला हो या फिर किसी भी तरह जुगाड़ और रास्ते खोजे जाते हैं कि किसानों से पैसा कैसे लिया जाय । यदि आप उनके एकाउंट में भेज रहे हैं तो एकाउंट में तब तक नहीं भेजा जायेगा जब तक कुछ जुगाड़ नहीं हो जाय और ऐसे जुगाड़ बड़े ही अप्रत्यक्ष रूप से होता है । सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए । ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग लगे हुए हैं इसमें वे इस बात को मानकर चल रहे हैं कि सब काम करना है, साक्ष्य नहीं छोड़ना है और इसी प्रिंसपल

पर मुझे लगता है कि यदि इसपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो यही माना जायेगा कि सरकार से ऐसे लोगों को शह मिल रहा है । बिहार में धान की खरीद छोड़कर कोई खरीद नहीं हो रहा है । पैक्स के माध्यम से धान की खरीद होती रही है और पैक्स के माध्यम से जो धान की खरीद हुई, यह सहकारिता का मामला है, सहकारिता के माध्यम से खरीदा जा रहा है, लेकिन है कृषि और किसान का मामला तो जो खरीद है सिर्फ उसका आंकड़ा बढ़ाने से मैं समझता हूँ कि वह उपलब्धि वैसी नहीं हो सकेगी जिसकी वजह से यह खरीद की व्यवस्था की गयी है । खरीद की व्यवस्था इसलिए की गयी है कि किसानों को अधिक उत्पादन का दंड नहीं भुगतना पड़े । किसान यदि अधिक उत्पादन करते हैं तो हायर सप्लाय लोअर द प्राइस के प्रिंसपुल पर मार्केट में उसका प्राइस घट जाता है । सरकार को तब तक खरीदना चाहिए जब कि वह संतुलन न बने और मार्केट का प्राइस उपर नहीं आये । जब सरकार खरीदेगी तो मार्केट में उस अन्न की किल्लत अपेक्षाकृत होगी तब उसका दाम उपर जायेगा और लागत से उपर लाभ किसानों को मिल पायेगा । यदि 1 करोड़ 30 लाख मिट्रिक टन बिहार में धान का उत्पादन 1 करोड़ 20 से 30 लाख होता रहा है तो कोई नहीं कहता है कि आप 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख खरीद लीजिए, लेकिन इतना जरूर कहना होगा कि 30 से 40 प्रतिशत धान यदि आप खरीदेंगे तो मार्केट में सप्लाय की कमी होने की वजह से औनेपौने दाम पर जो बिचौलिये खरीदकर ले जा रहे हैं वे नहीं ले जायेंगे । यह अच्छी बात है कि मार्केट का प्राइस बढ़कर एटपार आ जाय, जो आपने सपोर्ट प्राइस दिया है उसके बराबर आ जाय तब तक सरकार को धान की खरीद करनी चाहिए जब तक वह सपोर्ट प्राइस के बराबर मार्केट प्राइस नहीं आ जाता है । यह उद्देश्य होना चाहिए धान खरीद का तभी धान के उत्पादकों को भायबेलिटी मिल पायेगी नहीं तो धीरे-धीरे किसान धान उपजाना छोड़ देंगे । कोई ऐसी दूसरी वस्तु नहीं है जिसकी खरीद हो रही है, कही गयी मक्का की बात, गेहूं की बात, दलहन की बात, तेलहन की बात यदि सरकार उस माध्यम से भी व्यवस्था करती है तो उसके लिए जो सी0सी0 लिमिट की बात है, मैं कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में एक टार्गेट फिक्स कर दिया जाता है कि इतना खरीदना है, पैक्स को कह दिया जाता है कि 3 हजार मिट्रिक टन खरीदना है । आप टार्गेट जो फिक्स कर रहे हैं एक्चुअली यह लोअर टार्गेट है, लोअर टार्गेट होना चाहिए और 3 हजार मिट्रिक टन यदि खरीद रहे हैं वे लोग, 3 हजार क्वींटल खरीद रहे हैं तो 3 हजार के बराबर आप सी0सी0 दे रहे हैं । आप सी0सी0 जब तक नहीं बढ़ायेंगे तब तक समय पर धान की खरीद - मैं पैक्स के अध्यक्ष और उनकी कमिटी के लोगों का दर्द भी समझता हूँ, चूंकि मैंने जो समझा है उसके हिसाब से ये है कि जब तक उनके पास सी0सी0 में पैसा नहीं रहेगा तब तक किसानों को 24 घंटा के अंदर पैसा नहीं दे पायेंगे और तब तक किसानों के धान का

उठाव नहीं हो पायेगा । इसलिए यह व्यवस्था कभी स्मूथ नहीं हो सकती जब तक सरकार उनको कम दर पर ऋण, सी0सी0 लिमिट जब तक उनको उपलब्ध नहीं करायेगी स्वामीनाथन कमिटी की रिपोर्ट के हिसाब से 4 प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए था । जिन राज्यों ने भी उसमें भाजपा शासित भी राज्य है, जिन राज्यों ने भी स्वामीनाथन कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर अपनी कृषि व्यवस्था को ढालने का काम किया है उन राज्यों में किसानों की आय बिहार की अपेक्षा दुगुनी चौगुणी है । इसमें पंजाब राज्य भी था जिसमें पहले से यह चल रहा था । महोदय, ये तीन कृषि कानून आये और पूरे देश के किसान आंदोलित हैं । इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं । एक है जमाखोरी बनाम भंडारण- जब एस0एफ0सी0 और एफ0सी0आइ0 धान का हो चाहे किसी भी अन्न का उठाव करके रखना हो तो उसे रखती थी । सरकार एक वेलफेयर गवर्नमेंट है इस बात को ध्यान में रखना चाहिए । महोदय, मैं सरकार को इस माध्यम से याद दिलाना चाहता हूँ क्योंकि अपने निर्णयों में बार-बार सरकार कहती है कि यह वेलफेयर स्टेट है । भारत वेलफेयर स्टेट है और बिहार वेलफेयर स्टेट का हिस्सा है । इसलिए कल्याणकारी फैक्टर जो है वह आपके निर्णय में दिखलायी पड़ना चाहिए । विगत दिनों में जो निर्णय लिये गये भारत सरकार के द्वारा कृषि कानून को लाकर उसमें नहीं दिखलायाी पड़ रहे हैं । एस0एफ0सी0, एफ0सी0आइ0 भंडारण करता था, पैक्स के माध्यम से जो उठाव हो या जिस किसी भी माध्यम से हो, मंडी के माध्यम से तो उसमें सरकार का कोई प्रोफिट ऐड नहीं होता था बल्कि सबसिडी होती थी और जो जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था है उसके माध्यम से गरीब लोगों को वह अन्न गरीबों तक पहुंचाया जाता था, लेकिन फख कीजिए कि ये जो बड़े-बड़े अल्युमिनियम के गोदाम बनाये गये हैं पूरे देश में और बिहार में कटिहार में और मैं समझता हूँ कि हाजीपुर में भी एक ऐसा ही दिख रहा है ये बन जाने के बाद ये कानून लागू हुआ तब पता चला कि ये गोदाम किस चीज का है । महोदय, अंबानी और अडाणी जी को कैसे पता था कि ये कानून आनेवाला है । इतनी बड़ी संख्या में गोदाम बनाये गये ये कोई वेलफेयर ओरियेंटेंड भंडारण के लिए नहीं बनाये गये हैं । इसको जमाखोरी कहते हैं, जब छोटे दूकानदार सौ दो सौ बोरा उनके गोदाम में गेहूं पकड़ा जाता था उनपर छापा पड़ता था तो उनको अपराध की कैटेगरी में रखकर उनको जेल भेज दिया जाता था और ये अडाणी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति, बड़े पूँजीपति इन लोगों ने जो भंडारण का ठेका लिया है इसके माध्यम से यह आपको लगता है महोदय कि ये बिना किसी प्रोफिट के काम करनेवाले हैं । सरकार की एस0एफ0सी0 और एफ0सी0आइ0 वेलफेयर ओरियेंटेशन के साथ काम करती थी जबकि ये प्राइवेट और पूँजीपति लोगों को जिम्मेवारी देंगे तो ये अपना प्रोफिट उसमें जोड़ेंगे । आपके और हमारे एम0एस0पी0 का मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य का बिलकुल ही उनको

ध्यान नहीं होगा और सरकार यदि कहती है कि एम0एस0पी0 सुरक्षित रहेगा तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार यह भी बोले कि एम0एस0पी0 कौन निर्धारित करेगा । आज हो सकता है दिखलाने के लिए कह दे कि सरकार निर्धारित करेगी, लेकिन सरकार जो निर्धारित करेगी क्या गारंटी है कि सरकार आज के तर्ज पर आम किसानों का लागत खर्च और उसके बाद उससे होनेवाले प्रोफिट को कुछ जोड़कर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है । स्वामीनाथन कमिटी की रिपोर्ट में कहा था कि जो लागत खर्च हो उसका कम से कम डेढ़ गुणा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करें और ये फार्मूला आगे भी चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है । इसलिए कि स्वामीनाथन कमिटी की रिपोर्ट कोई मैनडेटरी नहीं थी वह एडवाइजरी रिपोर्ट थी और यू0पी0ए0 1 और 2 की सरकार ने इसको सभी राज्यों को और केन्द्र को भेजा गया था कि इस बात पर विचार करें ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मैं भारत सरकार के कृषि एडवाइजरी कमिटी का भी मेंबर रहा हूँ तो मैं जानता हूँ मैं उस कमिटी में था और मुझे याद है कि स्वामीनाथन कमिटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए सभी राज्यों को यह एडवाइस दिया गया था, लेकिन जिन राज्यों ने उसे लागू किया वहां के किसान आज खुशहाल हैं, जिन लोगों ने लागू नहीं किया वहां के किसान बदहाल हैं ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

टर्न-14/ज्योति/01-03-2021

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है । इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि किसान के साथ ...

अध्यक्ष : आगे के वक्ता का समय आप में जोड़ दिया जायेगा ।

श्री आलोक कुमार मेहता : किसान के साथ कृषि आधाारित उद्योग - बिहार में पूरी दुनिया और देश में लोग जानते हैं कि कोई इंडस्ट्री चल सकती है तो कृषि आधारित उद्योग चल सकते हैं । क्यों नहीं उद्योगपति आ रहा है, क्यों नहीं उद्योग लगा रहे हैं सरकार की नीतियॉं क्या है इसमें आत्म निरीक्षण करने की बात है । सरकार की नीतियों में कहॉं मेंटल रोड ब्लौक है ? मेरी राय है कि सरकार कृषि क्षेत्र के हर अंग में एक एक प्रौसेसिंग यूनिट सरकार की ओर से मोड्ल की तरह लगाना चाहिए ताकि उनको महसूस हो कि उद्योग लगाने में कौन कौन सी गड़बड़ी हो रही है और कौन कौन सी दिक्कत हो रही

है । इंसपेक्टर राज के खात्मे की घोषणा करने से सिर्फ नहीं होगा, हर कदम पर मेंटल रोड ब्लौक, हर कदम पर रोड ब्लौक है और उसको ओवर-कम करना आम आदमी के और छोटे उद्योगपतियों के बूते की चीज नहीं है । हर जगह हीडेन कॉस्ट जुड़ा हुआ है उद्योगपति वायबुल कैसे होगा । महोदय, बिहार में कोल्ड स्टोरेज बहुत बड़ी संख्या में है लेकिन संगठित रुप से नहीं है । हाजीपुर में देखिये 20 कोल्ड स्टोरेज हैं, मोतिहारी में देखिये 3 कोल्ड स्टोरेज है । यह सरकार का हिस्सा होना चाहिए । मोतिहारी के किसान अपने आलू को कहाॅ रखेंगे और इस बात की सोच सिर्फ किसी उद्योगपति की नहीं होनी चाहिए और यह सरकार की सोच होनी चाहिए और उसी के हिसाब से जहाॅ कम कोल्ड स्टोरेज खुल रहे हैं उसी के हिसाब से सब्सिडी बढ़ाईये । यह आप कुछ उपाय कीजिये । किसान की स्थिति बदहाल होते जा रही है और बिहार में आज कोल्ड चेन का जमाना आ गया । अकेले बिहार में 10 हजार करोड़ रुपये की सब्जियाॅ बर्बाद होती थी। हमलोग सरकार में थे और हमलोगों ने सब्जी के क्षेत्र में एक योजना लागू की और वह योजना मंथर गति से चल रही है लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूॅ सरकार को कि कम से कम चल रही है लेकिन उसमें सुधार के बहुत सारे उपाय हैं लेकिन सिर्फ एक योजना से क्या होता है । यदि आप कहते हैं कि कि इंडस्ट्री लगाना है तो सरकार को अपना पैसा लगकार मोड्ल इंडस्ट्री लगाना चाहिए और सिंग्ल विन्डो सिस्टम का प्रावधान जो लम्बे समय से है उसको रियल सेंस में लागू करने की जरुरत है । आप ब्यूरोक्रेसी की तरफ एक बार झांक कर देखें कि जिन लोगों को आपने सिंग्ल विन्डो सिस्टम की जिम्मेवारी दी उनलोगों का क्या रवैया है और वो लोग क्या कर रहे हैं ? वह कहीं से सिंग्ल विन्डो नहीं दिखता है और आज वो मल्टी विन्डो सिस्टम बनता जा रहा है और जो हर जगह स्थिति है वह बतलाने लायक नहीं है । महोदय, फसल की क्षति पर एक लाईन बोलना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : वह समय आपके दूसरे वक्ता का आपमें जोड़ देते हैं ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, मैं निवेदन करता हूॅ कि 5 मिनट का समय और दे दिया जाय।

अध्यक्ष : ठीक है तो आपके ही वक्ता का समय आपमें जोड़ देते हैं ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, नील गाय, जंगली सुअर और बंदर से बिहार के किसान बहुत ही तबाह हैं । चारों ओर नील गाय से कितनी फसल की क्षति हुई है कि उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता और उसका कोई आंकड़ा भी सरकार के पास नहीं है । सरकार अभी तक कोई आंकड़ा इकट्ठा नहीं कर सकी और कोई अनुदान का प्रावधान नहीं कर सकी कि जो फसल क्षति हो रही है उसके लिए क्या करना चाहिए । महोदय, नील गाय वाईल्ड लाईफ ऐक्ट के शिड्युल-3 का हिस्सा है और उसके हिस्से में जो भी जंतु हैं उनकी हत्या नहीं की जा सकती । लेकिन यदि समष्टि, संतुलन इको

बैलेंश की बात हम करें जो कि पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है तो उसके प्रिंसपुल के हिसाब से जब किसी जंगल में शेर की संख्या बढ़ेगी तो हिरण की संख्या घटेगी । घास की मात्रा बढ़ेगी । जब हिरण की संख्या बढ़ेगी तो फिर घास की मात्रा घटेगी और शेर की संख्या यदि घट गयी तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यह जो इक्वीलीबिरियम बनाने की बात है तो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तो उसके हिसाब से भी यदि नील गाय की संख्या बढ़ गयी है तो उसको नियंत्रित करने के लिए शिड्युल -3 से हटाकर उसे सामान्य नियम के अंदर लाना चाहिए तब तक जबतक कि आप उसकी जनसंख्या का नियंत्रण नहीं कर लेते हैं और उसी तरह जंगली सुअर और बंदर उस पर ध्यान देने की जरुरत है । रीगा चीनी मिल में 60 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है और 85 करोड़ रुपया किसानों के नाम पर ऋण लिया गया है पहले और वह एन.पी.ए. हो चुका और किसान अपनी बेटी की शादी के लिए या किसी काम के लिए अपना घर गिरवी रखने के लिए जा रहा है बैंक ऋण लेने के लिए चूँकि उसका ऋण एक जगह एन.पी.ए. हो गया है इसलिए उसको नहीं मिल रहा है महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार का एक उदाहरण पिछले वर्ष भी सदन में मैंने दिया था कि एक पुनित सिंह डांगी हैं जिसका मैं नाम लेकर कहे थे कि वो सोनपुर के रहने वाले हैं उनके घर के 7 सदस्यों के नाम पर जो कृषि उपादान सप्लाई किए गए वो बिल्कुल उनके पास नहीं पहुंचे और उनका कहीं सिग्नेचर नहीं है लेकिन पैसा बैंक से निकल चुका है । कृषि विभाग के ऐसे मैंने एक उदाहरण दिए हैं, मैं दावा करता हूं कि पूरे बिहार में सैकड़ो हजारों उदाहरण ऐसे होंगे और इस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार कुछ करना चाहती है तो सरकार को अपने जवाब में इसका उत्तर देना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान - जय किसान । मैं कृषि बिल पर अनुदान मांग का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री जनक सिंह ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, कटौती प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ ।

श्री जनक सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि विभाग के मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ । महोदय, आपने मुझे समय दिया है इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ । अध्यक्ष जी, मुझे एक बात याद आयी कि खेतों में जो पसीना बहाता है, खेतों में जो पसीना बहाता है उसका दर्द कोई और कहाँ समझ पाता है ? अगर आप समझते किसानों के हित में तो कटौती प्रस्ताव न लाते ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, कटौती प्रस्ताव सिम्बौलिक प्रेजेन्टेशन विपक्ष का होता है इसपर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : आप अपनी बात रखिये ।

श्री जनक सिंह : महोदय, प्रतिपक्ष की ओर से माननीय नेताओं ने समष्टि, परमष्टि , राज्य सरकार, केन्द्र सरकार की बात की है । जबकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात होनी चाहिए । आपने प्रश्न किया तो सत्ता पक्ष की ओर से जवाब आना ही चाहिए । यह बिहार की घरती सदियों में सृष्टि की शुरुआत होती है चाहे वह सत्युग हो, त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो या आज का कलियुग हो सभी का नेतृत्व बिहार की घरती ने किया है । जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज था , जब राजा जनक जी थे मिथिला नरेश तो मिथिला नरेश की जीवन मृत्यु को अगर अध्ययन करेंगे तो मिथिला नरेश राजा जनक कृषि विशेषज्ञ थे । नारद जी को भी शिक्षा दीक्षा दिया था । इसलिए बिहार बढ़ रहा है और किसानी क्षेत्र में तो इतना आगे बढ़ रहा है कि दुनिया नजरें हम पर गड़ायी है ।

'' दुनिया नजरें हम पर गड़ायी है कि तू रास्ता हमें दे, हम भी उस रास्ते पर चलें । तू रास्ता हमें दे और हम भी उस रास्ते पर चलें ।''

अभी आपने कहा है और जय जवान जय किसान की बात इन्होंने कही है । हम आप ही की बातों बको उद्धृत करना चाहते हैं । अध्यक्ष महोदय, कौंग्रेस का राज रहा है और शुरु में कौंग्रेस के हमारे श्रेष्ठ नेता ने विशेष रुप से उद्धृत किया । कौंग्रेस का राज रहा है श्रद्धेय जवाहर लाल नेहरु जी, श्रद्धेय गुलजारी लाल नंदा जी का, श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी का, श्रद्धेय इंदिरा गांधी जी का, श्रद्धेय राजीव गांधी जी का, पी.बी.नरसिंह राव जी का और मन मोहन सिंह जी का इन कौंग्रेस के राज में किसानों के हित में बहुत काम किए मैं मानता हूँ लेकिन किसानों की आय दुगुनी हो किसी ने नहीं सोचा । एक भारत का लाल और कौंग्रेस का नेता श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री ने जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था उस युद्ध के क्रम में जय जवान और जय किसान का नारा दिए थे लेकिन उस लाल को दरिन्दों ने ले लिया । उनकी मौत आज भी रहस्यमय बनी हुई है । कौंग्रेस के ही लाल थे । डा0 श्यायमा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने इस भारत माता के लिए सदा के लिए भारत मां की आंचल में सो गए। मैं आपकी शिकवा शिकायत नहीं कर रहा हूं ।

क्रमशः

टर्न-15/पुलकित-अभिनीत/01.03.2021

श्री जनक सिंह (क्रमशः): इसलिए आप याद कीजिए, अभी स्व0 चौधरी चरण सिंह जी की बात की जा रही थी । स्व0 चौधरी चरण सिंह जी की, किसानी काम में हमलोग उनसे सीखते हैं लेकिन याद कीजिए वह दिन जब अटल जी की सरकार आयी और 1998 में जब उनकी सरकार बनी तो उस वक्त राज्य में किनकी सरकार थी । किसान और मजदूर त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहे थे, आप जरा अपने 15 वर्ष के कार्यकाल को भी देखें, जब आप उसे देखेंगे, पढ़ेंगे तो आप स्वयं समझ जायेंगे कि हम क्या थे और आज क्या है, इसलिए ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है ।

''जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है,
सूखे कुएँ तुम्हारा इम्तहान बाकी है ।
बरस जाना इस बार वक्त पर ही मेघा,
किसी की मकान गिरवी है, किसी की लगान बाकी है ।''

यह आपके राज में हुआ था और याद कीजिए उस वक्त को जब भारत के लाडले, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो किसानों के हित में किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया और 50 हजार से 3 लाख किसानों के हित में यह कर्ज देने का काम किया । उस वक्त आपकी राज थी और किसानों को अपनी किसानी काम में ही कार्य करने के लिए लोन लेना पड़ता था, 4 परसेंट, 5 परसेंट । आप स्वयं बताइये, जब वो दिन आप याद करेंगे तो समझ जाइयेगा कि कल क्या था और आज क्या है । हम आसमान की ओर हैं और आप हमारे पैर को खींच रहे हैं कि बिहार आगे न आये, इसलिए मैंने इस बात को कहा कि-

''जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है,
सूखे कुएँ तुम्हारा इम्तहान बाकी है ।
बरस जाना इस बार वक्त पर ही मेघा,
किसी की मकान गिरवी है, किसी की लगान बाकी है ।''

इस विषय को लेकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसानों के हित में काम किया । एक बात फिर आयी है, इन्होंने इस बात को कहा है कि केंद्र सरकार बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो विषय हैं, आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किस तरह से हमारे राज्य के पदाधिकारी लगे हुए हैं, सतत प्रयत्नशील हैं, यह सर्वविदित है, इसे सारे लोग जानते हैं । हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर जी के नेतृत्व में आज बिहार आगे बढ़ रहा है, सब काम बढ़ रहे हैं । हमारी केंद्र की सरकार ने किसानों के लिए तीन कानून, अभी पूर्व के प्रतिपक्ष माननीय विधायक जी ने 'हसुआ के

बियाह में खुरपी' के गीत की बात की है, अभी राज्य की बात हो रही है तो केंद्र की तरफ इशारा किये । आपने प्रश्न किया है तो उसका उत्तर लेना ही होगा । हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के हित में तीन कानून बनाये हैं जो निम्न हैं-

पहला है कृषि उत्पादक व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक, 2020- इसमें किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं, इस कानून के तहत वे राज्य के बाहर भी फसल बेच सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर फसल क्रय भी कर सकते हैं ।

''माल महाराज का, मिर्जा खेले होली ''

इसका विरोध कौन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ लोग और हरियाणा तथा पंजाब के कुछ लोग, जिस तरह एन.आर.सी. का विरोध करने वाले विदेशी...

(व्यवधान)

उसी तरह से हमारे इस अधिनियम का विरोध करने वाले विदेशी....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण बैठिये । आप लोग बैठ जाइये ।

श्री जनक सिंह: अनुबंध विधेयक, देश भर में कंटेक्ट फार्मी की व्यवस्था बनाने को लेकर प्रस्ताव है । फसल खराब होने पर नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले किसानों को करनी होगी, कहां इसमें किसी तरह की बात है । बिहार के अंदर गोपालगंज जिले में सुगर फैक्ट्री है, हमारे क्षेत्र का जमीन कांट्रेक्ट पर सुगर फैक्ट्री वाला लेता है, पैसे देता है । इनका किसानों के साथ तारतम्य है, मिलन है और दोनों मिलकर चला रहे हैं, कहां इसमें किसी तरह की बात है । हम तो चाहते हैं कि आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी आधारित हमारी राज्य की और केंद्र की सरकार लगे, इसलिए आपसे हमने यही कहा कि आप किसानों के हित में अगर होते, हितैषी होते तो कटौती प्रस्ताव नहीं लाते । अध्यक्ष जी, इसी प्रकार से आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम है । आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम को 1950-55 में बनाया गया था जब कांग्रेस की सरकार थी । तिलहन, दलहन, आपका आलू है, प्याज है इसको लेकर कानून बना । हमने क्या किया, हमने खुला छोड़ दिया, जिसको जहां ले जाना हो ले जायं, बेचे, क्रय करें । यदि आपदा प्रबंधन के समय राष्ट्रहित में आवश्यकता पड़ेगी तो हम लायेंगे, हम माध्यम बनायेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शांति बनाये रखें । अपनी बात कहने का सबको मौका मिलेगा ।

श्री जनक सिंह: महोदय, इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि हमारे बिहार की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है और हमारे यहां जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि है । केन्द्र और राज्य की एन0डी0ए0 सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है । बिहार के अंदर हम कृषि के विकास हेतु

अनेक कार्य कर रहे हैं । आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत कृषि उत्पादन कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, साथ ही खेती के हर स्तर पर आधारभूत संरचना के विकास के लिए कार्य चलाये जा रहे हैं । हमारी सरकार कृषि विकास हेतु 2017 से 2022 तक के लिए, तीसरा कृषि रोड मैप हेतु 1.54 लाख करोड़ रूपये का व्यय करेगी ।

हमारी सरकार कृषि विकास हेतु आज बिहार के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है । मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत सभी राजस्व गांवों में 5 किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर हम धान और गेहूं के लिए आधुनिक प्रवृत्ति के बीज उपलब्ध करा रहे हैं । हमारी सरकार जैविक खेती के लिए किसानों को अनेकों सुविधाएं प्रदान कर रही है । वर्ष 2020-21 के राष्ट्रीय बागवानी मिशन और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत मखाना विकास, सहजन क्षेत्र का विकास, पान की खेती, बाग उत्थान कार्यक्रम तथा बिहार राज्य उद्यनिक उत्पादक विकास योजना शुरू की है । अध्यक्ष महोदय, हम जो भी करते हैं मुल्क, समाज और राज्य के लिए करते हैं । हम तो कहते हैं-

'तेरा वैभव अमर रहे मां,
हम दिन चार रहें ना रहें'

इस देश के कभी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मान्यवर हमारे अटल विहारी वाजपेयी थे और आज हमारे नरेन्द्र भाई मोदी है । हमारे यहां वंशवाद नहीं चलता है, हमारे यहां, आपने समीष्टि और प्रविष्टि की बात की है, इसलिए आपने मुझे छेड़ने का काम किया है और जब छेड़ा है तो जवाब लेना चाहिए । परमीष्टि, समीष्टि की जब बात की है तो अखण्ड, मण्डल, आकार, रीत में हमारी संरचना है । हम समाज को जीरो से लेकर और अंतिम क्षण तक ले जाने वाले लोग हैं, शून्य से शिखर पर जाने वाले लोग हैं । आपकी जो संरचना है संकेद्रित वृत्त है इससे समाज और मुल्क का विकास नहीं हो सकता है ।

अध्यक्ष: अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री जनक सिंह: महोदय, हमारा चिंतन अखंड, मंडल, आकार है । अध्यक्ष महोदय, अंत में हम कहेंगे कि अगर हमलोग पारंपरिक खेती करते रहें तो शायद हमलोग देश से पिछड़ जायेंगे, इसलिए हमारा राज्य और देश, आधुनिक युग है और नई-नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं ।

अध्यक्ष: अब बैठ जाइये ।

श्री जनक सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया इसके लिए ढेरों साधुवाद और प्रतिपक्ष के माननीय नेताओं से हम कहेंगे कि राज्यहित में, क्योंकि राज्यहित ही देशहित है और इस देशहित में आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय

तारकिशोर जी यानी बिहार सरकार के हाथों को मजबूत करें । इसी में आपका भी कल्याण है, हमारा भी कल्याण है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री चंद्रशेखर ।

टर्न-16/हेमन्त-धिरेन्द्र/01.03.2021

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, मैं इस अवसर पर सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद, मनचित्य और प्रवरशील आवाम की आस प्रिय तेजस्वी जी के सहयोग से मधेपुरा के जिन महान मतदाता मालिकों ने सत्ता प्रतिष्ठान को धूल चटाकर बाहुबल और धनबल को चकनाचूर कर मेरे जैसे साधारण सेवक को चुनाव जिताया है, इसके लिए मैं अपने क्षेत्रवासियों को, मधेपुरावासियों को साधुवाद करता हूं, नमन करता हूं। महोदय, जो कृषि बजट पर और सरकार द्वारा जो हम लोगों से सहमति मांगी गयी है यह विचित्र लगता है । 15 साल सुशासन को हुए हैं, 15 साल के सुशासन में पलायन का जो दंश बिहार देख रहा है । देश में बिहार शर्मसार हो रहा है । क्या स्थिति हुई प्रवासी मजदूरों की ट्राम से, ट्रक से, पैदल से, ट्रॉली से । आधा दर्जन से ज्यादा बहन-बेटी को बच्चा रास्ते में पैदा हो गया । सैंकड़ों लोगों की मौत हो गयी । हम न खिला सके, न ला सके । हम धन्यवाद करते हैं इस अवसर पर आदरणीय नेता, बच्चा है तेजस्वी प्रसाद, जिसने सरकार को चुनौती दी तो कुछ शर्म भी आपको हुई । महोदय, मैं इसीलिए कहता हूं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं 32-33 हवाई जहाज का जो 32 साल का एक अकेला युवक करता हो तो क्या यह बच्चा आपको आइना दिखाने के लिए काफी नहीं है ? इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जरा धीरज से सुनिये, सच है, हम जानते हैं, हम जब आये थे यहां जीतकर तब हमको लगा था कि लोकतंत्र के मंदिर में....

अध्यक्ष : एक मिनट माननीय सदस्य ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पुराने सदस्य हैं और सदन में नेता प्रतिपक्ष के बारे में टिप्पणी करना कर रहे हैं, बच्चा कह रहे हैं । महोदय, यह सदन का अपमान है ।

अध्यक्ष : चलिए, आप आगे बोलिये ।

(व्यवधान)

इनका समय बर्बाद होगा । चलिए, भाव भावना प्रकट करते रहिये ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, जो समय हमारे माननीय मंत्री जी ने लिया, प्लीज आपको इसमें एड करना चाहिए । चूंकि निश्चित रूप से जब मंत्री जी, सरकार खड़ी होगी, तो हमको बैठना होगा

अध्यक्ष : धन्यवाद ।

श्री चन्द्र शेखर : और मैं इतना संस्कार जानता हूं, यह संस्कार हमको पुरखों से मिला है, हम हंगामा करने वाले नहीं हैं । मैं कह रहा था कि लोकतंत्र के मंदिर में मुझे लगता था कि सत्य ही चलता है लेकिन XXX

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, लोकतंत्र के मंदिर को आप इस तरह से कलंकित न करें, यह शब्द वापस लें । इसको कार्यवाही से निकाल दीजिये ।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस अवसर पर महान संत कबीर दास जी की जो वाणी है वह अति प्रासंगिक है । अध्यक्ष महोदय, संत कबीर दास जी ने कहा था-

''दुर्बल को न सताइये, जाकी मोटी हाय,
मरी खाल की सांस से, लोह भसम हो जाय ।।''

महोदय, जो लाखों किसान दिल्ली को घेरे हुए हैं । कड़ाके की ठंड में कौन किसान घेरे हुए है ? जो बिहार के गरीबों को पालता है । पंजाब, हरियाणा में अगर 18 हजार के आसपास प्रति किसान की आमदनी है, तो आपके यहां 3 हजार के आसपास है । आपके यहां 1 से 2 परसेंट की फसल खरीद नहीं हो पाती है । आपने 2006 में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया, शांति बनाये रखिये ।

श्री चन्द्र शेखर : आपने 2006 में मंडी तोड़ी । पहले क्या होता था हमें अच्छी तरह याद है । XXX

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

श्री चन्द्र शेखर : तब-तब जुल्म ढ़हाये जाते हैं, महोदय । सन् 2000 ई0 में दिल्ली में जो सरकार बनी थी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कोई भी असंसदीय शब्द प्रोसीडिंग के पार्ट नहीं बनेंगे । बैठ जाइये ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, सरकार की गलत व्यापार नीति के कारण ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मंगाया गया ।

XXX आसन की अनुमति से विलोपित किया गया ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां बिहार में जब 600 रुपये क्विंटल.....

अध्यक्ष : आप क्यों बार-बार उठते हैं ?

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, विदेशों से सरकार की गलत नीतियों के कारण ऑस्ट्रेलिया से गेहूँ मंगा लिया गया, तो हमारे गेहूँ को कोई पूछने वाला नहीं रहा । वर्ष 2000 में, हमको अच्छी तरह याद है, हम उस संघर्ष के साक्षी भी रहे हैं । 6 रुपये प्रति किलो का गेहूँ, 610 रुपये पहले एम0एस0पी0 रेट था, गांव में 600 रुपये क्विंटल गेहूँ बिकता था और जब ऑस्ट्रेलिया से इतना अनावश्यक गेहूँ आ गया, तो हमारे देश का गेहूँ रद्दी हो गया । 400 रुपया गेहूँ बेचने पर किसान मजबूर हो गये, उसके बाद बिहार ने एक बड़ा किसान आंदोलन देखा । मधेपुरा से उठी चिंगारी, बिहार में फैली । पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर जी शामिल हुए, सोनिया गांधी जी का बयान आया, हमारे कम्यूनिस्ट के साथी इस लड़ाई में आये, तब जाकर यहां 421 फसल खरीद केन्द्र खुले और उससे पहले कम-से-कम गेहूँ की खरीद और धान की खरीद एम0एस0पी0 के आस-पास होती थी । ऐसा नहीं कि एम0एस0पी0 की दर आज की तारीख में 1800 धान की है और गांव में किसान 800, 900, 1000 रुपये बेच रहे हैं, यही बिहार की सच्चाई है । गेहूँ 10 रुपया किलो, 15 रुपया किलो हम बेचते हैं और बीज हम खरीदते हैं 100 रुपया किलो । मकई हम 10 रुपया किलो बेचते हैं और बीज हम खरीदते हैं 700 रुपया किलो । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वह सरकार हमको न्यूनतम दर देती है जबकि बोआई के समय हम उच्चतम दर पर खाद, बीज और कृषि इनपुट खरीदते हैं, हमारे लिये एम0एस0पी0 रखा गया, जिस सरकार ने एम0एस0पी0 रखा है, हम इसका घोर विरोध करते हैं । हम किसान हैं, हम देश के ही पालक नहीं हैं, हम इस मानव जाति के पालक ही नहीं हैं, हम तो संपूर्ण इस विश्व में जितनी भी चिड़ियां, पक्षी, पशु, सब के पालक हैं, किसान । किसान को एक तरह से भगवान का दर्जा होना चाहिए और उसी किसान को आप सड़क पर घसीट रहे हैं । सैंकड़ों लोग मर गये, कौन हैं इस मौत के जिम्मेवार ? कौन है ये हिन्दुस्तान, इतने बड़े किसान आंदोलन का ऐतिहासिक गवाह बना है, दुनिया ने ऐसा नहीं देखा कभी । कोई वार्ता करने के लिये तैयार नहीं है और हमारे सुशासन बाबू चुपुर-चुपुर देख रहे हैं, हिम्मत नहीं है । मुझे लानत है इस बात पर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह पटना, बिहार और मगध चक्रवर्ती सम्राटों का शासन...

अध्यक्ष : अब समापन करें ।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मेरा समय तो मंत्री जी ने ले लिया और हमको अभी भी आप देख रहे हैं । समय के हिसाब से कम-से-कम 5 मिनट का...

अध्यक्ष : चलिये । अब संक्षिप्त कीजिये ।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट समय है ।

अध्यक्ष : 2 मिनट है ।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह लगता था कि मगध, पटना ने चक्रवर्ती सम्राटों को पैदा किया है, जरासंध से लेकर अशोक महान तक । मुझे यह लगता था कि शायद सुशासन बाबू श्री नीतीश बाबू में यह खूबत है, मुझे यह जान कर, देख कर घोर-घोर तकलीफ हुई कि हमारे सुशासन बाबू भी पीछे लग गये, पता नहीं किस कारण से, किस भय से । कुछ अच्छे काम भी किये, मैं मानता हूँ लेकिन डॉ0 लोहिया, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा फुले, पेरियार, जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों का देश बनाने के बदले किसी देश को बनाने में लग गये ऐसा कि पता नहीं । यह हमारे लिये चिंता की बात है । मैं यकीन करता था कि शायद बिहार और मधेपुरा, जिसने चक्रवर्ती सम्राटों की फेजिल फेहरिस्त दी है । शायद इस बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र सिखाया है, गणतंत्र सिखाया है । आप जानते हैं, यह बिहार शांति के संदेश की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति है । यह शासन पद्धति दुनिया को दिया है, गणित का ज्ञान दिया है और बिहार वहीं फिसड्डी साबित हो गया । क्या है, क्राईम रिपोर्ट ब्यूरो का आंकड़ा लीजिये, नीति आयोग का आंकड़ा लीजिये, सब चीज में बिक्री हो रही है, सब चीज में हम फिसड्डी साबित हो रहे हैं, स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, डाउन है । अपराध का मामला हो, वह बढ़े जा रहे हैं। जब 15 साल में हमने गलती की, सत्ता आपको दी लोगों ने तो आपने बिहार के साथ क्या किया कि 3000 आमदनी किसान की हो गई । हमारे मजदूर आज भी, मतलब हमलोग पलायन का एक दर्दनाक, खौफनाक चेहरा देख रहे हैं । मजदूरों के पलायन का शायद पूरे देश में जितना पलायन होता होगा, लगभग एक-चौथाई पलायन सिर्फ बिहार से होता है । यह कौन कहेगा कि झूठ है और फिर आपने कहा कि हम सबको खिलायेंगे, रखेंगे, मजदूरी देंगे, फलाना देंगे, ढकाना देंगे । क्या हुआ, लॉकडाउन के दौरान ही काम मिलने के अभाव में हमारे किसान बस से, ट्रक से..

बोल रहे थे माननीय मंत्री जी सत्ता पक्ष के लोग कि भाई क्या हुआ । स्किल लेबर का पलायन हो रहा है, माफ कीजियेगा महोदय, अगर यही अवस्था सरकार की रहेगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार रसातल में जा रहा है और रसातल में जाने से कोई नहीं रोकेगा । इसलिये, मैं आपके माध्यम से अपने राज्य की जनता को, देश की जनता को और खासकर किसानों को, तमाम उपभोक्ता वर्गों को कहना चाहता हूँ कि जो यह निर्णायक जंग किसान लड़ रहे हैं, इस किसान आंदोलन का साक्षी बनो, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जायेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका साधुवाद करता हूँ और जो हमारे पास रिटेन डॉक्यूमेंट है, उसको मैं प्रोसीडिंग का पार्ट बनाने का आग्रह करता हूँ ।

अध्यक्ष : दे दिया जाय ।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

टर्न-17/सुरज-संगीता/01.03.2021

अध्यक्ष : श्री मेवालाल चौधरी । 10 मिनट का समय है ।

श्री मेवालाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हम नेता विपक्ष से सुन रहे थे और मेरे पास कुछ डेटा हैं जो वर्ष 2005 और 2006 में जो राज्य की कृषि की हालत थी, हालत का मतलब जो प्रोडक्शन था, जो प्रोडक्टिविटी थी, जो क्षेत्रफल में बढ़ोतरी होती थी अगर आज उसकी तुलना वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20 से की जाय, तकरीबन महोदय 10 से 15 परसेंट तक इसके अंतराल में डिफरेंस है ।

महोदय, एक मेरे पास डेटा है आज हमारा जो टोटल ग्रैंड प्रोडक्शन है तकरीबन 163 लाख मीट्रिक टन है । महोदय, सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सिर्फ एग्रीकल्चर में धान, गेहूं, मक्का तक हमलोग सीमित नहीं रहते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब होता है, हम पोल्ट्री की बात करते हैं, हम फिशरी की बात करते हैं, हम दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं । महोदय, जब तीनों-चारों का एक साथ आप डेटा देखेंगे और उसका कंट्रीब्यूशन अगर जी०डी०पी० में देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंट्रिब्यूशन आज के सेक्टर में भी एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है ।

महोदय, आज हमारे दुग्ध उत्पादन की तुलना अगर पिछले वर्ष 2005 और 2006 से तुलना करेंगे तो तकरीबन 35 परसेंट दुग्ध उत्पादन बढ़ा है । आज हमारा दुग्ध उत्पादन 104 लाख टन है । हमारा मछली उत्पादन, जो मछली आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले हम हैदराबाद पर डिपेंडेंट रहते थे, आंध्रप्रदेश से मछली का ट्रक का ट्रक आता था और हमारे पूरे बिहार का मछली का कंजम्प्शन तकरीबन 7.5 लाख मीट्रिक टन है । महोदय, आज हमारा मछली का उत्पादन तकरीबन साढ़े छह लाख से उपर हमलोग मछली पैदा कर रहे हैं । महोदय, एक डेटा भी है आंध्रप्रदेश और बिहार का । जो आंध्रप्रदेश से मछलियां आती थीं, आंध्रप्रदेश का ही डेटा है 23 परसेंट मछली का जो इम्पोर्ट यहां होता था, वह कम पड़ गई है ।

महोदय, अगर लाकडाउन के समय हम जब प्राईमरी सेक्टर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो महोदय यही एक सेक्टर है जो लाकडाउन के दौरान में भी इसका कंट्रीब्यूशन और सेक्टर के मुकाबले हुआ है बेशक टेरटियरी सेक्टर और सेकेंड्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बढ़ोतरी हुई है । महोदय, यह सफलता और यह जो भी हमारी एक्चीवमेंट हुई है ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक

विजनरी सपना था, जिन्होंने कृषि रोड मैप के रूप में बिहार को दिया और हमलोग टारगेटेड एप्रोच करके एग्रीकल्चर में दिन पर दिन बढ़ोतरी करते जा रहे हैं ।

महोदय, जिस हिसाब से आज एग्रीकल्चर ग्रोथ हो रहा है चाहे वह प्रोडक्शन की बात करें, चाहे प्रोडक्टिविटी की बात करें, हमें लगता है अगले तीन साल में जो टारगेट भारत सरकार के द्वारा 4 परसेंट का फिक्सड किया गया है उस टारगेट को एचीव करने में हम कहीं असफल नहीं दिख रहे हैं, हमलोग सफलता जरूर पाएंगे । महोदय, पहली बार हमारी सरकार और हमलोग मिलकर ऑर्गेनिक फॉर्मिंग शुरू किए । महोदय, सरकार चिंतित है आर्गेनिक फॉर्मिंग का मार्केटिंग करने का भी । हमारी जैसे ही प्रोडक्शन आएगी ऑर्गेनिक फार्मिंग भी शुरू होगा । महोदय, इस बार का जो बजट घोषणा है इस बजट घोषणा में एक बड़ा ही एम्बीग्यूस प्लान किया गया है कि हर खेत को हम पानी पहुचाएंगे ।

महोदय, हम सभी माननीय सदस्य को कहना चाह रहे हैं जो हमारा जल स्तर का सिचुएशन है पूरे बिहार में आज हमारे पास सिर्फ 161 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी बचा हुआ है । अगर उस जल का इस्तेमाल हमलोग बड़ी सावधानीपूर्वक नहीं करेंगे तो शायद आने वाले दिनों में यह बहुत बड़ी कठिनाई होगी । महोदय, इसीलिए हमारी सरकार आदरणीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में हमलोग ड्रिप एरीगेशन को बड़ा मैसिवली प्रमोट कर रहे हैं । इस साल के बजट में भी ड्रिप एरीगेशन, जिसको बूंद-बूंद पानी के हिसाब से खासकर के हॉर्टीकल्चर क्राप में चाहे वह फल हो, चाहे सब्जी हो, उसमें हमलोग इस्तेमाल कर रहे हैं । महोदय, मेरा एक छोटा सा सुझाव है, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को और उनके सभी ऑफसरान हैं यहां बैठे हुए, महोदय, जो हमलोग हर खेत की पानी की बात कर रहे हैं, मैंने एक बार महोदय इसी सदन में कहा था कि गांव का पानी गांव में, पंचायत का पानी पंचायत का कंसेप्ट हमलोगों को लागू करनी चाहिए । मेरा मतलब यह है महोदय कि हम अपने गांव में मेरा टोटल एरिया कल्टीवेशन कितना है, कितने क्षेत्रफल में हम खेती कर रहे हैं, हमारी क्रॉप इंटेंसिटी क्या है, फसल सघनता क्या है, हम उसको जान लें और जो भी फसल हम लगा रहे हैं, उसका वाटर रिक्वॉयरमेंट क्या है ? महोदय, यह सारी फिगर प्लॉनिंग कमीशन में मौजूद है, कौन-सा फसल कितना पानी लेता है । अगर महोदय, इसकी गणना हमलोग कर लें कि हमको दौ सौ बिलियन क्यूबिक मीटर एक गांव में पानी लगेगा तो हम महोदय, जितने भी हमारे वाटर रिजर्वायर गांव में मौजूद हैं, जितने भी वाटर रिजर्वायर को और उसको रेज्यूबिनेशन की जरूरत है, हम उस वाटर रिजर्वायर को देख लें कि हम जल संरक्षण कितना कर सकते हैं और अगर जरूरत हो तो हम और वाटर रिजर्वायर बना लें, उसके अनुसार खेत को पानी दें । महोदय, बजाय हमलोगों को आर्टिफीशियल ड्रिलिंग करके बोरिंग के माध्यम से हमलोग

पानी नीचे से उठायें और पानी को खेत में दें । हमारा रिचार्ज ऑफ वाटर, अण्डरग्राउंड रिचार्ज ऑफ वाटर बहुत ही कम है इसीलिए मेरा एक छोटा सा सुझाव था, महोदय, फार्म मशीन बैंक में हमलोग कल बात कर रहे थे...

अध्यक्ष : अब समापन करें ।

श्री मेवालाल चौधरी : महोदय, अभी तो 10 मिनट नहीं हुआ है । महोदय, बस दो मिनट लेंगे । फार्म मशीन बैंक के बारे में बात कर रहे थे । महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि फार्म मशीन बैंक जो पैक्स के माध्यम को दिया गया है महोदय, पैक्स को मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चुन लिया जाय और जनरल पब्लिक जो भी किसान इसमें इंटरेस्टेड हों, उनको फार्म मशीन बैंक दे दिया जाय ताकि खेती समय पर हो और अच्छी खेती वे लोग कर सकें क्योकि बहुत सारे किसान हैं जो इस तरह के काम में, इस तरह के कंसेप्ट में विश्वास करते हैं और फार्म मशीन बैंक को अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं । महोदय, हमलोग चाहे सब्जी हो, चाहे अनाज हो, महोदय हमलोग उस पोजिशन में आ गये कि हमलोग बाहर विदेश को भेज सकते हैं । महोदय, मेरा निवेदन होगा आपके माध्यम से, सरकार को, माननीय मंत्री जी को, महोदय, हमलोग प्रमोशन एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी जो भारत सरकार के एपीडा के पास हैं, उसको एडॉप्ट करें और महोदय उसको भी लागू करें...

अध्यक्ष : बैठ जायें ।

श्री मेवालाल चौधरी : एक अपने विधानसभा की दो बात है महोदय, हमारे विधानसभा में तारापुर और संग्रामपुर में 10-10 एकड़ का फार्म है मेरा निवेदन है उस फार्म में एक हाईटेक नर्सरी डेवलप किया जाय चूंकि वह फार्म उतनी प्रोडक्टिव और वह फार्म उतना इकोनॉमिकल नहीं है, जिससे वह फार्म रन कर सके ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री मेवालाल चौधरी : मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि महोदय उसको हाईटेक नर्सरी के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाय । धन्यवाद ।

टर्न-18/ मुकुल-राहुल/01.03.2021

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया, मैं धन्यवाद देता हूं अपने समस्तीपुर विधान सभा की जनता का जिन्होंने फिर मुझे इस सदन में आने का मौका दिया और मैं इस सदन में यह शपथ भी लेता हूं कि उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खड़ा उतरूंगा और उनकी समस्याओं को सदन में पूरी तरह से रखने का प्रयास करूंगा । आज कृषि पर वाद-विवाद और चर्चा है, उस पर बोलने से

पहले मैं देश में किसानों के लिए, कृषि के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं मैं उन तमाम किसानों को बहुत सैल्यूट करता हूं । जो किसान देश के किसानों के लिए शहादत दिये हैं उन किसानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । अध्यक्ष महोदय, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कृषि है । जितने भी देश विभिन्न क्षेत्रों में तरक्की करे, उद्योग कल-कारखाने लगे लेकिन उसके बावजूद आज देश की इकनॉमी हमारे कृषि पर ही निर्भर करती है । जब देश में एक मानसून बिगड़ जाता है तो देश का जो सेंसेक्स है वह हांफने लगता है जो यह बताता है कि आज भी देश की 60 से 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है और हमारा इकनॉमी और अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है । इसलिए देश को बचाने के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए, किसानों की उन्नति, कृषि के लिए तमाम तरह की योजनाएं बहुत ही तत्परता के साथ, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लाना आवश्यक है । पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था और इकनॉमी पर कुछ लोगों की एक बुरी निगाह है और उस निगाह से बचाने की जिम्मेदारी भी तमाम लोगों की है । आखिर कौन लोग हैं जो देश के किसानों पर, देश की कृषि पर, देश के अनाज पर गलत निगाह डाल रहे हैं । मुझे एक नारा याद आता है कि कुछ दिनों पहले एक नारा बहुत प्रचलित था, कुछ लोग दिया करते थे, वह नारा यह था कि ''सौगंध मुझे इस मिट्टी की हम देश नहीं बिकने देंगे'' यह नारा दिया जाता था और बहुत जोरदार तरीके से नारा दिया जाता था और जो लोग यह नारा देते थे कि ''सौगंध मुझे इस मिट्टी की हम देश नहीं बिकने देंगे'' उनके ही राज में देश के तमाम संसाधन बेचे जा रहे हैं, यह पहली बार देखने को मिल रहा है । देश के जितने भी संसाधन हैं, जितने भी बड़े-बड़े उपक्रम हैं आज निजी हाथों में, उद्योगपतियों के हाथों में बेचे जा रहे हैं यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। वैसे-वैसे उपक्रम जो देश को बहुत लाभान्वित पहुंचाते हैं, चाहे रेल हो, इंडियन एयरपोर्ट हो, इंडिया का एल0आई0सी0 हो तमाम लगभग 28 उपक्रम निजी हाथों, उद्योगपतियों के हाथों में दे दिये गये, बाकी जो चंद वैसे उपक्रम हैं उनको भी देने की तैयारी हो रही है । यह गंभीर चिंता का विषय है। अब उन लोगों की निगाह देश की सबसे बड़ी इकनॉमी, देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अनाज पर है । जितना उत्पादन अनाज का होता है उसका आंशिक उत्पादन भी देश का बड़ा से बड़ा उद्योगपति भी किसी चीज का नहीं करता है । अब इन लोगों की निगाह है कि एक ऐसी व्यवस्था लाई जाए, एक ऐसा कानून लाया जाय जिससे देश के तमाम अनाजों पर नियंत्रण कर लिया जाय और उसको औने-पौने दामों पर देश के अनाज को खरीद कर और उसकी स्कारसिटी पैदा कर दी जाय और जब स्कारसिटी हो जाय तो उसको दस गुने दामों पर बेचने की व्यवस्था की जाय । इस तरह के माहौल से हमारा देश गुजर रहा है । यह हम तमाम लोगों के लिए चुनौती है और इसका मुकाबला करना

और इस समस्या का निदान करना मुझे लगता है कि सख्त आवश्यक है । इस कानून के बारे में हमारे कई सदस्यों ने बताया कि एम0एस0पी0 की व्यवस्था इसमें नहीं है यह आवश्यक वस्तु है इसकी जमाखोरी करना गैरकानूनी था और इसको लीगलाइज किया गया, इसकी वैधता दी गई कि अब कोई भी पूरे देश के अनाज को खरीद सकता है, आवश्यक वस्तु को खरीद सकता है । जिस तरह हमारे लिए हवा आवश्यक है, पानी आवश्यक है उसी तरह अनाज हमारे लिए आवश्यक है अध्यक्ष महोदय । इस कानून में उसको लीगलाइज किया गया है कि आप जमाखोरी कर सकते हैं, चाहे पूरे देश का अनाज को एक व्यक्ति भी खरीदना चाहे तो वह खरीद सकता है । न्यायालय में जाने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है । कोई किसान चाहे कि न्यायालय में जाकर अपनी बातों को रख सके, वह नहीं रख सकता है । अध्यक्ष महोदय, इस तरह कई समस्याएं हैं । मुझे तो बताया नहीं गया है कि मुझे 10 मिनट, 15 मिनट कितना मिनट बोलना होगा, उस हिसाब से मैं अपनी बातों को रखता ।

अध्यक्ष: आपके पास 10 मिनट का समय है ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन: अध्यक्ष महोदय, तो मुझे बहुत कम समय मिला है, इसमें भी दो मिनट मेरा यूं ही चला गया । अध्यक्ष महोदय, जितने भी अरबों-खरबों के बजट बनते हैं लेकिन सरजमीं पर जाइये तो उस योजना का लाभ आम किसानों को नहीं मिलता है। आप यांत्रीकरण के नाम पर अरबों रुपये देते हैं लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूं कि किसी एक ब्लॉक को टारगेट कीजिए या जांच कराइये, जितने कृषि यंत्र आपने दिया है वह सब दूकानदार और विभाग के लोगों की मिलीभगत से जाली आवेदन लेकर सबका सब्सिडी उठाया जा रहा है । कोई एक ब्लॉक को आप टारगेट कीजिए मैं आपको चुनौती देता हूं । आप समस्तीपुर ब्लॉक को या पूरे बिहार के किसी ब्लॉक को टारगेट कीजिए किसी भी योजना का लाभ सीधे तौर पर सरजमीं पर नहीं उतरता है इसको देखने की आवश्कता है। किसान कहां है आज, आज मक्का दस रुपये बिकता है अगर 100 ग्राम । एक रुपये के मक्का को अगर आप उसका फूल बनाकर या पॉपकॉर्न बनाकर अगर कोई बेचता है तो उसको 200 रुपये, 300 रुपये में सिनेमा हॉल में बेचा जाता है, किसान तो एक रुपये में 100 ग्राम बेच रहा है, 10 रुपये किलो बेच रहा है लेकिन कौन लोग हैं जो उसको ढाई सौ रुपये बेचकर के पूरा मुनाफा ले रहे हैं। आलू कितने में बिक रहा है 5 रुपये बिक रहा है और उसका चिप्स बनाकर के 25 रुपये, 30 रुपये में कौन लोग बेच रहे हैं ? मेहनत करे किसान, पूंजी लगाए किसान, रिस्क ले किसान लेकिन मुनाफा कौन ले रहा है इन बातों को देखने की जरूरत है, इसमें नीति बनाने की जरूरत है । जब मेहनत किसान करता है, पूंजी वह लगाता है, रिस्क वह लेता है तो लाभ का अधिकांश हिस्सा किसानों को मिलना चाहिए, ऐसा एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं । अध्यक्ष महोदय,

हम देखते हैं कि अभी कोरोना का वक्त था, तमाम विधान सभा, लोकसभा से लेकर के, तमाम उद्योग कल-कारखाने से लेकर, बाजार, मंदिर, मस्जिद तक बंद थे लेकिन कोई काम कर रहा था, कोई देश चला रहा था तो वह हमारा किसान था, हमारा किसान खेती कर रहा था, किसानी कर रहा था, पटवन कर रहा था, कटनी कर रहा था । जब हम लोग घर के अन्दर घुसे हुए थे तो किसान हमारे देश को चलाने का काम कर रहा था, खिलाने का काम कर रहा था, बचाने का काम कर रहा था और वैसे लोगों के प्रति हमें संवेदनशीलता बढ़ानी पड़ेगी । अध्यक्ष महोदय, समय कम है इसलिए मैं इतना कहूंगा कि हर पंचायत पर कृषि आधारित उद्योग, माइक्रो इंडस्ट्रीज की व्यवस्था की जाय । अलीगढ़ को हम देखते हैं कि ताला बनाने का काम करता है उसको पूरी दुनिया में सप्लाई करता है, हम मुरादाबाद को देखते हैं ब्रास बनाने का काम करता है उसको पूरी दुनिया में सप्लाई करता है । हमारे यहां भी कहीं लीची होती है, कहीं आम होता है, कहीं मखाना होता है, कहीं मसाला होता है, तरह-तरह की चीजें होती हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज बैठाने की कोशिश की जाय और हर इलाके को डेवलप किया जाय जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिल सके, ऐसी कोई व्यवस्था सुनिश्चित की जाय । फूड प्रोसेसिंग युनिट इंडस्ट्री, इस तरीके की व्यवस्था डेवलप की जाय । आप किसानों की बात कर रहे हैं हमारे यहां नगर निगम कर दिया गया और वे हजारों-हजार किसान कहां जाएंगे, 50-60 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं समस्तीपुर में और नगर निगम के लिए वैसी तमाम, करीब 14 पंचायतों को ले लिया गया है इसलिए मैं चाहूंगा कि नगर निगम बनाने से पहले किसानों के हितों का ख्याल किया जाय । कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं इसलिए 25 प्रतिशत से ज्यादा आबादी वाली जगहों पर नगर निगम न बनाया जाय इसलिए समस्तीपुर नगर निगम पर पुनः विचार किया जाय कि किसान उससे प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं । मैं यह आग्रह करना चाहूगा कि अगर 25 प्रतिशत से ज्यादा किसान प्रभावित हो रहे हैं तो नगर निगम का प्रस्ताव विधान सभा वापस ले । अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां चीनी मिल थी, आज देख रहे हैं कि पूरे बिहार में चीनी मिल जो बंद हो गई थी आज तक उसको खोलने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, समस्तीपुर में 15 साल में उस चीनी मिल को चालू नहीं किया गया है । दस साल पहले सरकार ने नीति बनाई कि उन तमाम चीनी मिलों को बियाडा को दे दिया, बियाडा ने उद्योगपतियों को दे दिया, उद्योगपति दस साल में एक भी चीनी मिल बिहार में नहीं खोल सके, वहां पर कोई भी अल्टर्नेट कारखाना नहीं चला सके, आखिर क्या बात है, किस गति से सरकार चल रही है कि दस साल, 15 साल से जो बंद चीनी मिल थी न उसको चालू कर सके न उसकी जगह पर कोई वैकल्पिक कारखाना लगा सके, किस गति से सरकार चल रही है ? इसलिए हम मांग करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में समस्तीपुर चीनी मिल को पुनः चालु किया जाय या कोई भी

वैकल्पिक व्यवस्था हो तो उसको शीघ्र से शीघ्र चालु किया जाय ताकि वहां किसानों के साथ-साथ तमाम लोगों को फायदा होगा । अध्यक्ष महोदय, आज यहां पर अल्पसंख्यक विभाग भी है, मुझे यह कहते हुए, इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है कि एनडीए सरकार है और एनडीए का एक विचार होता है, एक मिजाज होता है । मोदी सरकार में भी एक अल्पसंख्यक मंत्री, योगी सरकार में भी एक अल्पसंख्यक मंत्री, नीतीश कुमार के पास भी एक अल्पसंख्यक मंत्री है । दूसरा...

अध्यक्ष: अब आप बैठ जाइए ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन: दूसरा जो अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है । अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष: श्री कुमार शैलेन्द्र ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन: अध्यक्ष महोदय, अभी 30 सैकंड हैं अल्पसंख्यक छात्रावास का 2006 में समस्तीपुर में मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया ।

अध्यक्ष: आप बैठ जाइए । श्री कुमार शैलेन्द्र ।

श्री कुमार शैलेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने प्रस्ताव किया है कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 33 अरब 35 करोड़ 47 लाख 43 हजार रुपये से अनाधिक राशि प्रदान की जाय, मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सबसे पहले एन0डी0ए0 के आदरणीय श्री श्रवण कुमार जी एवं माननीय श्री जनक सिंह जी को भी हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया ।

क्रमशः

टर्न-19/यानपति-अंजली/01.03.2021

...क्रमश...

श्री कुमार शैलेन्द्र: महोदय, अभी चंद्रशेखर बाबू कह रहे थे कि धन-बल के आगे हम जीत कर आये हैं । मैं भी थोड़ा अपने बिहपुर विधान सभा क्षेत्र के बारे में बता देना चाहता हूं कि इनके चहेते जो राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के थे उनको भी बिहपुर विधान की जनता ने धूल चटाने का काम किया और आज इस जन सेवक को इस विधान सभा में दूसरी बार बोलने का मौका दिया है । महोदय, इतना महत्वपूर्ण विषय है । कृषि विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय आलोक कुमार मेहता जी, आदरणीय हमारे विजय शंकर दूबे जी, चंद्रशेखर जी, विपक्ष के सभी नेता बोल रहे हैं लेकिन इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज इनके नेता यहां पर नहीं हैं । वे कहां हैं, वे कहां हैं ? महोदय,

इनके नेता कहां हैं ? असम में और बंगाल में जो चुनाव होने वाला है महोदय जिस बंगाल के मुख्यमंत्री ने राम को...

श्री अवध विहारी चौधरी: माननीय प्रतिपक्ष के नेता नहीं हैं वह प्रतिपक्ष के नेता हैं, लेकिन आपके सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो सदन में नहीं हैं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र: महोदय, मेरा कहना था कि इतना महत्वपूर्ण विषय है इनमें अवध विहारी बाबू को लगा कि धन्यवाद आपको कि आपने जानकारी दी । मित्रों, बिहार की अधिकतर आबादी गांव में रहती है और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आजीविका के स्रोत के साथ-साथ आमदनी का एकमात्र साधन है । जिस वक्त पूरा विश्व कोरोना से पीड़ित था, कोरोना के मार से, कोविड-19 से लोग त्राहिमाम थे । लोग एक दूसरे को छूना नहीं चाहते थे, ,भाई-भाई को भी देखना नहीं चाहते थे, पिता-पुत्र को देखना नहीं चाहते थे, मां-बाप को छूना नहीं चाहते थे ऐसी परिस्थिति में भी राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है । कोरोना महामारी के बाद जब सारे कार्य लगभग बंद हो गये तो भी किसानों ने इस अर्थव्यवस्था को चलाये रखा है । यह बात सच है कि सभी चीजें इंतजार कर सकती हैं लेकिन खेती का कार्य समय का इंतजार नहीं कर सकती । ऐसे में कोरोना महामारी के बीच खेती का कार्य सुचारू रूप से बनाये रखना बड़ी चुनौती का कार्य था महोदय । राज्य सरकार की आदरणीय नीतीश कुमार की सूझबूझ के चलते एवं समय पर उठाये गए कदम के फलस्वरूप लॉकडाउन के बीच फसल की कटाई, फसल की बुआई का कार्य संपन्न कराया गया महोदय, लेकिन विरोधियों को यह सब दिखता नहीं है महोदय, ये तो केवल भावनाओं में भड़काकर अपनी बात को अपने बीच में रखते हैं । बार-बार कहते हैं इनके नेता ए,बी,सी,डी, ए,बी,सी,डी अगर ए,बी,सी,डी, का यह हाल है तो एक्स, वाई, जेड होगा तो क्या होगा महोदय, ये तो अब संजीवनी मिल गया 2015 में नहीं तो क्या होता पता नहीं । खाद, बीज, के दुकानों को खुला रखने के लिए महोदय लॉकडाउन से छूट दी गई । लॉकडाउन की अवधि में कई नये प्रयोग किये गये, जिसकी सराहना देश भर में हुई है । किसानों को घर तक बीज पहुंचाने के लिए बीज का होम डिलीवरी की शुरुआत की गई । इस कार्यक्रम के तहत खरीफ 2020 मौसम में 49246 किसान तथा रबी 2020 मौसम में 71,098 किसान लाभान्वित हुये । महोदय, राज्य का वैशाली जिला फूलगोभी के लिए देश भर में मशहूर है । महोदय, लॉकडाउन के कारण, आवाजाही के गतिरोध के कारण फूलगोभी के बीज के उत्पादन करने वाले किसानों की चिंता बढ़ गई थी । राज्य सरकार के द्वारा समय से उठाये गये कदम तथा भारतीय डाक विभाग के सहयोग से फूलगोभी के बीज को सुदूर प्रदेशों तक भेजा जा सका । महोदय, नयी पहल के रूप में बाग से घर तक कार्यक्रम की शुरुआत की गई । इसके तहत सीधे बाग से साहिल, लीची एवं जर्दालू आम को शहरी उपभोक्ताओं तक पहुंचाया गया । महोदय, हाल

के वर्षों में मौसम में हो रहे बदलाव का व्यापक असर खेती पर पड़ रहा है । महोदय, खरीफ 2020 मौसम में बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण सात लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल प्रभावित हुआ था । किसानों की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि इनपुट अनुदान मद में 945 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया । महोदय, राज्य सरकार द्वारा मौसम में बदलाव को देखते हुए जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरुआत की गई । महोदय, वर्ष 2019 में इस योजना का पायलट 8 जिलों में किया गया था । पायलट योजना का परिणाम उत्साह बढ़ाने वाला रहा है । जलवायु अनुकूल कृषि पद्धति को अपनाकर किसानों का उत्पादन लगातार घटा है महोदय, तथा उनकी शुद्ध आय में बढ़ोतरी हुई है । पायलट योजना के अनुभव को देखते हुये इस योजना को विस्तार से इस वर्ष सभी 38 जिलों में किया गया है । महोदय, प्रत्येक जिला में 5 जलवायु के अनुकूल मॉडल गांव विकसित किये जा रहे हैं । प्रदेश के दूसरे गांव के किसानों को राज्य सरकार मॉडल गांव का भ्रमण करवा रही है । महोदय, किसान तकनीक को सीख सकें, इसके लिए जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए इस योजना को एक स्थायी योजना का स्वरूप दिया गया है । महोदय, राज्य सरकार गंगा नदी के किनारे के 13 जिलों को मिलाकर जैविक कोरिडोर की स्थापना कर रही है । महोदय, इस योजना के तहत 125 कृषक उत्पादक संगठन एवं कृषक सहकारी समितियों का गठन किया गया है । महोदय, 17,847 किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया गया है । महोदय, वर्ष 2021-22 में किसान संगठनों के माध्यम से 20,000 एकड़ में जैविक प्रमाणीकरण का लक्ष्य रखा गया है । महोदय, राज्य के कुल जिलों में पुआल जलाने की परंपरा हो गई थी । महोदय, राज्य सरकार के द्वारा व्यापक स्तर पर पुआल जलाने के दुष्परिणाम का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है । फसल अवशेष प्रबंधन के लिये उपर्युक्त कृषि यंत्रों पर राज्य सरकार द्वारा 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है महोदय । फिर भी इन प्रयासों का सीमित असर हुआ है । फसल अवशेष के प्रबंधन में नवोन्मेषी प्रयोगों की आवश्यकता है महोदय । इसके तहत कृषि विज्ञान केंद्र विक्रमगंज एवं कॉम्पेक्ट के द्वारा एक नवोन्मेषी प्रयोग किया गया । कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा पुआल का संग्रह कर इसके गट्ठर बनाये गये तथा कॉम्पेक्ट के द्वारा पुआल को पशु चारा के रूप में किसानों को उपलब्ध कराया गया महोदय । फसल अवेशष के प्रभावकारी प्रबंधन हेतु वर्ष 2021-22 में सरकारी संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा दिया गया महोदय जिससे पुआल का वैकल्पिक उपयोग होगा तथा किसान इसे नहीं जलायेंगे । किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक में प्रशिक्षण देने के लिए किसान चौपाल, किसान मेला, किसान पाठशाला एवं किसानों का परिभ्रमण कार्यक्रम चलाया जा रहा है महोदय । वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के बीच किसानों का ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू किया गया महोदय । ऑनलाईन

प्रशिक्षण कार्यक्रम से 39708 कृषि प्रसार कर्मी एवं किसानों को प्रशिक्षण दिया गया महोदय । कृषि के महत्वपूर्ण संस्थानों एवं तकनीकी प्रत्यक्षण स्थल पर 41557 किसानों को परिवहन कराया गया महोदय । किसान पाठशाला के माध्यम से 13671 किसानों को कृषि तकनीक में प्रशिक्षित किया गया महोदय । किसान चौपाल के माध्यम से ही 8.15 लाख किसानों को कृषि तकनीक के साथ-साथ कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गयी महोदय । वर्ष 2021-22 में कृषि प्रशिक्षण, किसान परिभ्रमण तथा किसान मेला का आयोजन किया गया महोदय ताकि अधिक से अधिक किसानों तक आधुनिकतम कृषि तकनीक का प्रचार-प्रसार किया जा सके महोदय । राज्य में बागवानी क्षेत्र के विकास के लिये वर्ष 2020-21 में कई नयी पहल शुरू की गयी महोदय । मखाना विकास, सहजन का क्षेत्र विकास, शेडनेट में पान की खेती, बाग उत्थान कार्यक्रम तथा बिहार राज्य उत्पाद विकास योजना शुरू की गयी महोदय । बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 की स्वीकृति दी गयी महोदय इस नीति के तहत मखाना, फल एवं सब्जी, शहद, औषधि एवं सुगंधित पौधे, चाय तथा बीज पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये व्यक्तिगत निवेशकों को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तथा किसान उत्पादक कंपनियों को 25 प्रतिशत भूमिगत अनुदान देने का निर्णय लिया गया है महोदय । राज्य में ड्रीप, तराई, स्प्रींकलर पर आधारित सिंचाई को बढ़ावा देने के लिये किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान का निर्णय लिया गया है महोदय । इस योजना के तहत वर्ष 2020-21 में 1305 एकड़ में ड्रीप सिंचाई का अधिष्ठापन किया गया है महोदय । राज्य में वर्ष 2006 में कृषि उपज बाजार अधिनियम को पेश किया गया महोदय । सरकारी बाजार प्रांगणों की समुचित देखभाल एवं किसानों को कृषि पर....

अध्यक्षः अब समापन करें ।

श्री कुमार शैलेन्द्रः मूल्य गिरवाने हेतु संस्थागत रूप से सहायता प्रदान करने के लिये वर्ष 2020 में बिहार एग्री वैल्यू चेन सिस्टम का संगठन कृषि विभाग के अधीन किया गया महोदय ।

टर्न-20/सत्येन्द्र/01-03-21

श्री कुमार शैलेन्द्र(क्रमशः) अंत में मैं अपने विधान-सभा का भी एक मामला है महोदय, मेरे बिहपुर विधान-सभा क्षेत्र में जो भागलपुर जिला के जो नारायणपुर प्रखंड है महोदय, वहां से लेकर ननहकार, सोनबरसा, नरकटिया और बिहपुर ,जमालपुर, विक्रमपुर के बीच में जब बाढ़ आता है तो हजारों हेक्टेयर में महोदय पानी फंस जाता है, जल जमाव के कारण हजारों एकड़ जो किसान का खेत है, उसमें अवैध रूप से पानी जमा रहता है जिसके वजह से वे खेती नहीं कर पाते है इसलिए महोदय उनका भी अगर स्लूईस गेट अगर बन जाता है तो वहां पर वह किसान खेती कर पायेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सुदामा प्रसाद: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं अपने दल के माननीय विधायक कॉमरेड महबूब आलम का भी आभार मानता हूँ। सबसे पहले कि आज छात्र युवाओं की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की मांग पर प्रदर्शन था जिस पर भयानक ढंग से लाठी चार्ज हुआ है और दर्जनों छात्र युवाओं का माथा फटा है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पर अपना पक्ष रखेगी। महोदय, मैं बिहार के तमाम किसानों को आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सरकार ने जो धान उत्पादन का लक्ष्य रखा था उससे ज्यादा धान का ज्यादा उत्पादन किया कठिन स्थितियों में, खेती में घाटे का सौदा करके भी उन्होंने धान पैदा किया । बिहार में 1 करोड़ 67 लाख किसानों का रजिष्ट्रेशन हुआ लेकिन धान खरीद हुई मात्र 5 लाख किसानों से और महोदय सरकार का फैसला था कि जिन किसानों ने अपना रजिष्ट्रेशन करा लिया है, धान खरीद के लिए उनको रजिष्ट्रेशन नहीं कराना है । सरकार का यह भी फैसला था कि कैबिनेट का, 17 दिसम्बर, 20 को कि अब किसानों को धान खरीद के लिए किसी तरह का कोई कागज पतर नहीं जमा करना है, ये अखबारों में बात मैंने 18 दिसम्बर को पढ़ा था लेकिन इस सिलसिले में बिहार सरकार का कोई पत्र न तो डी0एम0 के यहां गया, न बी0सी0ओ0 के यहां गया, न डी0सी0ओ0 के यहां और इसकी वजह से बिहार के लाखों किसान जिन्होंने कठोर मेहनत कर के धान पैदा किया था वह धान बेचने से रह गये । धान खरीद का लक्ष्य रखा गया महोदय, डेढ़ गुणा किया गया पिछले साल से कि 30 लाख नहीं 45 लाख मे0 टन धान की खरीद होगी लेकिन धान खरीद का समय 31 मार्च से घटाकर के 31 जनवरी कर दिया गया और फिर हल्ला हुआ तो 21 फरवरी किया गया। अब उसको धान खरीद का समय बढ़ाने के लिए विपक्ष की ओर से प्रस्ताव लाया गया तो बहुत ही खेदजनक है जो लोकहित के सवाल को, किसान हित के सवाल को अगर विपक्ष उठाता है तो उनको यह कहा जाता है कि आप इसके जरिये गलत करवाना चाहते हैं। ये घोर निंदनीय है महोदय, बड़ी निराशा हुई महोदय उस दिन, पहले की सरकारें संवेदनशील होती है, यह तो हो गया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे । ये मुझे लगता है कि इस संवेदनहीनता को खत्म करना चाहिए। बटाई पर खेती बिहार में सबसे ज्यादा होती है, समझिये कि करीब 33 करोड़ का जो कृषि बजट है, जिन भूधारी किसानों के पास जिन भूस्वामियों के पास रोजगार के दूसरे विकल्प मौजूद हैं, अगर वे सरकारी नौकरी में है, अगर उनके पास बस ट्रक चलता है, सीमेंट छड़ का बड़ा दुकान है, वे खेती नहीं करा रहे हैं, खेती धाटे में जा रहे हैं वे खेती बटाई में लगा रहे हैं तो बिहार के लाखों किसान, बटाईदार किसान जो खेती का भार लगातार उठा रहे हैं महोदय और जिनको बिहार की सरकार ने कहा था कि हम पहचान पत्र देंगे, 2010 में भूमि सुधार आयोग का गठन हुआ था जिसने कहा था कि 77 प्रतिशत

खेती बटाई पर होती है और अगर खेती उत्साहित करना चाहते हैं बिहार में तो बटाईदार किसान को पहचान पत्र दीजिये ताकि उनको भी डीजल सब्सिडी का लाभ मिले, उन्हें फसल क्षति का लाभ मिले, उनका भी धान गेहूं क्रय केन्द्र पर खरीदा जाय लेकिन बिहार सरकार ने आयोग की उस सिफारिश को रद्दी की टोकरी में बंद कर दिया तो हमारी मांग है पहले कि अगर आप बिहार की खेती को गति देना चाहते हैं तो उन बटाईदार किसानों को पहचान पत्र दे दीजिये, उनका भी रजिष्ट्रेशन करा दीजिये इस वित्तीय वर्ष में। एक छोटा उदाहरण है महोदय, अभी 25 दिसम्बर को 2020 को सेदहा हमारे विधान-सभा में तरारी प्रखंड में आता है वहां आग लगी खलिहान में और एक बटाईदार किसान है सतेन्द्र पंडित ,उनका 9 बीघा धान जलकर राख हो गया, 2 बीघा धान उन्होंने लिया था बटाई पर कौलेश्वर सिंह से भी, उनसे 70 मन पर तय हुआ था, जो धान बचा था उसमें से वे 60 मन ले लिये कौलेश्वर सिंह और सी0ओ0 के यहां उन्होंने आवेदन भी दिया कि मेरा धान जल गया है आप हमको फसल क्षति का मुआवजा दीजिये। ये कितनी विचित्र बात है महोदय, इसलिए यह सिस्टम जरूरी है अध्यक्ष महोदय, बटाईदार किसानों को पहचान पत्र नहीं मिलेगा तो समझिये कि खेती नहीं बचेगी। बड़ी खुशी की बात है कि 1 लाख 54 हजार करोड़ का वर्ष 2022 तक का कृषि रोड मैप है और हम समझते हैं कि जो बटाईदार किसान है, उनका करीब 85 हजार करोड़ का हिस्सा होता है अगर आप उनको पहचान पत्र नहीं दीजियेगा तो उनको एक पैसा नहीं मिलेगा इसलिए हमारी पुरजोर मांग है, सब लोग अपने विधान-सभा के लिए मांग कर रहे हैं, हम पूरे बिहार के बटाईदार किसानों के लिए उनके हक के लिए, बिहार की खेती को बचाने के लिए मांग करता हूँ कि उनका भी रजिष्ट्रेशन किया जाय, उनको पहचान पत्र दिया जाय ताकि उनको भी हर सुविधा मिले। दूसरी बात महोदय कि अभी कृषि के विकास के रास्त पर बहस छिड़ गयी है पूरे देश में कि कृषि के विकास का कौन सा रास्ता सही है, कृषि के विकास का किसानी रास्ता सही है या कॉरपोरेट रास्ता सही है। अभी पिछले दिनों केन्द्र सरकार ने जो तीन कृषि कानून पेश किये हैं - आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020, कृषक ऊपज व्यापार और वाणिज्य सम्बर्द्धन और सरलीकरण कानून 2020, कृषक सशक्तीकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020, ये कृषि के नये कानून है जिसके खिलाफ देश का पूरा किसान उबल रहा है और 250 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है और महोदय, सरकार जो है वह कह रही है कि ये किसानों के हित में है । किसानों में हित है तो किसान क्यों अपनी शहादत दे रहे हैं?

अध्यक्ष: अब समाप्त करें।

श्री सुदामा प्रसाद: महोदय, एक मिनट दिया जाय। जो किसान हैं, वह क्यों शहादत दे रहे हैं कहा जा रहा है कि हम किसानों को फ्री कर दिये, जहां मन हो वहां ले जाकर आनाज बेचे ।

हमारे यहां एक कहावत है कि मार घोटाये न पीठा ढकेले, एक मरीज गये डॉक्टर के यहां कि खुद खाया नहीं जा रहा है तो डॉक्टर ने कहा कि जाओ जाकर पीठा खाना । यहां 1867 किसानों का धान नहीं बिका और किसान धान लेकर जायेंगे कलकत्ता बेचने, हरियाण, पंजाब बेचने और वहां 10 हजार रू0 क्विंटल का भाव मिलेगा तो महोदय ये बहुत खतरनाक बात है। यह हमलोग पहली बार देख रहे हैं कि कानून जो है वह बाद में बना और अडाणी अंबानी का गोदाम पहले बन गया। सरकार कह रही है पीछे हटेंगे तो विश्वास उठ जायेगा कॉरपोरेट घरानों का...

अध्यक्ष: श्री अवधेश सिंह।

श्री अवधेश सिंह: अध्यक्ष महोदय,आपने मुझे समय दिया इसके लिए सबसे पहले आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और यहां जो कृषि अनुदान मांग आया है उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुए हैं..

अध्यक्ष: पांच मिनट का समय है, गागर में सागर भरिये ।

श्री अवधेश सिंह:अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और हमारे बड़े भाई आलोक मेहता जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारा तीसरा कार्यकाल है, पहली बार किसी ने कहा कि यहां जो बैठे हैं उसमें 90 प्रतिशत हमलोग किसान है और बाकी तथाकथित जो किसान के नेता है वह भारतीय जनता पार्टी के नेता को समझते हैं कि किसान है ही नहीं।(क्रमशः)

टर्न-21/आजाद/01.03.2021

..... क्रमशः .....

श्री अवधेश सिंह : जबकि कई माननीय सदस्य जो आर0जे0डी0 के हैं, हाजीपुर शहर में रहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और हम आज भी गांव में ही रहते हैं । किसानों का जो दर्द है, हमलोग निश्चित तौर पर उसको जानते हैं और समझते हैं...

अध्यक्ष : अब सुनिए बैठकर के ।

श्री अवधेश सिंह : अपने शाहिल भाई सैल्यूट कर रहे थे देश के उन किसानों को जो आन्दोलन पर बैठे हैं, उनको भी जरा सैल्यूट कर लीजिए जो कहते हैं कि पानी में से बिजली निकल जायेगा तो उस पानी का कैसे खेत में उपयोग किया जायेगा, सैल्यूट हमलोग एक बार उनको भी कर लें जो आलू से सोना उगाते हैं और सैल्यूट एक बार हम राघोपुर विधान सभा क्षेत्र के मतदाता हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र के रहने वाले है, हमलोग एक बार सैल्यूट उनको भी कर लेते हैं कि एक बार गेहूँ की फसल जल गई, गांव में घुमने गये थे तो लोगों से पूछे कि क्या दिक्कत है तो लोगों ने बताया कि पिछले साल भी गेहूँ जल

गयी थी, इस बार भी जल गयी है तो उन्होंने कहा कि गेहूँ इस समय जल जाता है तो गेहूँ क्यों नहीं पहले कटवा लेते हो । ऐसे-ऐसे सम्मानित किसान के बड़े नेता जो लगातार किसानों की चिन्ता कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन लोगों को हम सैल्यूट करते हैं, हम हाजीपुर से आते हैं, यहां केला का बहुत बड़ा क्षेत्र है । नाली से जो गैस निकाल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइए ।

श्री अवधेश सिंह : महोदय, दूसरी बार लगातार राघोपुर से जिन लोगों ने क्षेत्र की नुमाईन्दगी की है, वहां पर केला की खेती बड़े पैमाने पर होती है । हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तीन-चार केला अगर उनको दे दिया जाय और वे पहचान कर लेंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे, यह आप समझ लीजिए । हाजीपुर में गोभी का जो बीज का उत्पादन होता है । दुनिया के कई देशों में गोभी का बीज निर्यात....

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, ...

अध्यक्ष : 5 ही मिनट समय है ।

श्री अवधेश सिंह : कई देशों में गोभी का बीज निर्यात किया जाता है । अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि उस गोभी के बीज का जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो लाईसेंस बनता है.....

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : बैठ जाइए ।

श्री अवधेश सिंह : उसमें जो भी संभव हो, उसको सरल करने का प्रयास किया जायेगा ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, नेता प्रतिपक्ष के बारे में जो बात बोल रहे हैं, उसके बारे में माननीय सदस्य के पास साक्ष्य नहीं है, इसलिए उस टिप्पणी को प्रोसिडिंग्स से निकाल दिया जाय ।

अध्यक्ष : बैठ जाइए, देख लेंगे ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, गोभी के बीज का लाईसेंस देने की जो प्रक्रिया है, उसमें कहीं न कहीं दुनिया के कई देशों में गोभी का बीज हाजीपुर से जाता है, प्रोसेसिंग का प्लांट भी वहां पर लगना है । लेकिन उसका लाईसेंस लेने की जो प्रक्रिया है, वह जटिल है ।

नीलगाय के संबंध में हम समर्थन भी करते हैं, आलोक भैया नीलगाय के संबंध में बोल रहे थे । नीलगाय वाकई बहुत बड़ी समस्या है, हम तो आग्रह करेंगे कि अगर संभव हो तो सभी दल के लोगों का एक कमेटी बनाकर उसपर क्या किया जा सकता है, वह कौन जीव है, नहीं है, वाकई किसान नीलगाय से बहुत त्रस्त है, परेशान

हैं। विपक्ष के लोग भी जो अच्छी सलाह देते हैं जो अच्छी राय देते हैं, उसपर जरूर हमको काम करना चाहिए ।

ए0पी0एम0सी0 बिल जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि हाजीपुर से एक ट्रक केला निकलता था, बख्तियारपुर से आरा और मुजफ्फपुर जाने पर लोग पीछे पड़े रहते थे बाजार समिति, बाजार समिति डाक कराने में । मंशा क्या है ऐसा नहीं है कि हमलोग नहीं समझते हैं । 300रू0 एक जगह, 200रू0 एक जगह, 500रू0 एक जगह एक मार्केट में पहुॅंचने में एक ट्रक केला ले जाने में तीन-तीन हजार रू0 रंगदारी देना पड़ता था । आज वो लोग कह रहे हैं कि बाजार समिति खतम हो गया, सब कुछ खतम हो गया । कलेक्शन होता था पूरी की पूरी कई लोग वैशाली जिला से हैं, बगल में केला और तरबूज की बड़े पैमाने पर खेती होती है तो बाजार समिति खतम हो गया तो उससे किसान कहीं दु:खी नहीं हैं । हम आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे, समय भी कम है, दो चीज एक तो पानी दे दीजिए समय से सिचाई हो जाय और दूसरा जो किसान का ऊपज है सही रेट में अगर कहीं भी, कोल चेन की बात हो रही थी जो सब्जियां बर्बाद होती है । अगर किसान जिस समय फसल बेचना चाहे, समय पर उसका अगर सही दाम मिल जाय तो इससे ज्यादा कोई अनुदान, डिजल अनुदान या जो कुछ सब्सिडियां हैं, मुझे नहीं लगता है कि बहुत देने की आवश्यकता है । किसान के हित में मार्केट अगर मिल जाय, सब्जियों का कोल चेन बन जाय ताकि जो सब्जियां बर्बाद होती है, समय पर उसका पेमेंट हो जाय तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ।

अध्यक्ष : अब आप समापन करें ।

श्री अवधेश सिंह : हमलोग जबर्दस्ती बोलने वाले लोग नहीं हैं । आपने मुझे समय दिया, इसके लिए पुन: आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूॅं । बहुत-बहुत धन्यवाद । जयहिन्द ।

अध्यक्ष : श्री सिद्धार्थ सौरव, 5 मिनट ।

दो-तीन मिनट आपके पूर्व के वक्ता ले चुके हैं ।

श्री सिद्धार्थ सौरव : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूॅं कि कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया । यहां पर बैठे हुए सभी सदस्य यह मानने के लिए तैयार हैं कि बिहार में 75 प्रतिशत से ज्यादा आबादी किसानों की है । सभी लोग सहमत भी हैं कि अधिकतर जो आबादी है चाहे नौजवानों की हो या वृद्धों की, किसानों की अर्थव्यवस्था पर उनका जीवन-यापन आधारित है । दो फसल किसानों का होता है । धान अधिप्राप्ति भी पूरा बिहार सरकार आधा नहीं कर पायी और यहां पर बैठे हुए सभी लोगों से विशेषकर कृषि मंत्री जी से, सहकारिता मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से जानना चाहूॅंगा कि गेहूॅं के फसल की अधिप्राप्ति के लिए इनकी क्या मंशा है ? क्या किसानों का

जो दो फसल है, गेहूँ का कोई रेकोर्ड नहीं है कि किसान गेहूँ ऊपजा रहा है । आज कोई व्यवस्था नहीं है इसके कारण किसानों को मंडी में जाकर के गेहूँ बेचना पड़ रहा है। माननीय मंत्री जी ने कुछ दिन पहले इसी सदन में कहा था कि धान की अधिप्राप्ति अब बिचौलिया दे रहे हैं पैक्स में । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो बिचौलिया के पास धान पहुँचा है वह क्या बिहार के किसानों का है या उत्तरप्रदेश या बंगाल के किसानों का है । यह बहुत बड़ा मुद्दा है, आखिर किसान आज इतना क्यों हतोत्साहित है, वह जान रहा है कि धान नहीं बिकेगा तो वह क्यों अपना धान बिचौलियों के पास बेच रहा है ? क्यों नहीं इस सदन में बैठा हुआ हर व्यक्ति जो चाह रहा है धान की अधिप्राप्ति हो, गेहूँ की अधिप्राप्ति हो । इसी सदन में सभी पार्टी के सदस्य यहां पर एक सामूहिक रूप से कोई उपाय निकालें ताकि शतप्रतिशत धान एवं गेहूँ की अधिप्राप्ति बिहार सरकार करे, क्यों नहीं बिहार के किसानों का उद्धार की एक गाथा यहां से शुरूआत की जाय ।

एक बहुत बड़ी समस्या है । केन्द्र सरकार और बिहार सरकार आज यहां पर एन0डी0ए0 की सरकार बिहार में है और स्पष्ट रूप से केन्द्र सरकार का गाईडलाईन है केन्द्र सरकार द्वारा कि ''Support to State extention programmes for extension Reforms Scheme,2018 आत्मा स्कीम । इसमें स्पष्ट लिखा हुआ हैं कि Chairman shall be elected out of the above members on rotation basis. इसका तात्पर्य यह है सर कि जो भी आत्मा से जुड़े अध्यक्ष पद का सेलेक्शन होना है, वह जो है BFAC के मेम्बर हैं, उनके द्वारा एलेक्टेड प्रक्रिया से होना है । बिहार सरकार ने इसको पूरी तरह से नजर अंदाज करके पूरे एलेक्शन की प्रक्रिया को नहीं करते हुए सेलेक्शन की प्रक्रिया पूरे बिहार के पूरे प्रखंडों में थोप दिया है । क्या प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रख रही है बिहार सरकार, क्या अपने केन्द्र सरकार के अध्यादेश पर भी विश्वास नहीं रख रही है बिहार सरकार । अभी नौबतपुर से जुड़ा मामला है, जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जिस व्यक्ति को 6 नम्बर है, six out of six criteria फुलफिल करता है, उसको मनोनीत नहीं करके जो व्यक्ति three out of six criteria फुलफिल करता है, उसको मनोनीत कर दिया गया है । एक तो प्रजातंत्र की भी हत्या की गई है और दूसरा मनमाने ढंग से इसको थोपा गया है । उसके विरूद्ध में इन्हीं के विभाग के निदेशक ने लिखा है – ''उक्त के आलोक में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र के साथ अनुसूची को संलग्न करते हुए निदेश है कि उपर्युक्त बिन्दुओं के आलोक में किसान सलाहकार समिति का गठन किये जाने से संबंधित पूर्व में बामेती के पत्रांक–1781 दिनांक 04.12.2019 के द्वारा उपलब्ध कराये गये किसान सलाहाकार समिति के मार्गदर्शिका के अनुसार ही गठित की जानी थी जो आपके गठित समिति नियमानुकूल प्रतीत नहीं हो रही है । अत: निदेश है कि उपर्युक्त मार्गदर्शिका के आलोक में किसान सलाहकार समिति के

अध्यक्ष का चयन से संबंधित पर अनुपालन करते हुए सुस्पष्ट मंतव्य उपलबध कराना सुनिश्चित की जाय । ''

एक डायरेक्टर का लिखा हुआ जिला कृषि पदाधिकारी को पत्र है, जिसका भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है । आज जितनी भी योजनायें हैं, जो पटना जिला में चल रही है, जिला कृषि पदाधिकारी अपने संबंधी सुधा ट्रेडर्स के माध्यम से चलवा रहे हैं, क्या यह अराजकता का माहौल नहीं है पटना में ? जो भी बामेती संबंधित योजनायें हैं, जो भी आज बीज का वितरण हो रहा है, वह सुधा ट्रेडर्स के नाम से अपने निजी परिवार के सदस्य के द्वारा चलाकर बीज वितरण करवाया जा रहा है । क्या इसकी जॉच नहीं होनी चाहिए और क्या यह सुनिश्चित नहीं की जानी चाहिए कि केन्द्र सरकार द्वारा जो अधिनियम लाया गया है, उसका अनुपालन करके पूरे बिहार में एलेक्टेड प्रक्रिया .....

अध्यक्ष : अब समय समाप्त हुआ ।

श्री सिद्धार्थ सौरव : आखरी बात है अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार में एलेक्टेड प्रक्रिया को लागू किया जाय और सेलेक्टेड प्रक्रिया को लागू नहीं किया जाय, क्यों थोपा जा रहा है, क्यों नहीं एलेक्शन की प्रक्रिया को लागू किया जाय और किसानों को अपना नेता चुनने का अधिकार दिया जाय । धन्यवाद ।

टर्न-22/शंभु/01.03.21

श्रीमती निशा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कृषि बजट 2021-22 के समर्थन में बोलने के लिए जो समय दिया गया है इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ । किसानों के हित के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है । माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जो कुल आबादी का 70 प्रतिशत कृषि पर ही निर्भर है । कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है । कृषि के विकास के बिना राज्य का विकास कर पाना संभव नहीं है । इसीलिए अध्यक्ष महोदय, कृषि के विकास के लिए हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 स्कीम मद में 2533.38 करोड़ रूपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 801.59 करोड़ रूपये कुल 3335.47 करोड़ रूपये का बजट उपबंध का प्रस्ताव है । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसानों की आय दुगुना करने के लिए तकनीक के प्रयोग का बढ़ावा दिया है जिसमें पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण करने, उर्वरक उपलब्ध कराने तथा मशीनीकरण को बढ़ावा देने के कारण एक तरफ जहां बिहार की कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है वहीं दूसरी तरफ किसानों की लागत खर्च में कमी आयी है । इससे किसानों के आय में वृद्धि होगी । आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत कृषि उत्पादक कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा खेत के स्तर पर विकास के लिए आधारभूत संरचना के विकास के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है । महोदय, कृषि

क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए वर्ष 2017 से 2022 तक के लिए कृषि रोड मैप को कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें 1.54 लाख करोड़ रूपये व्यय किये जायेंगे । कृषि रोड मैप के फलस्वरूप फसलों की औसत प्रति हेक्टर उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान कैसे आधुनिक तकनीकों से खेती करे इसके लिए हमारी सरकार ने किसानों को आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षण देने के लिए किसान चौपाल, किसान मेला, किसान पाठशाला एवं किसान परिभ्रमण कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक किसानों तक आधुनिकतम कृषि तकनीक से खेती करने के लिए बतलाया जाता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 2020-21 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत मखाना विकास, सहजन क्षेत्र विकास, पान की खेती, बागवानी उत्थान कार्यक्रम तथा बिहार राज्य आधुनिक उत्पादन विकास योजना शुरू की गयी है । बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 के तहत मखाना, फल एवं सब्जी, शहद, औषधियां एवं सुगंधित पौधे चाय तथा बीज पर आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत निवेशकों को परियोजना का लागत 15 प्रतिशत तथा किसानों और उत्पादक कंपनी को 25 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान देने का निर्णय लिया गया है ।

अध्यक्ष : आप संक्षिप्त करें ।

श्रीमती निशा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि रोड मैप में विभिन्न कार्यक्रमों पर बल दिया जायेगा । जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रमों प्राथमिकता पर कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा तथा इसके स्थायी योजना का स्वरूप दिया जायेगा । कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए नये कृषि महाविद्यालय स्थापित किये जायेंगे तथा विश्वविद्यालय के नीचे स्तर के विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था एवं कृषि के प्रति अभिरूचि बढ़ायी जायेगी तथा नये सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किये जायेंगे । आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खेत के स्तर का आधारभूत संरचना के विकास के लिए कार्यक्रम चलाये जायेंगे ।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्रीमती निशा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि बजट 2021-22 में किसानों के हित में विकास का बजट है । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : मो0 इसराईल मंसूरी । 6 मिनट ।

श्री मो0 इसराईल मंसूरी : महोदय, आज मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ । महोदय, सबसे पहले हम आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया । साथ ही हम अपने क्षेत्र कांटी विधान सभा क्षेत्र की सम्मानित जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहते

हैं कि वहां की जनता ने एक सामाजिक कार्यकर्ता को वैसे समाज से प्रतिनिधित्व कर भेजने का काम किया है जो समाज आजादी के बाद पहली बार इस सदन का सदस्य हुआ है । इतने दबे कुचले समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए गरीबों के मसीहा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं । अध्यक्ष महोदय, श्री विजय कुमार चौधरी जी आदरणीय नेता बैठे हुए हैं । इनके सानिध्य में भी हमने 13 वर्ष बिताने का काम किया है और लगातार इनके यहां भी हमने अपने समाज के प्रस्ताव को रखते रहा है, लेकिन यहां के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी अल्पसंख्यकों में जो पसमांदा समाज है उसके हित के लिए बात कहा था, लेकिन आज तक उन्होंने इस समाज को प्रतिनिधित्व देने का मौका नहीं दिया । महोदय, आज कई विषय पर चर्चा होनी है । कृषि की बातें सदस्यगण बोल रहे थे । मेरा कहना है हमलोग गांव गवई में घूम रहे हैं किसानों को आज तक रबी फसल का भी मुआवजा नहीं मिल पाया है, खरीफ के भी हजारों किसान इस राज्य में हैं जिनको मुआवजा नहीं मिल पाया है । आज कॉपरेटिव के माध्यम से धान अधिप्राप्ति का मामला है- महोदय, बहुत ऐसे किसान हैं जो ऑनलाइन अप्लाय किये हैं, लेकिन उनसे धान अधिप्राप्ति सरकार नहीं कर रही है ।

अध्यक्ष : एक मिनट माननीय सदस्य । अजीत बाबू, आप बीच में बाधक बने, खेद व्यक्त कर दीजिए ।

श्री अजीत शर्मा : जी, खेद प्रकट करता हूँ ।

श्री मो0 इसराईल मंसूरी : महोदय, सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि हम सिर्फ इच्छुक किसानों से धान खरीद करेंगे । अध्यक्ष महोदय, इच्छुक किसान कौन है, किसान सलाहकार 9 जनवरी और 10 जनवरी दो दिन मात्र सर्वे करके अपने चहेते किसानों का नाम दर्ज कर दिया गया और इस राज्य के हजारों लाखों किसान जो ऑनलाइन आवेदन किये उनसे धान अधिप्राप्ति नहीं की जा रही है । अध्यक्ष महोदय, आज मुजफ्फरपुर जिले में कुल 80 मिट्रिक टन का गोदाम है ।

अध्यक्ष : अब एक मिनट आपका समय बचा है ।

श्री मो0 इसराईल मंसूरी : 52 हजार 500 एम0टी0 धान खरीद हुई है जिसका सी0एम0आर0 34000 मि0टन होता है ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए, कुछ क्षेत्र की बात है तो बताकर बैठ जाइये ।

श्री मो0 इसराईल मंसूरी : अल्पसंख्यक के मामले में हम कुछ कहना चाहेंगे, एक मिनट महोदय । महोदय, बिहार की 12 करोड़ 85 लाख आबादी है उसमें अल्पसंख्यकों की संख्या 16.87 परसेंट जिसका 17 परसेंट आबादी को मात्र 0.26 परसेंट बजट में हिस्सा माना गया है ।

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये । श्री शाहनवाज प्रारंभ करें, 4 मिनट ।

टर्न-23/ज्योति/01-03-2021

श्री शाहनवाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि बजट 2021-22 के वाद विवाद और कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । अध्यक्ष महोदय, यह पहला अवसर मिला है किसी वाद विवाद में अपना विचार व्यक्त करने के लिए । मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ जोकीहाट के तमाम जोकीवासियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने 1967 से लेकर लगातार हमारे पिता जी से लेकर हम तक अपना एतबार, अपना विश्वास हमलोगों पर रखा । आज हम इस पाक और पवित्र सदन के माध्यम से तमाम जोकीहाटा वासियों को भरोसा दिलाना चाहते हैं। मैं अपने पिता के आदर्शों पर, बड़े बुजुगों के आदर्शों पे चलने का प्रयास करता रहूँगा। कोई भी बजट बनाया जाता है किसानों के हित के लिए परन्तु हमारे बिहार में इसके विपरीत हो रहा है । बिहार का क्या हाल है, यह सब जानते हैं । यहाँ पर किसान से किसान, श्रमिक मजदूर बन गए और पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं । उनके लिए बनाए गए सभी सुविधा साधन दुविधा का कारण बन गए । अभी पूरे देश का जो हाल है केन्द्र सरकार द्वारा जो तीन काले कानून लाए गए हैं उसके खिलाफ महीनों से पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है । इसको लेकर मैं कुछ पंक्तियों द्वारा अपनी बात रखना चाहूंगा ।

''मत छेड़ किसानों को संभालना मुश्किल होगा । चलायेंगे तुम्हारे अहंकार पर अपना हल, फिर समय इतना मुश्किल होगा ।''

अध्यक्ष महोदय, देश के अन्नदाता सड़कों पर हैं और यह सरकार किसी की सुनने को तैयार नहीं है । देश का माहौल क्या बनाया जा रहा है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है । मैं इसपर ज्यादा बोलते हुए नहीं बस इतना कहना चाहूंगा कि जिसके लिए कानून बनाया गया है उसको फायदा ही नहीं हो रहा है तो इस कानून का क्या फायदा । अध्यक्ष महोदय, मैं देश से नीचे आना चाहता हूँ और बिहार की बात करता हूँ और बिहार की जो स्थिति है उसको देख कर हम प्रदेशवासियों को रोना आता है । आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता फिर भी आंकड़े बताते हैं कि बिहार में किसानों की हालत हद से ज्यादा दयनीय है । अध्यक्ष महोदय, यहाँ तो एम.एस.पी. पहले ही खत्म कर दिया गया था । एक या दो फसलों पर मिलता है उसका भी औरिजनल रसीद किसानों को नहीं मिलता है । प्रदेश के किसान श्रमिक बनने को मजबूर हो गए है ।

अध्यक्ष : अब संक्षिप्त करिये ।

श्री शाहनवाज : मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वह सीमांचल का एरिया पड़ता है । सीमांचल के किसानों की हालत पूरे प्रदेश में सबसे दयनीय है । बात करें एम.एस.पी. की तो हमारे यहाँ किसानों को इसका मतलब भी नहीं पता होगा । सरकार द्वारा बेहतर व्यवस्था नहीं किए जाने के फलस्वरुप वहाँ के किसान अपनी फसल कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं । मैं दो फसल के बारे में मक्का और अनानास के बारे में कुछ बातें आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूँ । मक्का किसानों की हालत इतनी खराब हैं कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं । केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में मक्के का एम.एस.पी. 1850 रुपये घोषित किया गया था । बिहार प्रमुख मक्का उत्पादक है। बिहार में देश के 9 फी सदी मक्का पैदा होता है जिसका 80 फीसदी मक्का किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया सहित कुल 18 जिलों में होता है जिसका प्रति क्वींटल लागत 1080 से 1200 रुपया आता है । जैसा कि आप सब को मालूम होगा कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 में ही कृषि उत्पादन बाजार समिति की मंडियों को खत्म कर दिया था ।

अध्यक्ष : बैठ जाईये श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी ।

श्री शाहनवाज : एक मिनट सर, आज पहली बार बोल रहे हैं सर ।

अध्यक्ष : ठीक है, बोल लीजिये जल्दी से समाप्त करिये ।

श्री शाहनवाज : जिसके फलस्वरुप किसान सस्ते दाम पर मक्का बेचने को मजबूर हो जाते हैं ।

अध्यक्ष : अब बैठ जाईये ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया गया है इसके लिए मैं श्रीमान् का, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी का बहुत बहुत आभार ।

अध्यक्ष : 3 मिनट का समय है ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : आदरणीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा कृषि विभाग के बजट में बिहार के किसानों के लिए , बिहार के किसानों की चहुमुखी विकास के लिए बजट में समुचित व्यवस्था कर बिहार के किसानों का समग्र रास्ता प्रशस्त किया गया है । कृषि राष्ट्र जीवन का मुख्य साधन है । कृषकों के विकास के लिए बहुत लाभकारी योजना संचालित की जा रही है । आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत कृषि उत्पादक कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है । कृषि आवश्यकता की आधारभूत संरचना के विकास के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है । कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए 2017-2022 तक के लिए कृषि रोड मैप की शुरुआत की जा रही है इसमें 1.54 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि की संभावना बढ़ायी गयी है । अच्छी उपज के लिए तीव्र विस्तार योजना माननीय मुख्यमंत्री द्वारा व्यवस्था

की गयी है जिसके अंतर्गत प्रखंड के चुने हुए गांव के सभी इच्छुक किसानों को अनुदानित दर पर घर घर बीज पहुंचाने की व्यवस्था की गयी है । किसानों को मौसम के अनुकूल कृषि करने की तकनीक बतायी जा रही है । किसानों के उपज को बढ़ाने के लिए कृषकों को नयी नयी तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 के तहत मखाना, फल, सब्जी, शहद, औषधि, सुगंधित पौधे, चाय बीज एवं अन्य तेलहन दलहन एवं चाय बीज पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को ..

अध्यक्ष : गागर में सागर हो गया ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : साथ ही साथ मैं अध्यक्ष महोदय, अपने क्षेत्र की एकमात्र समस्या का निदान हम आपके माध्यम से चाहते हें कि सिकन्दरा में कृषि विभाग की सैकड़ो, लगभग सैकड़ो नहीं 20 एकड़ जमीन जो कृषि योग्य भूमि है वह उपजाऊ है और उसमें कृषि विभाग की ओर से कोई भी योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा हे। हम आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि कृषि विभाग की उस जमीन को उपयोग में लाया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है, श्री अजय कुमार एक मिनट ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग की मांग पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं खड़ा हूँ । आज लम्बा चौड़ा भाषण पक्ष द्वारा सुनने का मौका मिला । मैं दो तीन बात पीन प्वायंटेड कहना चाहता हूँ । कृषि के विकास के वगैर देश का विकास नहीं हो सकता। यह मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि देश के आजादी के बाद महालानवीश कमीशन का गठन जो किया गया था उनका कहना था । उन्होंने कहा अगर देश का विकास चाहते हो तो इस देश में उद्योग लगाना होगा और उद्योग के उत्पादित वस्तु का बिक्री करने के लिए, लोगों के क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए कृषि का विकास जरुरी है ताकि कृषि घाटे का सौदा न हो लेकिन हम देखते हैं कि लगातार कृषि क्षेत्र में जो सरकार अनुदान दे रही थी उसमें कटौती करते जा रही है । चाहे फर्टिलाईजर पर हो या फिर डिजल पर हो या फिर कृषि उपक्रम पर हो कृषि उपक्रम के बारे में हमारे साथी बोल रहे थे विपक्ष की तरफ से कि जो उसपर अनुदान दी जाती, उस अनुदान की लूट होती है इसके साथ हम कहना चाहते हैं कि कैसे आप कृषि का विकास करना चाहते हैं । प्रखंड स्तर के जो कृषि पदाधिकारी होते हैं आज विभूतिपुर के जो पदाधिकारी हैं वे तीन प्रखंड के पदाधिकारी के चार्ज में है और एक मिनट में हम खत्म कर देना चाहते हैं । हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं चूँकि आप ज्यादा बोलने भी नहीं दीजियेगा । मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बिहार के अंदर जो पहले कभी जन सेवक हुआ करते थे जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के कार्य को देखते थे और किसान को उनसे बहुत

मदद मिलती थी और उसकी जगह पर जो सीटें खाली हैं 6000 उसको भरे वगैर कैसे हो सकता है कृषि का विकास ।

अध्यक्ष : अब दो मिनट हो गया । मो0 नेहालुद्दीन । आपका 5 मिनट समय है ।

टर्न-24/पुलकित-अभिनीत/01.03.2021

अध्यक्षः माननीय सदस्य, मोहम्मद नेहालउद्दीन, आपका 5 मिनट समय है ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीनः सदर मौहतर्म, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ अपने हलका रफीगंज की तमाम आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे तीसरी बार चुना है । हमारा एक कार्यकाल मात्र 9 महीने का रहा । बहरहाल, जरात के साथ-साथ यानी कृषि के साथ-साथ गन्ना और अल्पसंख्यक यानी आकृतिफलां का भी बजट में है, उस पर भी कटौती प्रस्ताव आया है, हम उसी के फेवर में बोलने के लिए खड़े हुए हैं । किसानों की आज क्या हालत है, हिन्दुस्तान ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि जो अन्नदाता कहलाता है, जो तमाम इंसानों को ही नहीं हैवानात, नबातात, जमातात तमाम तरह के जो जीव-जन्तु हैं इस धरती पर, वह उसका पेट भरने का काम करता है । अगर हीरा-जेवरात, सोना, चांदी, डॉलर, रूपया से पेट भर रहा होता तो अनाज की तरफ कोई नहीं दौड़ता । आज उन्हीं के फेवर में कहा गया है कि हमने कानून लाया है, उनकी भलाई के लिए । जब किसान मानने के लिए तैयार नहीं है तो उस पर आप जबरदस्ती क्यों थोपते हैं, क्यों कहते हैं कि ये आपके भले के लिए है । हजारों-हजार किसान, आज तकरीबन सौ दिनों से भी उपर हो गये, चार महीने होने को आ रहे हैं, बीबी, बाल-बच्चे, औरतें सारे के सारे रोड पर हैं और उसमें तकरीबन 250 से 300 लोगों की मौत हो गई है ।

हम तो सबसे पहले उन किसानों को मुबारकवाद पेश करते हैं कि आप अपने हक की लड़ाई के लिए खड़े हैं, डटे हैं । कोल्ड वेदर के बाद अब गर्मी का मौसम आ गया है मगर उसमें भी वे खड़े हैं । क्या-क्या उन पर जुल्म नहीं ढाये गये लेकिन फिर भी वे अड़े हुए हैं । 'जुर्म पर जुर्म बढ़ता है तो मिट जाता है, खून पर खून टपकेगा तो जम जायेगा ।' इनको सोचना चाहिए, किसान के बारे में ये कहते हैं कि हम ये करते हैं, हमने ये फायदा किया, वो फायदा किया । यू0पी0ए0 की सरकार थी, मनमोहन बाबू की सरकार थी तो उन्होंने पूरे हिन्दुस्तान के किसानों का कर्ज माफ किया था और आज जहां-जहां भी यू0पी0ए0 और कांग्रेस की सरकार है वहां भी किसानों का कर्ज माफ किया गया है । यहां की सरकार क्या कर रही है । धान की खरीदगी के पहले भी मैंने यह मामला उठाया था, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय भी मैं खड़ा हुआ था । 21 फरवरी से इन्होंने ऑनलाइन बंद कर दिया और केन्द्र सरकार ने 31 मार्च तक

कर रखा था मगर इन लोगों ने उसको पहले ही बंद कर दिया और आज सारे किसानों का धान वहां मौजूद है । हम तो कहते हैं:-

‘‘ जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे
किरायेदार हैं, अपना मकान थोड़ी है,
सभी का खून है शामिल, यहां की मिट्टी में
किसी के बाप का हिन्दुस्तान थोड़ी है । ’’

‘‘ जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा,
के आ के बैठे हो, अगली सफ में,
अभी से उड़ने लगे हवा में,
अभी तो शोहरत नयी-नयी है । ’’

अध्यक्षः अब बैठ जाइये । माननीय सदस्य श्री सूर्यकान्त पासवान, आपका समय एक मिनट है ।

श्री सूर्यकान्त पासवानः अध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन इस देश की सरकार, और इस राज्य की सरकार को जरा-सी भी इस देश के किसानों की चिंता नहीं है । महोदय, आज हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारे राज्य में किसान हम तमाम लोगों को अन्नदाता के रूप में जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन इस देश की सरकार और इस राज्य की सरकार, इन किसानों की सुध लेने के लिए तत्पर नहीं है । महोदय, मैं एक-दो बिंदुओं की ओर इशारा करना चाहता हूं, मैं कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि बिहार के अंदर जल-जमाव की स्थिति काफी जोरो पर है और निश्चित रूप से जल-जमाव के कारण, आज हमारे क्षेत्र के अंदर ईख की फसल सैकड़ों एकड़ में लगी हुई है ।

महोदय, आज बिहार के अंदर कृषि आधारित उद्योग जो नहीं हैं वे खुलने चाहिये । एक मात्र, एकलौता उद्योग बेगूसराय जिला के अंदर मक्का अनुसंधान केंद्र है । महोदय, इस केन्द्र के लिए भी हम सरकार के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उसको बढ़ावा मिले, क्योंकि उस इलाके में मक्का की खेती बहुत अधिक होती है । यह मक्का अनुसंधान केंद्र अभी रख-रखाव के अभाव में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है । महोदय, आज पूरे बिहार के अंदर कोल्ड स्टोरेज खोला जाय, जो मौसमी फसल होती है, साग-सब्जी होती है उनके लिए खासकर हमारे बेगूसराय जिला के अंदर बखरी विधान सभा के प्रत्येक प्रखंड में एक-एक शीतगृह हो, कोल्ड स्टोरेज हो । महोदय, वहां आलू की फसल की उपज काफी मात्रा में होती है लेकिन उसको रखने के लिए बेगूसराय, मंझौल, खगड़िया जाना पड़ता है । महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार के सभी प्रखंडों में शीतगृह केंद्र खोला जाय । धन्यवाद ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री अनिल कुमार । आपका समय 5 मिनट ।

श्री अनिल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं 2020-21 के कृषि बजट में सरकार के पक्ष में अपनी बात को रखना चाहता हूँ । महोदय, हमारे बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आजीविका के स्त्रोत के साथ-साथ आमदनी का एक मात्र साधन भी है । महोदय, किसानों की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि इनपुट अनुदान मद में 945 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं । दक्षिण बिहार के जिलों में भूमि एवं जल संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाये गये हैं । वर्ष 2020-21 में मिट्टी एवं जल संरक्षण के उद्देश्य से 353 तालाब, 46 पक्के डैम, 887 अवरोधक बांध एवं 217 सिंचाई कूप का निर्माण भी किया गया है । महोदय, वर्ष 2020-21 में कृषि रोड मैप के अधीन बीज योजना, जैविक खेती, बागवानी विकास, कृषि यांत्रिकीकरण, कृषि तकनीक के प्रचार-प्रसार तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा कार्यक्रमों पर बल दिया जायेगा ।

महोदय, इस वर्ष किसानों से अधिकाधिक धान क्रय करने के उद्देश्य से भी किसान निबंधन की प्रक्रिया सरलीकृत एवं राज्य सरकार द्वारा अधिप्राप्ति कार्य हेतु 3500 करोड़ रुपये राजकीय गारंटी भी बिहार राज्य सहकारी बैंक को उपलब्ध कराया गया है । अनाज भंडारण हेतु वर्ष 2020-21 में अब तक 77 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे 0.203 लाख मेगाटन क्षमता में अभिवृद्धि हुई है एवं 641 गोदामों का निर्माण कार्य निर्माणाधीन है, जिसके निर्माण कार्य पूर्ण होने से 1.833 लाख मेगाटन क्षमता में अभिवृद्धि संभावित है । अध्यक्ष महोदय, राज्य में सरकारी समितियों में सदस्यता के लिए ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है जिसका उद्देश्य राज्य के वंचित हर ग्रामीण परिवार का कम से कम एक व्यक्ति पैक्स की सदस्यता ग्रहण कर सके । पैक्सों में पूर्व से 1,16,14,415 (एक करोड़ सोलह लाख चौदह हजार चार सौ पन्द्रह) सदस्य हैं जिसमें 35.95 लाख महिलाएं हैं । अध्यक्ष महोदय, भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो कि कृषि पर आधारित है, इसके समुचित विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सतत तत्पर है और बिहार के विकास में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है । धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष: अब श्रीमती स्वर्णा सिंह ।

श्रीमती स्वर्णा सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए प्रस्तावित बजट एवं महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में चर्चा सदन के समक्ष रखना चाहती हूँ । महोदय, बिहार राज्य की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है । 2021-22 के बजट में सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने एवं नए कृषि

महाविद्यालय खोलने पर भी जोर दिया है । बिहार सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हर खेत में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की है । हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए चार विभागों के माध्यम से 550 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है । मौसम अनुकूल खेती गत वर्ष राज्य के सिर्फ 8 जिलों में शुरू की गयी थी, परिणाम उत्साहजनक मिलने के कारण इस वर्ष हर जिले में शुरू की गई है और इसके लिए सरकार ने तीन फसलों का कैलेण्डर तैयार किया है जिससे अधिक-से-अधिक किसानों को लाभ होगा । महोदय, बिहार में गन्ना किसानों के लिए सरकार द्वारा अच्छी सौगात दी गयी है । वित्तीय वर्ष, 2021-22 में उच्च गुणवत्ता वाले गन्ना की कीमत प्रति क्विंटल 5 रुपये और निम्न गुणवत्ता के गन्ना की कीमत 7 रुपये बढ़ाये गये हैं । भारी क्रय केंद्रों पर...

(क्रमशः)

टर्न-25/हेमन्त-धिरेन्द्र/01.03.2021

श्रीमती स्वर्णा सिंह(क्रमशः) : क्रय किये जाने वाले सभी प्रकार के गन्ने के 20 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है । वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में गन्ना उद्योग के लिए कुल 115.95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्रीमती स्वर्णा सिंह : महोदय, सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के उद्देश्य से कार्य कर रही है । अल्पसंख्यकों के विकास हेतु उचित भागीदारी, शिक्षा, रोजगार तथा प्रशिक्षण, मदरसा का विकास एवं उर्दू भाषा के विकास, कब्रिस्तान की घेराबंदी तथा अल्पसंख्यक संस्थानों को सक्षम बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित है । अल्पसंख्यकों के कारण हेतु संचालित योजनाओं को तीव्रगति से कराये जा रहे हैं । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री गन्ना उद्योग विभाग, कृपया 5 मिनट में अपना पक्ष रखें ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कृषि विभाग के प्रस्तुत बजट में गन्ना विभाग के 117 करोड़ 6 लाख 10 हजार के प्रस्तुत बजट के बजट प्रस्ताव में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । महोदय, जो किसान है और राज्य की जो कृषि है, राज्य के लगभग 54 प्रतिशत हेक्टेयर भूमि में कृषि कार्य होता है । जिसमें 3 लाख हेक्टेयर भूमि में गन्ने की खेती होती है, जो लगभग 6 प्रतिशत है । महोदय, राज्य में 15 चीनी निगम की मिले बंद पड़ी थी, जितनी चीनी मिले राज्य में स्थापित हैं वह सभी मिलें आजादी से पहले की हैं। नये सदस्य आये हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जो आजादी से पहले की चीनी मिलें

स्थापित हैं, उसमें से 15 चीनी मिलें, जो निगम की थी वह बंद हो गयी और इन 15 चीनी मिलों में से 13 चीनी मिलें अभी निगम के अधीन हैं और महोदय, 11 चीनी मिल अभी कार्यरत हैं । इन 11 चीनी मिल में, जिनकी स्थापना हुई थी, 1936 में बगहा, 1933 में हरिनगर, 1932 में नरकटियागंज, 1933 में मजौलिया, 1932 में सासामूसा और 1932 में गोपालगंज और ये सभी जो चीनी मिले हैं ये 11 नयी चीनी मिल चालू हुई हैं । महोदय, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शासन में चीनी उद्योग के बढ़ावा के लिए राज्य स्तर पर जो बंद चीनी मिल थीं उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए स्टेट बैंक के माध्यम से मूल्यांकन कराकर और कई नये इन्वेस्टरों को बुलाकर इन नयी चीनी मिलों को चालू करने का काम किया । लेकिन उस समय इन्वेस्टर आये थे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रस्ताव था कि जो गन्ना से इथनॉल की दिशा में अगर भारत की सरकार, उस समय यू0पी0ए0 की सरकार थी, अगर भारत की सरकार इथनॉल उत्पादन की सहमति दे देती तो ये सभी चीनी मिलें उसी समय चालू हो जाती । परन्तु बीच के कालखंड में इथनॉल उत्पादन की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ये चीनी मिलें पुनर्जीवित नहीं हुईं, इनमें से 2 चीनी मिल चालू हुईं और महोदय, आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री को, जो सुझाव दिये गये थे इथनॉल के संबंध में, उसे नीति आयोग ने मंजूरी दे दी और इथनॉल की दिशा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई इन्वेस्टर आ रहे हैं और धन्यवाद देंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और अपने उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर जी को, आदरणीय रेणु दीदी को, जो उच्चस्तरीय इथनॉल उत्पादन के लिए, उच्चस्तरीय अधिकारियों की एक कमेटी की बैठक कर इथनॉल बनाने की दिशा में जो नयी नीति स्थापित की गयी है और नये इन्वेस्टर तेजी से आ रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, आज जो भारत सरकार ने तय किया है कि पेट्रोलियम में 20 परसेंट.

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बोलने दीजिये, समय कम है इनका ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इथनॉल की मिक्सिंग होगी और 20 परसेंट इथनॉल जो मिलाया जायेगा, इससे अध्यक्ष महोदय, जो 5 ट्रिलियन डॉलर का जो मुद्रा कोष है, जो हमारी भारत सरकार की नीति है, उसको बढ़ावा मिलेगा और डॉलर की दिशा में हमारा देश आर्थिक रूप से सबल होगा । महोदय, ये निगम की चीनी मिलें गई हैं, उन्हीं माननीय सदस्यों के समय काल में, उनकी गलत नीति के कारण यह निगम को दी गयीं और निगम के जो मालिक थे, वे मालिक इस मिल को..

अध्यक्ष : इनका समय कम है, यह सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द कैसे खत्म कर दें ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वह मालिकों ने इन मिलों को औने-पौने करके बंद कर दिया और ये सभी बंद पड़ी चीनी मिलें, उन्हीं के समय की हैं, जो बैठे हैं उधर के लोग, उनकी कारगुजारी हमलोग ढो रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वे क्या बोलेंगे, उनकी कारगुजारी है । धन्यवाद है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कि जो इथनॉल नीति है, जो भारत सरकार की इथनॉल की कार्य योजना है, जिसके कारण आज नये इनवेस्टर आ रहे हैं....

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारा वक्तव्य है कि इसको प्रोसीडिंग का पार्ट बना दीजिये।

अध्यक्ष : दे दीजिये । जमा कर दीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नये-नये प्रभेदन के जो बीज हैं, खरसारी की दिशा में भी, गुड़ निर्माण की दिशा में हमारी जो कृषि नीति है, उसमें सब्सिडी के माध्यम से हमलोग काम कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : दे दीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दे देता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

(मा0 मंत्री का लिखित वक्तव्य -परिशिष्ट -1 द्रष्टव्य)

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, इथनॉल उद्योग के बारे में माननीय मंत्री और सरकार घोषणा करती है । माननीय मुख्यमंत्री सदन में बैठे हुए हैं, इनके 15 वर्ष के शासनकाल में यह फैसला हुआ कि इथनॉल को अलग से कारोबार...

अध्यक्ष : सुबह में भी प्रश्न आ गया है, इथनॉल के उद्योग मंत्री जी का ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी यह घोषणा कर दें कि इथनॉल उद्योग में बाहरी उद्योगपति नहीं आयेंगे, बिहार के लोग ही...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग । सरकार का उत्तर ।

सरकार का उत्तर

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं के साथ-साथ स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये 33,35,47,43,000/- (तैंतीस अरब पैंतीस करोड़ सैतालिस लाख तैंतालिस हजार) रुपये का बजट जो प्रस्तुत है, उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । महोदय, कृषि...

अध्यक्ष : अभी तो इन्होंने शुरू भी नहीं किया है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, और कृषि कार्य की महत्ता को...

(इस अवसर पर विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : आप शुरू करें ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, समझने के लिये मैं अपनी बात ऋगवेद के एक श्लोक से शुरू करना चाहता हूँ । मैं जानता हूँ-

''आयुषे त्वा वर्चसे त्वा कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा ।
कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा रय्यै त्वा पोषाय त्वा । ''

इसका मतलब है महोदय कि हे भूमि, हम सब जो कृषि कर रहे हैं वह दीर्घ आयुष्य, तेज, क्षेम अर्थात् सुख, पुष्टि और धन प्राप्त करने के लिये है । कृषि के द्वारा प्राप्त अन्न से हमें, सब प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो, यही कामना है । महोदय, कृषि का महत्व मनुष्य के जीवन में आदिकाल से है । कृषि के बिना न तो जीवन संभव है, न ही सृष्टि की कल्पना की जा सकती है । महोदय, राज्य की 76 प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है । महोदय, अनंतकाल से और कृषि यह कार्य चलता आ रहा है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण कुछ बोलते हुए सदन के बाहर चले गये)

प्राचीन काल में, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान । महोदय, सबसे उत्तम यह खेती है लेकिन विकास की यह अंधाधुन प्रतियोगिता और इस दौर में, इस होड़ में खेती पीछे छूट गई और महोदय, हमें आज महात्मा गांधी जी की याद आ रही है ....(क्रमशः)

टर्न-26/सुरज-संगीता/01.03.2021

(क्रमशः)

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से आये थे तो नौजवान थे, मोहनदास थे, तब महात्मा नहीं हुए थे और उन्होंने 3 वर्षो तक लगातार स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर संभालने के पहले 3 वर्षो तक लगातार गांव-गांव घुमते रहे, हजारों गांव घुमे, लोगों से मिले, जानकारियां प्राप्त किये और उन्हें लगा कि इस देश के हजारों गांव, लाखों गांव 7 लाख गांवों का यह देश, गांव नहीं जानते हैं कि इस देश में कोई आजादी की लड़ाई चल रही है, वह आये लौटकर के और उन्होंने सबको बताया कि जब तक गांव के लोग आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, उनकी भागीदारी नहीं होगी तब तक देश आजाद नहीं होगा क्यों, क्योंकि भारत की आत्मा गांवों में बसती है । भारत के किसान गांवों में बसते हैं । भारत के किसान, मजदूर गांवों में बसते हैं बिना उनके सड़कों पर

आए अंग्रेजों का बोरिया बिस्तर नहीं बंधने वाला है, ये उन्होंने देश के लोगों को बताया था ।

महोदय, ग्राम स्वराज्य की संकल्पना गांधी ने रखी थी । कुटीर उद्योगों का जाल देश में बिछे और किसान किस प्रकार से समृद्ध हों । गांधी ने कहा गांव उठेंगे तो देश उठेगा, किसान उठेगा तो देश उठेगा किसानों की समृद्धि देश की समृद्धि । इस प्रकार से गांधी ने ग्राम स्वराज्य की संकल्पना लोगों के सामने रखी थी महोदय लेकिन गांधी के अनुयायियों ने क्या किया ? आज बात हो रही थी, श्री चंद्रशेखर बोल रहे थे माननीय विधायक राष्ट्रीय जनता दल के, गांधी के हत्यारों ने पता नहीं किसको उन्होंने हत्यारा कहा? मैं तो नहीं समझ पाया अब वही बतलायेंगे कि गांधी का हत्यारा कौन है ? दुनिया जानती है कि गांधी का हत्यारा नाथु राम गोडसे थे लेकिन नाथुराम गोडसे ने एक बार गांधी की हत्या की वह अपराधी था, वह हत्यारा था उसको सजा मिल गई लेकिन हर चौक-चौराहे पर 70 वर्ष से गांधी के विचारों की हत्या करने वाले लोग इस देश में रह रहे हैं, इस देश में राजनीति कर रहे हैं, इस देश के कई प्रांतों में राजनीति कर रहे हैं सबसे बड़ा दल होने का कई वर्षों तक दावा करते रहे । जनता भले आज उनको सत्ता से बाहर करके रखी हुई है और यही कारण है कि जिन गलत बातों को बोलते हैं वह देश को किधर ले गए, गांधी किधर ले जाना चाहते थे ।

महोदय, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, ये दोनो विजनरिज हैं । ये कल की देखते हैं, ये दूरदर्शी हैं, ये स्ट्रेटसमैन हैं, इनके सामने केवल इलेक्शन नहीं है, इनके सामने कमिंग जेनरेशन भी है, देश का भविष्य भी है और इस प्रकार से कृषि नीति का और बिहार राज्य के बारे में चिंता और देश के बारे में चिंता हो रही है महोदय । भारत में अन्य राज्यों में बहुत लोग हैं, कई दलों की सत्ता है लेकिन पर्यावरण की चिंता कौन कर रहा है? जल संकट से कैसे हम बचेंगे इसकी चिंता कौन सरकार कर रही है ? जल-जीवन-हरियाली ऐसी महत्वाकांक्षी योजना पर इतना जोर देकर कहां-कहां की सरकार काम कर रही है ? बिहार विजनरिज गवर्नमेंट है बिहार में, दूरदर्शी सरकार है बिहार में । हम उस दृष्टि से कृषि को और कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, सरकार बढ़ा रही है । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में कृषि विभाग ने जो काम किए हैं मैं उसका एक लेखा-जोखा आपको आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत करना चाहुंगा । महोदय, बिहार राज्य में कृषि रोडमैप, यह तीसरा रोडमैप चल रहा है, कृषि रोडमैप के कार्यान्वयन के फलस्वरूप वर्ष 2005-06, 2019-20 और विगत 15 सालों में कृषि क्षेत्र के विकास के निम्न आंकड़ों के आधार पर ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझा जा सकता है ।

महोदय, उत्पादन की दृष्टि से देखिए वर्ष 2005-06 में चावल का उत्पादन था 37.08 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2019-20 में अभी के पहले का क्योंकि अभी का आंकड़ा आना बाकी है तो चावल वर्ष 2019-20 में 69.53 लाख मीट्रिक टन, 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है उत्पादन में । उसी प्रकार गेहूं में वर्ष 2005-06 में 28.23 लाख मीट्रिक टन और वर्ष 2019-20 में 55.79, 97.62 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । महोदय, मक्का में 15. 20 लाख मीट्रिक टन वर्ष 2005-06 में, वर्ष 2019-20 में 34.95, 129.93 यानी लगभग 130 परसेंट की वृद्धि हुई है । महोदय, उत्पादन से ही अब यह सरकार संतुष्ट नहीं है । हम उत्पादकता की दृष्टि से अब आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं । उत्पादकता का अर्थ है, लेस इनपुट मोर आउटपुट, कम लागत हो और उपलब्धि ज्यादा हो महोदय, यानी खेती को लाभकारी बनाने, खेती को आकर्षक बनाना, कृषि को आकर्षक बनाते हुए क्योंकि कृषि की ओर आज पढ़े-लिखे और आई॰आई॰टी॰, इंजीनियर्स, आई॰आई॰एम॰ ऐसी और प्रतिभाएं आकर्षित हो रही हैं, महोदय । ऐसे में देखिए उत्पादकता क्या है, चावल का वर्ष 2005-06 में उत्पादकता थी 11.41, वर्ष 2019-20 में 22.45, 96.75 प्रतिशत की उपलब्धि हुई उत्पादकता की दृष्टि से । गेंहू में 14.10 वर्ष 2005-06 में, वर्ष 2019-20 में 25.95, 84.04 परसेंट की उपलब्धि हुई । मक्का में 22. 98 और यह वर्ष 2005-06 में, वर्ष 2019-20 में 51.93, 125.97 प्रतिशत उपलब्धि हुई है और इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि प्रमुख फसलों का उत्पादन और उत्पादकता लगभग दोगुना हो चुका है । महोदय, लाभ की दृष्टि से भी और आमदनी भी लगभग दोगुनी हो चुकी है । महोदय, राज्य के किसानों की उन्नति के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है और यही कारण है कि हम पांच-पांच बार लगातार कृषि-कर्मण पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं । महोदय, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, पांच बार । कृषि-कर्मण पुरस्कार उत्पादन और उत्पादकता की दृष्टि से भारत सरकार ने राष्ट्रपति के हाथों यह पुरस्कार हमने प्राप्त किया है, कृषि विभाग ने प्राप्त किया है । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में कृषि विभाग में डी॰बी॰टी॰ पोर्टल के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खाता में जो सहायता राशि अंतरित की गई, ट्रांसफर किया जा रहा है विगत दो वर्षों में डी॰बी॰टी॰ के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में जो राशि का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं । महोदय, कृषि इनपुट की बात कर रहे थे अभी हमारे श्री विजय शंकर दुबे जी, चले गए, उनको चिन्ता थी कि वर्ष 2020 में जो बाढ़ आई उस बाढ़ में किसानों की फसल नष्ट हो गई तो उन किसानों को क्या मिला, नहीं मिला, कुछ नहीं मिला । इस सरकार ने कोई मांगने गए तो बैरन वापस कर दिया । महोदय, मैं बता रहा हूं इन आंकड़ों की बात है, यह सत्य है, कहीं भी देख सकते हैं, ऐसे भी जाना जा सकता है महोदय तो लगभग 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल प्रभावित हुआ था, नुकसान हुआ था

और राज्य सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता के लिए कृषि इनपुट अनुदान 945 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी महोदय और 567.67 करोड़ रुपया कृषि इनपुट अनुदान की राशि उन किसानों के खाते में अंतरित कर दी गई, ट्रांसफर कर दी गई महोदय और उन्होंने कहा एक पैसा नहीं मिला । महोदय, इस प्रकार से गैर-जिम्मेवार अगर विपक्ष होगा तो इस बिहार राज्य में लोकतंत्र की धरती है यह देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र है कैसे चलेगा महोदय ? विपक्ष की अपनी जो भूमिका है, उनका जो कर्तव्यपालन है, उन्हें करना चाहिए उससे लोकतंत्र मजबूत होता है और सत्ता पक्ष को भी अपना काम करने में सहूलियत होती है, मदद मिलती है । ...क्रमशः...

टर्न-27/ मुकुल-राहुल/01.03.2021

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्रीः (क्रमशः) सत्तापक्ष को भी अपना काम करने में सहूलियत होती है, मदद मिलती है, महोदय लेकिन इस प्रकार के गैर-जिम्मेदाराना और गैर-जिम्मेदार विपक्ष से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं महोदय । महोदय, सारे आरोप लगायें और जब सरकार का उत्तर हुआ तो चले गये । फिर भी महोदय मैं अपनी बात तो कहूंगा, आलोक जी बोल रहे थे, आलोक मेहता जी पंजाब का जिक्र कर रहे थे, पंजाब में पराली जलाई जा रही थी उनको अभी तक यह पता नहीं है कि पंजाब में 90 फीसदी किसान बड़े किसान हैं, बड़े भूमिदार हैं और बिहार में 90 प्रतिशत किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, 2 बिगहा, 4 बिगहा, 6 बिगहा और 8 बिगहा जमीन वाले किसान हैं । यहां के किसान पंजाब के किसान की बराबरी नहीं कर सकते हैं । लेकिन पंजाब की क्या हालत है उन बड़े और भूमिदार किसानों ने अपनी जमीन की क्या हालत बना रखी है । उनकी जमीन को जब आप दो, चार और दस साल आगे देखियेगा तो पता चलेगा कि पंजाब में हालत क्या होगी । पंजाब की जमीन बंजर हो जायेगी उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है, वहां पर लोग पराली धरल्ले से जला रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है । महोदय, खेत की, जमीन की जो उर्वरा शक्ति है वह समाप्त हो जायेगी, उसके जो कीड़े हैं वे मर जायेंगे । पंजाब के लोगों के सामने और विकराल स्थिति भविष्य में आने वाली है वह बिहार के लोग देख रहे हैं । बिहार के मुख्यमंत्री चिंतित हैं और वह इसलिए कि बिहार में भी ऐसी घटनाएं देखा-देखी घट रही हैं । इधर घटनाएं कुछ जोर पकड़ रही थीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरन्त उनका संज्ञान लिया और अपने सेक्रेटरी, चीफ-सेक्रेटरी सबको हेलिकॉप्टर से भेजा और कहा कि देखिए जहां ऐसी घटनाएं दिखाई पड़े कि पराली जलाई गई है तो हेलिकॉप्टर उतराइए और किसानों से बात कीजिए और ऐसा किया गया महोदय । उन्हें कहा गया कि आप किसानों को सजग कीजिए, उनको सावधान कीजिए और उनको जागरूक कीजिए । महोदय, अब हम यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं

कि यदि किसान नहीं मानेंगे तो दंडात्मक कार्रवाई भी होगी । हम धरती मां को जलते हुए नहीं देख सकते या यह सरकार नहीं देख सकती, धरती हमारी मां है, वह हमारा पालन करती है, वह हमारा पोषण करती है हम उसके साथ यह हिंसा नहीं कर सकते हैं । महोदय, यजुर्वेद में एक श्लोक है :-

पृथिवींयच्छ, पृथिवींदृंह, पृथिवींमा हिंसी

यानी इस संदर्भ में भूमि को उत्तम खाद आदि के द्वारा पुष्ट करो और उसके साथ हिंसा न करो, यह इस श्लोक का अर्थ है महोदय । हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज वह कितने सजग थे, कितने जानकार थे, कितने वैज्ञानिक थे और इस दृष्टि से उस जमाने में वैज्ञानिक खेती करते थे महोदय । यह धरती राज जनक की धरती है । महोदय, संसार ने राजतंत्र के इतिहास में किसी राजा को हल पकड़े हुए नहीं देखा है कहीं किसी मुल्क में, बिहार की धरती पर एक राजा हुए जो हल पकड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, हल जोतते हुए दिखाई पड़ते हैं हम उस धरती के हैं, हमें गर्व होता कि वह सम्मान हमें प्राप्त है कि राजा जनक इस धरती पर हुए जो अपने जमाने के सबसे बड़े विद्वान थे, सर्वश्रेष्ठ विद्वान, सर्वश्रेष्ठ प्रजापालक थे महोदय और सर्वश्रेष्ठ किसान भी थे । उनके मुकाबले में कोई किसान भी नहीं था और हल जोतते हुए उन्होंने माता जगदम्बा सीता को भी प्राप्त किया था, पुत्री के रूप में प्राप्त किया था । महोदय, हम उस धरती की संतान हैं तो हम जानते हैं कि मिट्टी का महत्व क्या है, हम जानते हैं कि इस धरती से हमारा क्या रिश्ता है । महोदय, जल-जीवन-हरियाली, मैं घड़ी देख रहा हूं महोदय । महोदय, अब मैं बिंदुओं में सारी बात करना चाहूंगा, क्या किया इन लोगों ने, चरवाहा विद्यालय खोला था, गरीब का बच्चा भैंस पर बैठकर पढ़ेगा और इन लोगों का बच्चा मेयो कॉलेज में पढ़ेगा, बड़े-बड़े स्कूलों में पढ़ेगा, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा, संत-जेवियर्स में पढ़ेगा, कान्वेंट में पढ़ेगा । चरवाह विद्यालय खोले गए । महोदय, नहीं हो सका और उसका परिणाम सामने है, 15 वर्षों का शासन काल का इतिहास, हमें आगे का मार्ग, हमें आगे बढ़ने के लिए बार-बार प्रेरित भी करता है, हम उससे सीखते भी हैं कि ऐसा करने वालों की क्या गति होती है, इस तरह राज करने वाले लोगों का हश्र क्या होता है । इससे हमारे विपक्ष के साथी अभी तक नहीं सीख पाए हैं, उसी लकीर के फकीर हैं । महोदय, हम लोगों ने चरवाह विद्यालयों को, कर्णांकित सरकारी प्रक्षेत्रों को बीज गुणन प्रक्षेत्रों में बदल दिया है । वहां से बीज हम पैदा करते हैं, उन्नत बीज पैदा करते हैं उन क्षेत्रों में, खेती करते हैं उन प्रक्षेत्रों में जहां उन्होंने चरवाह विद्यालय खोल रखा था आज वहां बीज का उत्पादन हो रहा है और बीज के लिहाज से उस क्षेत्र में हमारी मोनोपोली होती जा रही है, हम बीज के लिए अब आश्रित नहीं हैं । महोदय, हम बीज दूसरों को देने और दूसरे राज्यों को उपलब्ध कराने की स्थिति में अब हम पहुंच रहे हैं । महोदय, मृतप्राय बिहार राज्य बीज निगम को

पुनर्जीवित किया गया है, बीज निगम क्यों मर गया था, कब मर गया था कि हमें पुनर्जीवित करना पड़ा, यह बताने की आवश्यकता नहीं है । महोदय, आज मरे हुए बीज निगम को हम लोगों ने पुनर्जीवित किया है । उस समय बीज की प्रसंस्करण क्षमता 3 लाख क्विंटल थी आज 8 लाख क्विंटल कर दी गई है । महोदय, 3 लाख क्विंटल से 8 लाख क्विंटल बीज की प्रसंस्करण क्षमता हो गई है । बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी को सुदृढ़ किया गया है तथा इसे बीज प्रमाणन के साथ-साथ जैविक खेती के प्रमाणन के लिए भी सक्षम बनाया गया है । महोदय, किसानों के नए प्रभेदों के बीज के लिए क्रय पर 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गई है, विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप वर्ष 2005-06 तथा वर्ष 2018-19 में धान और गेहूं के बीज की विस्थापन दर क्रमशः 12 और 11 प्रतिशत थी जो बढ़कर के 41 और 33 प्रतिशत हो गयी है । विगत तीन वर्षों में किसानों के बैंक खातों में डी0बी0टी के माध्यम से 10,699.78 करोड़ (106 अरब 99 करोड़ 78 लाख) रुपया का भुगतान हमारी सरकार ने किया है । महोदय, 1.68 करोड़ से अधिक यानी 1 करोड़ 68 लाख से अधिक किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण किया गया है, पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं । राज्य में रय्यत के साथ-साथ गैर रय्यत किसानों का भी पंजीकरण किया जा रहा है । विगत तीन वर्षों में किसानों के बैंक खातों में डी0बी0टी0 के माध्यम से 10,699.78 करोड़ (106 अरब 99 करोड़ 78 लाख) रुपया का भुगतान हमारी सरकार ने किया है । महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अधीन 80.68 लाख किसानों को 7,503.79 करोड़ रुपये आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजे गए हैं महोदय, डी0बी0टी0 के द्वारा । प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसल की क्षति होने के कारण, इसे मैंने पहले बता दिया है । महोदय, डीजल अनुदान के मद में 40.39 लाख किसानों को 444.07 करोड़ रुपये सीधे बैंक खातों में भेजे गए हैं । डिजिटल टैक्नोलॉजी के उपयोग से किसानों को घर-घर बीज की आपूर्ति, होम डिलीवरी की व्यवस्था की जा रही है । महोदय, खरीफ वर्ष 2020 में और 49,246 किसान एवं रबी में वर्ष 2020-21 में 71,098 किसानों को घर तक बीज पहुंचाया गया है, उनके घर तक हम बीज पहुंचाने लगे, कोरोना काल में हम लोगों का काम बहुत सराहा गया है और देश में एक अनूठा प्रयास है इससे कई राज्यों को प्रेरणा मिली है और अपने यहां ऐसा करने का प्रयास वे करने लगे हैं ।

क्रमशः

टर्न-28/यानपति-अंजली/01.03.2021

क्रमशः

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्रीः महोदय, डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर पर बीज की आपूर्ति होम डिलीवरी की जा रही है । जैविक खेती की दृष्टि से महोदय, रसायनों के अंधाधुंध के प्रयोग से पर्यावरण की हो रही क्षति को कम करने के लिए जैविक खेती शुरू की गई है । महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीजी के नेतृत्व में । मैंने पहले कहा कि बिहार की सरकार कल के बारे में चिंतित है । कल को देखने वाली सरकार है । आज तो है लेकिन कल स्वर्णिम काल हो, भविष्य ठीक रहे, भविष्य सुनिश्चित हो और उस उद्देश्य से सारे कार्य हो रहे हैं महोदय, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में । महोदय, रसायनों के अंधाधुंध के प्रयोग से पर्यावरण की हो रही क्षति को कम करने के लिए जैविक खेती शुरु की गई है । गंगा नदी के किनारे 12 जिलों तथा नालंदा जिला को मिलाकर एक जैविक कोरिडोर की स्थापना की जा रही है । यह बहुत बड़ी योजना है महोदय और अनुकरणीय योजना है । दूसरे प्रांतों के लिए यह योजना अनुकरणीय योजना बनेगी सब बिहार में आयेंगे और इस योजना को देखेंगे अपने यहां करेंगे । महोदय, 175 जैविक खेती किसान उत्पादक समूह निबंधित किये जा चुके हैं । 119 किसान उत्पादक समूहों की जैविक खेती का प्रमाण पत्र सी.-1 सर्टिफिकेट निर्गत किया जा चुका है । महोदय, किसानों को 11,500 रुपया प्रति एकड़ के दर से 3 वर्षों तक अग्रिम अनुदान दिया जा रहा है । महोदय, किसानों को जैविक प्रमाणीकरण की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । जैविक प्रमाणीकरण के लिए बिहार राज्य बीज और जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी का गठन किया गया है । जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत मौसम अनुकूल खेती महोदय, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में मौसम के अनुकूल खेती कार्यक्रम की शुरुआत 8 जिलों में शुरू की गई थी लेकिन अब महोदय पूरे राज्य के 38 जिलों में अब से इसे किया जा रहा है महोदय और इससे किसान काफी आकर्षित हैं । किसान बहुत प्रसन्न हैं । जो प्रयोग हुआ है उस प्रयोग में दुगुनी-दुगुनी आमदनी हुई है किसानों की माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू किया था । राज्य भर के सभी जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी सारे लोग जुड़े थे और किसान भी जुड़े थे उन सब किसानों ने एक स्वर से कहा कि मौसम के अनुकूल खेती से हमारी यह आमदनी बढ़ी है । इससे एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है । महोदय, यह सब काम बिहार राज्य में और यह सब काम हो रहे हैं । गेहूं के उत्पादन लागत में किसान ने बताया कि 5,640 रुपया प्रति हेक्टेयर तक की कमी आ गई है । महोदय, किसानों का शुद्ध लाभ 21,362 रुपया एक हेक्टेयर में हो गया । महोदय, राज्य सरकार द्वारा 2020 के इस योजना को सभी 38 जिलों

में लागू किया गया है । इस योजना के तहत प्रत्येक जिला में 5 गांव को जलवायु अनुकूल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है । महोदय, प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में 2.5 एकड़ क्षेत्र में जलवायु के अनुकूल कृषि पद्धति के प्रत्यक्षण लगाये गये हैं । वर्तमान रबी मौसम में विभिन्न कृषि तकनीक से संबंधित 21,019 एकड़ में कुल 23,710 प्रत्यक्षण लगाये गये हैं । जलवायु अनुकूल कृषि गांव, कृषि विज्ञान केंद्र, बोरलॉग संस्थान, पूसा के कृषि प्रक्षेत्र, कृषि विश्वविद्यालयों के कृषि प्रक्षेत्र की बड़ी संख्या में किसानों का एक्सपोजर विजिट भी आयोजित किया जा रहा है । ले जाकर के किसानों के दल को, समूहों को दिखाया भी जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है और वह किसान फिर एक प्रकार से प्रशिक्षित होकर के अपने इलाके में जा रहे हैं और उस प्रकार से खेती करने के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं । महोदय, जलछाजन विकास भी यहां हो रहा है सूक्ष्म सिंचाई योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है । राज्य के किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत ड्रीप एवं स्प्रींकलर की बागवानी विकास के किसानों को सहायता जिला की विशेषता के अनुसार महोदय 23 जिलों के लिए 14 उद्यानिक फसल चिन्हित किये गये हैं । बिहार राज्य के उद्यानिक उत्पाद के विकास के कार्यक्रम के तहत उत्पादन प्राथमिकता प्रसंस्करण और विपणन की आधारभूत संरचना के लिये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एवं परियोजना की लागत 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है । महोदय, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के तहत मखाना, फल-सब्जी, शहद, औषधीय पौधा, मक्का, बीज और चाय के प्रसंस्करण आदि से संबंधित उद्योगों को लगाने के लिये व्यक्तिगत निवेशक को 15 प्रतिशत एवं किसान उत्पादक समूह को 25 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी का प्रावधान किया गया है । महोदय, बिहार कृषि निवेश उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2020 और उसके प्रसंस्करण की जो योजना है, प्लांट है महोदय । घड़ी देख रहा हूं महोदय । जो है जब वह गाड़ी चली 26 जनवरी को महोदय गांधी मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट से गांधी मैदान गूंज रहा था । महोदय, नंबर-1 स्थान मिला होगा उस योजना को 26 जनवरी को उपस्थित गांधी मैदान, उस विशाल मैदान में हजारों लोगों ने इस योजना को पसंद किया । सबसे अधिक पसंद की गयी यह योजना यह नीति माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है तो हमलोगों ने प्रदर्शित किया तो सर्वश्रेष्ठ स्थान उसे मिला था । सर, एक नंबर स्थान मिला था अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्षः अब समाप्त कीजिये ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, समाप्त ही है । महोदय, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आजादी के 70 सालों बाद केंद्र में एक ऐसी सरकार आयी है जिसे पहली बार सच्चे मन और साफ नियति से देश के अन्नदाता और किसानों के हित में पूरी पारदर्शिता के साथ ऐतिहासिक कार्य किये हैं । 2005 के बाद जिस स्थिति में हमें बिहार मिला था उसे

माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में अविश्वसनीय सफलताएं हमने प्राप्त की हैं । हम यह दावा कर सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा वर्ष 2006 में कृषि उपज बाजार अधिनियम निरीक्षण के बाद कृषि क्षेत्र में बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है । महोदय, उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कृषि के क्षेत्र में सुधार हेतु लाये गये तीन ऐतिहासिक कृषि कानून को यहां के किसानों द्वारा सहृदय स्वागत किया गया है ।

अध्यक्ष: अब दे दिया जाय, प्रोसीडिंग का पार्ट बन जायेगा ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: नये कृषि कानून को लागू होने के बाद बिहार के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव होगा। खेती एवं खेतिहरों के प्रतिष्ठा में पुन: प्रतिष्ठित होगी, मैं ऐसा सदन को आश्वासन देता हूं महोदय । सरकार की ओर से मैं विश्वासपूर्वक ऐसा कहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यगण से अनुरोध करता हूं, पूरे सदन से अनुरोध करता हूं कि कृषि विभाग के लिये वित्तीय वर्ष 2021-22 में 33 अरब 35 करोड़ 47 लाख 43 हजार रुपये का बजट मांग पारित करने की कृपा करें ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री: धन्यवाद ।

(मा0 मंत्री का लिखित वक्तव्य -परिशिष्ट-2 द्रष्टव्य)

अध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

"इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटायी जाय।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं । प्रश्न यह है कि

"कृषि विभाग के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिये 33,35,47,43,000/-(तैंतीस अरब पैंतीस करोड़ सैंतालीस लाख तैंतालीस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।"

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मांग स्वीकृत हुई ।

टर्न-29/सत्येन्द्र/01-03-2021

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 01 मार्च, 2021 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 28 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 02 मार्च, 2021 को 11 बजे पूर्वा0 तक के लिए स्थगित की जाती है।

परिशिष्ट–1

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

का

वर्ष 2021–2022 के लिए
मांग संख्या–45 पर

वक्तव्य

बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

माननीय अध्यक्ष महोदय,

बिहार में कृषि योग्य भूमि लगभग 53.95 लाख हेक्टेयर है जिसमें गन्ने की खेती लगभग 3.00 लाख हेक्टेयर में होती है जो कृषि योग्य भूमि का 5.56 प्रतिशत है। वर्त्तमान परिवेश में गन्ने की खेती पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, समस्तीपुर, बेगुसराय, खगड़िया, सीतामढ़ी, शिवहर एवं मुजफ्फरपुर जिले में मुख्य रूप से की जाती है। गुड़ उत्पादन हेतु अन्य जिलों में भी कमोवेश गन्ने की खेती की जाती है। गन्ने की सबसे अधिक खेती पश्चिम चम्पारण जिले में होती है, जो जिले के कृषि योग्य भूमि का लगभग 55 प्रतिशत है। गन्ना एक नगदी फसल है जिससे किसानों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। गन्ने की खेती में धान–गेहूँ फसल से अधिक आय प्राप्त होती है। चीनी उद्योग से स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होता है एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। साथ ही चीनी उद्योग के सह उत्पाद से इथेनॉल एवं विद्युत उत्पादन भी राज्य में किया जा रहा है एवं इस क्षेत्र में निवेश की काफी संभावनायें है। गैर चीनी मिल क्षेत्रों में भी गुड़ उत्पादन ग्रामीण आय का एक मुख्य स्रोत है। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गन्ना आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है।

महोदय,

गन्ना उद्योग विभाग द्वारा किसानों के हित में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम कार्यान्वित की जा रही है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण अवयव की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ–

राज्य योजनांतर्गत वर्ष 2020–21 में कृषि रोड मैप अतंर्गत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत कुल 1313.00 लाख रू0 की लागत से ईख विकास की योजनायें कार्यान्वित की जा रही है। जिससे गन्ने की उत्पादन एवं उत्पादकता के साथ–साथ सुगर रिकवरी में वृद्धि लायी जा सके। वर्तमान वर्ष में गन्ने की चयनित उन्नत प्रभेदों के बीजों पर अनुदान देने का निर्णय भी लिया गया है। इससे गन्ना किसानों द्वारा उन्नत प्रभेदों से खेती करने पर राज्य में गन्ने की उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि संभव होगा। इस योजनांतर्गत लाभार्थियों का चयन पंचायतस्तरीय आम सभा से पारित सूची के आधार पर गन्ना किसानों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। वर्तमान वर्ष में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित अवयवों पर गन्ना किसानों के लिए योजनायें चलायी जा रही है।

वर्तमान में गन्ने की फसल में बीज प्रतिस्थापन दर लगभग 32 प्रतिशत है। बीज प्रतिस्थापन दर को 70–80 प्रतिशत तक बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजनांतर्गत त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु

राज्य में कार्यरत भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर एवं ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा प्रजनक बीज उत्पादन पर 2.20 लाख रू0 प्रति हे0 की दर से प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है।

राज्य में गुणवत्तायुक्त नवीनतम प्रभेद के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आधार बीज उत्पादन करने वाले चीनी मिल/गैर चीनी मिल क्षेत्र के किसान को इस हेतु क्रय किए गए प्रजनक बीज की मात्रा पर 350/- रू0 प्रति क्वींटल की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान किया गया है।

राज्य में प्रोत्साहन अनुदान के लिए चयनित कुल 08 प्रभेदों यथा–CO-0238, CO-0118, CO-0239, CoP-9301, CO-98014, CoLK-94184, CoSE-1434 एवं CoP-16437 (Rajendra Ganna-I) प्रभेदों के निबंधित प्रमाणित बीज चीनी मिलों द्वारा किसानों के बीच वितरण किये जाने का प्रावधान है। निबंधित प्रमाणित बीज पर सामान्य कोटि के किसानों को 180/- रू0 प्रति क्वींटल तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के किसानों को 210/- रू0 प्रति क्वींटल की दर से अनुदान देय है। किसानों को अनुदान की राशि का भुगतान उनके बैंक खातों में DBT के माध्यम से किया जा रहा है।

इस योजनांतर्गत प्रमाणित बीज उत्पादक (चीनी मिल/वैसे किसान जो चीनी मिल से आधार बीज प्राप्त कर प्रामणित बीज का

उत्पादन किये हो) को 50/– रू0 प्रति क्वींटल के दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान किया गया है। किसानों को अनुदान की राशि का भुगतान DBT के माध्यम से किया जा रहा है।

चीनी मिल द्वारा राज्य के बाहर के गन्ना शोध संस्थान से बिहार राज्य के लिए अनुशंसित चयनित गन्ना के उत्तम प्रभेदों का प्रत्यक्षण हेतु राशि का प्रावधान किया गया है। 0.5 (आधा) हेक्टेयर में एक प्रत्यक्षण किया जाएगा जिसपर कुल 50,000/– रू0 व्यय अनुमान्य है।

इस योजनांतर्गत गन्ना किसानों को नई तकनीक से खेती करने हेतु कृषक प्रशिक्षण के आयोजन पर 50,000/– रू0 प्रति प्रशिक्षण व्यय करने का प्रावधान किया गया है। कृषक प्रशिक्षण में वैज्ञानिक/के0भी0के0/गन्ना उद्योग के पदाधिकारियों के साथ गन्ना किसान भी आमंत्रित किये जाते हैं। यह एकदिवसीय प्रशिक्षण 300 प्रगतिशील गन्ना कृषकों के लिए आयोजित किया जाता है।

महोदय,

विगत दशक में राज्य में गन्ना की उत्पादकता मात्र 45 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर थी जो वर्ष 2019–20 में 50.85 टन प्रति हेक्टर हो चुकी है। इसी प्रकार विगत दशक में गन्ना का चीनी रिकवरी 8.62 प्रतिशत एवं आच्छादन रकवा 2.51 लाख हेक्टर था, जो वर्ष 2019–20 में क्रमशः बढ़कर 10.72 प्रतिशत एवं 2.96 लाख हेक्टर हो चुका है

तथा वर्ष 2020–21 में चीनी रिकवरी 11.00 प्रतिशत एवं आच्छादन लगभग 3.00 लाख हेक्टेयर अनुमानित है।

प्रोत्साहन पैकेज एवं उसमें सुधार

गन्ना उद्योग विभाग द्वारा घोषित प्रोत्साहन पैकेज 2006 से प्रेरित होकर राज्य की 8 चीनी मिलों द्वारा क्षमता का विस्तारीकरण किया गया है। नई डिस्टीलरियों की स्थापना/स्थापित डिस्टीलरियों की क्षमता विस्तार, मिलों के साथ सह विद्युत इकाई स्थापित हुए हैं, जिस पर लगभग 676.35 करोड़ रूपये निवेश हुए हैं। इसके अतिरिक्त लौरिया एवं सुगौली में लगभग 649.72 करोड़ (छः सौ उन्चास करोड़ बहत्तर लाख रू0) रूपयों की लागत से 2 ग्रीनफील्ड सुगर कॉम्पलेक्स स्थापित किए गए हैं। घोषित प्रोत्साहन पैकेज में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तर्ज पर वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक सुधार एवं उसे और अधिक प्रभावकारी बनाते हुए गन्ना प्रोत्साहन पैकेज, 2014 घोषित की जा चुकी है तथा 1 जुलाई, 2017 से माल एवं सेवा कर (GST) लागु होने के पश्चात् प्रोत्साहन नीति–2014 में भी संशोधन किया गया है।

बन्द चीनी मिलों का पुनरूद्धार

बिहार राज्य चीनी निगम की बन्द पड़ी इकाइयों के पुनर्जीवन हेतु सम्पन्न निविदा प्रक्रियाओं के माध्यम से लौरिया एवं सुगौली में नई मिले स्थापित हुई है। मोतिपुर एवं रैयाम में चीनी मिल स्थापित करने तथा बिहटा एवं समस्तीपुर इकाई में अन्य उद्योग की स्थापना

का मार्ग प्रशस्त हुआ हैं। सकरी इकाई में अन्य उद्योग की स्थापना हेतु निवेशक को लीज हस्तांतरण किया गया था परन्तु निविदा शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण उनके साथ किये गए एकरारनामा को निरस्त करते हुए जमा की गई राशि को जब्त कर लिया गया है।

वर्त्तमान में, राज्य में 10 चीनी मिलें कार्यरत है और राज्य सरकार नयी चीनी मिल कम्प्लेक्स को स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। चीनी मिलों की पेराई क्षमता में विस्तार करने एवं निजीकरण के माध्यम से बिहार राज्य चीनी निगम के शेष आठ इकाइयों को पुनर्जीवित करने या उन स्थलों पर अन्य उद्योगों की स्थापना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से SBI Caps के माध्यम से पंचम निविदा आमंत्रित की गयी, पंचम निविदा में सफल निवेशक उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त इकाईयों एवं इससे संबंधित फार्म लैंड कुल 2442.41 एकड़ भूमि सरकार के निर्णयानुसार Priority Sector उद्योगों की स्थापना हेतु बियाडा (BIADA) को हस्तातंरित कर दिया गया है।

<u>गन्ना सर्वेक्षण नीति, 2020 एवं बिहार गन्ना प्रबंधन सूचना प्रणाली</u>

गन्ना कृषकों द्वारा लगाये गये गन्ने के शुद्ध सर्वेक्षण के निमित्त आधुनिक तकनीक पर आधारित नये सर्वेक्षण नीति, 2020 की घोषणा की गई है तथा उसके अनुरूप GPS with HHT के माध्यम से राज्य में गन्ने के आच्छादन के सर्वेक्षण का कार्य सम्पन्न करवाया गया है। किसानों का समय पर गन्ने के आच्छादन, आपूर्ति हेतु

कैलेण्डरिंग, आपूर्ति एवं उसके मूल्य भुगतान से संबंधित सूचनाओं की जानकारी देने हेतु बिहार गन्ना प्रबंधन सूचना प्रणाली (BSMIS) को विकसित कर लागू किया गया हैं।

ईखापूर्ति हेतु सट्टा नीति की घोषणा

एकरूपता के सिद्धांत पर किसानों के गन्ने का सामयिक खपत सुनिश्चित करने, चीनी मिलों में आपस में गन्ना प्राप्त करने की अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को दूर करने के उद्देश्य से तथा मिलों की पेराई क्षमता एवं गन्ने की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा सट्टा एवं आपूर्ति नीति 2020–21 घोषित की गई हैं।

चीनी मिलों को प्रोत्साहन

पेराई सत्र 2014–15 के बकाये ईख मूल्य भुगतान के लिए चीनी मिलों द्वारा राष्ट्रीकृत बैंको से प्राप्त किये गये कुल 190.08 करोड़ रूपये के लिये गये ऋण पर (पंचम वित्तीय वर्ष) 2019–20 के लिए संबंधित चीनी मिलों को देय ब्याज का भुगतान किया गया है। प्रोत्साहन पैकेज–2014 के अन्तर्गत मंझौलिया चीनी मिल द्वारा डिस्टीलरी के स्थापना पर किये गये निवेश पर अनुदान के रूप में कुल मो० 4.86/–करोड़ रू० का भुगतान हेतु प्रक्रिया चल रही है।

क्षेत्रीय विकास परिषद् के कमीशन की दर में संशोधन–

बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम–1981 की धारा–48 की उपधारा (i) (संशोधित–1993) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार गन्ना उद्योग विभाग द्वारा पूर्व में

निर्गत अधिसूचना सं0–एस0ओ0–12, दिनांक–17.03.2004 में आंशिक संशोधन करते हुए पेराई वर्ष 2012–13 से 2019–20 तक ईख की खरीद पर भुगतेय क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन की दर को ईख मूल्य के दर का 1.80 प्रतिशत से घटाकर 0.20 प्रतिशत किया गया है। सरकार द्वारा चीनी मिलों को आर्थिक संकट से उबारने के क्रम में समय–समय पर अधिरोपित क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन में घटोतरी की गई है। चालू पेराई सत्र 2020–21 में भी क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन को 0.20 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

ईख क्रय कर में छूट–

बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित अधिनियम 1993 (बिहार अधिनियम संख्या–11, 1994) की धारा–49 (2)(ख) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य की चीनी मिलों तथा क्षेत्र आरक्षण के माध्यम से राज्य से गन्ना क्रय करने वाली राज्य के बाहर अर्थात उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती चीनी मिलों को उनके द्वारा पेराई वर्ष 2010–11 से 2018–19 (नौ वर्षों) में खरीदे गये ईख के बावत देय ईख क्रय कर से पूर्णतः विमुक्ति प्रदान की गई है। 01 जुलाई, 2017 से जी० एस० टी० लागू होने के पश्चात् पेराई वर्ष 2019–20 एवं अग्रेतर वर्षों के लिए भी ईख क्रय कर समाप्त हो चुका है, इससे संबंधित कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही है।

सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले रियायतों के अतिरिक्त निवेशक ''वातावरण बन्धु'' उर्जा उत्पादन करने कार्बन क्रेडिट के माध्यम से आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। यही उपयुक्त समय है कि निवेशक आएं और बिहार में गन्ना से मिठास निकालें, क्योंकि ''यदि भारत को उन्नति चाहिए तो बिहार को उन्नत बनाना ही होगा''।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में गन्ना उद्योग विभाग के अंतर्गत छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा इस सेक्टर के तहत रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राज्य में गुड़ उत्पादन के लिए गन्ना उद्योग विभाग द्वारा छोटे, मध्यम एवं वृहद् स्तर पर गुड़ एवं खंडसारी स्थापित करने वाले निवेशकों को कृषि विभाग की तरह अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

मैनें गन्ना उद्योग विभाग के कार्यकलाप की संक्षिप्त रूप रेखा सदन में प्रस्तुत की है, जिससे उज्जवल भविष्य परिलक्षित होता हैं। हम भविष्य के प्रति पूर्णतः आशान्वित है और दृढ़ संकल्पित है कि नया बिहार में गन्ना उद्योग विभाग का सक्रिय एवं सकारात्मक योगदान होगा।

हमें विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के परिपक्व एवं कुशल नेतृत्व में चीनी एवं अनुसांगी उत्पादों में बिहार अपने गौरव पूर्ण इतिहास को पुनः स्थापित करेगा। इन्ही आशाओं के परिपेक्ष्य में माँग संख्या–45 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये राज्य योजना मद अंतर्गत कुल प्रस्तावित 100.00 करोड़ (एक

सौ करोड़) रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में कुल प्रस्तावित 17,06,10,000/–(सतरह करोड़ छः लाख दस हजार) रू० अर्थात कुल 1,17,06,10,000/–(एक सौ सतरह करोड़ छः लाख दस हजार) का प्रस्ताव सदन में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता हूँ, जिसकी विवरणी संलग्न हैः–

वित्तीय वर्ष 2021–2022 का गैर योजना एवं योजनामद में उपबंध विवरण

क्र0सं	बजट शीर्ष मांग संख्या– 45	2021–22 उपबंध (रू0 में)
1	2	3
	गैर योजना–	
1	मुख्यशीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म उप मुख्यशीर्ष–00 – लघुशीर्ष–108 वाणिज्यिक फसलें माँग संख्या–45 – उपशीर्ष–0002–ईख की खेती विपत्र कोड–एन0 2401001080002	10,41,75,000
2	मुख्यशीर्ष 3451–सचिवालय आर्थिक सेवाएं उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–090 सचिवालय माँग संख्या–45 – उपशीर्ष–0002 गन्ना उद्योग विभाग विपत्र कोड–एन0 3451000900002	2,19,36,000
3	मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग– उप मुख्यशीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–201 चीनी– माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0002 चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट,1937 से संबंधित व्यय जिला । विपत्र कोड–एन0 2852082010002	1,60,18,000
4	मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग– उप मुख्यशीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–201 चीनी माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0001 चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट,1937 से संबंधित व्यय मुख्यालय विपत्र कोड–एन0 2852082010001	2,84,81,000
	योग :–	**17,06,10,000**
	योजना–	
6	(i) मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–108 वाणिज्यिक फसलें, माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0109 ईख विकास विपत्र कोड–पी0 2401001080109 राज्य योजना	24,90,00,000
	(ii) मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0108 ईख विकास विपत्र कोड–पी0 2401007890108 राज्य योजना	4,80,00,000
	(iii) मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–796 जनजातिय क्षेत्रीय उप योजना, माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0129 ईख विकास विपत्र कोड–पी0 2401007960129 राज्य योजना	30,00,000
7	(i) मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–201 चीनी– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 03 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–पी0 2852082010103 राज्य योजना	58,10,00,000
	(ii) मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 01 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–पी0 2852087890101 राज्य योजना	11,20,00,000
	(iii) मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–796 जनजातिय क्षेत्रीय उप योजना– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 01 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–पी0 2852087960101 राज्य योजना	70,00,000
	योग :–	**100,00,00,000**
	कुल योग :–	**1,17,06,10,000**

1.3.21

परिशिष्ट–2

बिहार सरकार

कृषि विभाग

का

बजट 2021-22

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह

माननीय कृषि मंत्री, बिहार

का

वक्तव्य

①

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं कृषि विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं के साथ–साथ स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 33,35,47,43,000 (तैंतीस अरब पैंतीस करोड़ सैंतालीस लाख तेंतालीस हजार) रू० का बजट मांग प्रस्तुत कर रहा हूँ।

ऋगवेद के एक श्लोक के माध्यम से मैं आपका ध्यान कृषि कार्य के महत्ता की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ,

आयुषे त्वा वर्चसे त्वा कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा।
कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा रय्यै त्वा पोषाय त्वा।

इसका मतलब है कि हे भूमि, हम सब जो कृषि कर रहे हैं, वह दीर्घ आयुष्य, तेज, क्षेम अर्थात् सुख, पुष्टि और धन प्राप्त करने के लिए है। कृषि के द्वारा प्राप्त अन्न से हमें सब प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो, यही कामना है।

अध्यक्ष महोदय,

कृषि का महत्व मनुष्य के जीवन में आदिकाल से है। कृषि के बिना न तो जीवन संभव है, न समाज का निर्माण हो सकता है और न ही सृष्टि की कल्पना की जा सकती है। राज्य की 76 प्रतिशत आबादी आजादी के 74 साल के बाद भी कृषि पर आश्रित है, यह परिलक्षित करता है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में भी कृषि की भूमिका अनंत काल से रही है तथा भविष्य में भी इसका महत्व रहेगा। प्राचीन काल से खेती को सर्वोत्तम कार्य माना गया है। इसीलिए कहा गया है– **उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान।** किन्तु कालान्तर में मानव जाति के विकास के लिए किये गये औद्योगिक एवं अन्य विकासात्मक कार्यो के प्रतिस्पर्द्धा में खेती पीछे पड़ गया है। अब समाज में कृषि एवं किसानों को एक बार फिर से पुर्नस्थापित करने की आवश्यकता है।

गांधी की हत्यारे - चन्द्रशेखर ने कहा....

(2)

अध्यक्ष महोदय,

यजुर्वेद में एक श्लोक है– नो राजा नि कृषिं तनोति। अर्थात् राजा का मुख्य कर्त्तव्य कृषि की उन्नति, जन–कल्याण, धन–धान्य की वृद्धि को माना गया है। वर्तमान काल में भी राजा के स्थान पर जनता द्वारा चुनी गयी सरकार का यह दायित्व है कि सरकार कृषि को विशेष रीति से बढ़ावे जो मनुष्य के आरोग्य के लिए लाभदायक हो तथा किसानों का उत्साह बना रहे। **इसी सिद्धांतो के अनुपालन के क्रम में कृषि एवं किसानों के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की संवेदना एवं प्रतिबद्धता का ही** नतीजा है कि इस वर्ष के केन्द्रीय बजट में कृषि के लिए ऐतिहासिक व्यवस्थाएं की गई है। **माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सात निश्चय पार्ट–2 में हर खेत को पानी की योजना प्रारंभ की है।** राज्य सरकार कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप लागू कर रही है। वर्ष 2008 से 2012 तक पहले कृषि रोड मैप, वर्ष 2012–2017 तक दूसरे कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन किया गया है। वर्ष 2017 से 2022 तक के लिए तीसरे कृषि रोड मैप को कार्यान्वित किया जा रहा है।

बिहार राज्य में कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन के फलस्वरूप 2005–06 से 2019–20 तक, विगत लगभग 15 सालों में, कृषि क्षेत्र में विकास को निम्न आकड़ों के आधार पर ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझा जा सकता है।

उत्पादन : (लाख मे० टन में)

फसल	2005–06	2019–20	प्रतिशत वृद्धि
चावल	37.08	69.53	87.51%
गेंहू	28.23	55.79	97.62%
मक्का	15.20	34.95	129.93%

उत्पादकता : (क्विं० प्रति हे० में)

फसल	2005–06	2019–20	प्रतिशत वृद्धि
चावल	11.41	22.45	96.75%
गेंहू	14.10	25.95	84.04%
मक्का	22.98	51.93	125.97%

3

इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि प्रमुख फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता लगभग दोगुना हो चुका है। राज्य सरकार किसानों की उन्नति के लिए सतत प्रयासरत है और इसके सुखद परिणाम भी अपने किसानों को दिलवाने में आशा से अधिक सफल रही है। कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा राज्य को धान, गेंहूँ एवं मक्का के उत्पादन एवं उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के लिए 05 कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है जो राज्य के किसानों के अथक परिश्रम से संभव हो सका है।

अध्यक्ष महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में कृषि विभाग के डी०बी०टी० पोर्टल के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खाता में सहायता राशि सीधे अंतरित (Transfer) किया जा रहा है। विगत दो वर्षों में डी०बी०टी० के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में भेजी गयी राशि का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ–

योजना का नाम	वर्ष 2018–21	
	लाभान्वित किसानों की संख्या	अंतरित राशि
कृषि इनपुट अनुदान	61.93 लाख	2741.47 करोड़
डीजल अनुदान	40.39 लाख	444.07 करोड़
इनपुट अनुदान ऑर्गेनिक सब्जी के लिए	20.16 हजार	10.45 करोड़
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	80.68 लाख	7503.79 करोड़
कुल		10699.78 करोड़

अध्यक्ष महोदय,

वर्ष 2020 चुनौतियों का वर्ष रहा है। कोविड महामारी के कारण सारे उद्योग, कामकाज ठप हो गया। दूसरे प्रदेशों में विभिन्न उद्योगों में काम कर रहे बिहार के कामगार बड़ी संख्या में अपने राज्य को लौटे। इस अप्रत्याशित बन्दी के बीच भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व एवं दृढ़ इच्छाशक्ति के फलस्वरूप

(4)

कृषि कार्य लगातार चलता रहा। किसानों के सामने कई चुनौतियाँ आयीं। केन्द्र तथा राज्य सरकार की नीतियों के फलस्वरूप लॉकडाउन के बीच भी कृषि से संबंधित सभी कार्य खुला रखा गया। खाद–बीज के दुकान खुले रहे। कृषि यंत्रों की आवाजाही बनाकर रखी गयी। खाद्यान्न को भंडारण के लिए गोदाम को खुला रखने का विशेष प्रयास किया गया। वैशाली के किसानों के लिए फूलगोभी के बीज को दूसरे प्रदेशों में भेजने की समस्या उत्पन्न हुयी। यह उल्लेखनीय है कि वैशाली जिला अगेती फूलगोभी के बीज के उत्पादन के लिए पूरे देश में जाना जाता है। कृषि विभाग के द्वारा डाकघर के सहयोग से वैशाली के किसानों के द्वारा उत्पादित फूलगोभी के बीज को देश के भिन्न–भिन्न कोने में भेजा गया। इसी तरह लॉकडाउन के बीच आम तथा लीची को किसानों से लेकर उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए होम डिलीवरी की नई प्रक्रिया का सफल नूतन प्रयोग किये गये। कोविड महामारी के बीच किसानों को प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ा। खरीफ मौसम में बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण 07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल प्रभावित हुआ। राज्य सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता के लिए कृषि इनपुट अनुदान में 945 करोड़ रू० स्वीकृत किये गये। इस योजना के तहत 13.72 लाख किसानों को 567.67 करोड़ रू० कृषि इनपुट अनुदान की राशि किसानों के बैंक खाते में अंतरित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय,

विगत वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों के सामने नयी चुनौतियाँ खड़ी हो रही हैं। धरती का तापमान बढ़ा है, अनियमित मॉनसून, अत्यधिक ठंढ़ा तथा अत्यधिक गर्मी की घटनाओं में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानव जीवन के साथ–साथ फसलों की खेती प्रभावित हो रहा है। ऐसे में किसानों को नयी तकनीक के माध्यम से प्रशिक्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में **मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरूआत 08 जिलों से शुरू की गयी।** प्रथम वर्ष में ही कार्यक्रम के उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुये। गेंहूँ के उत्पादन लागत में 5640 रू० प्रति हेक्टेयर तक की कमी आयी तथा किसानों का शुद्ध लाभ 21362 रू० तक बढ़ गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 से इस योजना को सभी 38 जिलों में लागू किया जा रहा है। जलवायु के अनुकूल कृषि

कार्यक्रम के तहत फसल चक्र में नये फसलों को शामिल किया जा रहा है। खेत तैयार करने की नयी विधियाँ अपनायी जा रही हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक जिला से पाँच गाँव को जलवायु अनुकूल कृषि गाँव के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र में 2.5 एकड़ क्षेत्र में जलवायु के अनुकूल कृषि पद्धति के प्रत्यक्षण लगाये गये हैं। जलवायु अनुकूल कृषि गाँव, कृषि विज्ञान केन्द्र, बोरलॉग संस्थान, पूसा के कृषि प्रक्षेत्र, कृषि विश्वविद्यालयों के कृषि प्रक्षेत्र में बड़ी संख्या में **किसानों का एक्सपोजर विजिट आयोजित किया जा रहा है।** वर्तमान रबी मौसम में विभिन्न कृषि तकनीक से संबंधित 21019 एकड़ में कुल 23710 प्रत्यक्षण लगाये गये हैं। इस योजना के तहत तीनों फसल मौसम में किसानों के खेत में प्रत्यक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। किसानों के खेत में जाकर कृषि वैज्ञानिक स्वयं नयी कृषि तकनीक का प्रत्यक्षण लगा रहे हैं। बोरलॉग इन्स्टीच्यूट फॉर साउथ एशिया, पूसा, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, पूर्वी क्षेत्र, पटना के वैज्ञानिकों के माध्यम से **जलवायु अनुकूल कृषि संबंधी विश्व स्तरीय कृषि तकनीक को स्थानीय स्तर पर लागू किया जा रहा है।**

अध्यक्ष महोदय,

यजुर्वेद में भी **पृथिवींयच्छ, पृथिवींदृंह, पृथिवींमा हिंसीः** का संदर्भ भूमि को उत्तम खाद आदि द्वारा दृढ एवं परिपुष्ट करने के क्रम में दिया गया है। खेती में रासायनिक उर्वरकों एवं रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से जहाँ खेतों के मिट्टी की उर्वरा शक्ति बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, वहीं इससे उत्पादित फसल उत्पादों को खाने से मानव स्वास्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है तथा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। फसलों पर रासायनिक उर्वरकों एवं रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग करने से हानिकारक रासायनिक उर्वरकों एवं रासायनिक कीटनाशकों का अधिकांश भाग पौधों के माध्यम से मनुष्य के भोजन में, 30 प्रतिशत भाग वातावरण में, कुछ भाग मिट्टी में और कुछ भाग पानी को दूषित करता है। इस प्रकार, रासायनिक उर्वरकों एवं रासायनिक कीटनाशक न केवल मानव शरीर परंतु पूरे पर्यावरण को प्रदूषित करता है।

इसलिए आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ मिट्टी एवं स्वस्थ वातावरण देने के लिए जैविक खेती को प्रोत्साहन देना सरकार की प्राथमिकता है। **जल–जीवन–हरियाली** अभियान के तहत राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के किनारे बसे जिलों में **जैविक कॉरिडोर** बनाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय,

इस **जैविक कॉरिडोर में** किसानों को फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी (F.P.C.) एवं सहकारी संस्थाओं के रूप में निबंधित किया जा रहा है। इस योजना के तहत 186 **किसान उत्पादक समूह के निर्माण** का लक्ष्य है, जिसमें से 175 समूह निबंधित किये जा चुके हैं। 119 किसान उत्पादक समूहों को जैविक खेती का प्रमाण पत्र सी.–1 सर्टिफिकेट भी निर्गत किया गया है। किसानों को जैविक खेती की बारीकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैविक खेती में उपयोग में लाये जाने वाले कृषि इनपुट की खरीद के लिए राज्य सरकार अग्रिम के रूप में 11500 रू० प्रति एकड़ की दर से आर्थिक सहायता दे रही है। जैविक प्रमाणीकरण की निःशुल्क व्यवस्था की गयी है। इसके लिए राज्य में बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी का गठन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य के कई जिलों में **फसल अवशेष को जलाने की समस्या** विकराल हो रही है। फसल अवशेष को जलाने के फलस्वरूप वातावरण प्रदूषित होता है वहीं दूसरी तरफ मिट्टी की उत्पादन क्षमता भी घट जाती है। राज्य सरकार किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए लगातार अभियान चला रही है। दूरदर्शन एवं रेडियो जिंगल के माध्यम से **प्रचार–प्रसार** का कार्य किया जा रहा है।

फसल अवशेष प्रबंधन के लिए **उपयोगी कृषि यंत्रों,** यथा– हैप्पी सीडर, स्ट्रॉबेलर, स्ट्रॉरिपर, रोटरी मल्चर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम पर किसानों को 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020–21 में किसानों को 240

(7)

रीपर कम–बाईंडर, 300 रीपर, 19 रोटरी मलचर, 50 स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, 169 स्ट्रॉ रीपर, 10 सुपर सीडर उपलब्ध कराये गये हैं। फसल अवशेष को खेतों में ही सड़ाने के उद्देश्य से देश के भिन्न–भिन्न भागों में विकसित डिकम्पोजर तकनीक का प्रत्यक्षण लगाया जा रहा है। हैप्पी सीडर, जीरो टिलेज के प्रत्यक्षण बड़े पैमाने पर लगाये जा रहे हैं ताकि खेत में ही फसल अवशेष को मिलाया जा सके। फसल अवशेष को पशुचारा के रूप में उपयोग, फसल अवशेष से विभिन्न उत्पाद बनाने के संदर्भ में नवोन्मेषी प्रयोग किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कृषि यंत्र के अनुदान भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता के उद्देश्य से 10000 से अधिक अनुदान की राशि वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान रहित दर पर किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि छोटे और सीमांत किसान भी कम पैसा लगाकर नये कृषि यंत्र का उपयोग कर सकें।

अध्यक्ष महोदय,

पानी के अनावश्यक उपयोग एवं हरियाली की कमी के कारण भू–जल स्तर धीरे–धीरे नीचे जा रहा है। कई जगह तो पीने के पानी की भी समस्या उत्पन्न हो जा रही है। हमारी सरकार फसलों की सिंचाई में कम–से–कम जल का उपयोग को बढ़ावा दे रही है। जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत कृषि विभाग द्वारा सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। ड्रीप तथा स्प्रींकलर सिंचाई पर किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 2020–21 में 2859 एकड़ में **ड्रीप सिंचाई** का अधिष्ठापन किया गया है।

जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत दक्षिण बिहार के जिलों में भूमि एवं जल संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। भूमि एवं जल संरक्षण के उद्देश्य से वर्ष 2020–21 में 928 तालाब, 124 पक्का चेक डैम, 570 साद अवरोधक बांध एवं 247 सिंचाई कूप का निर्माण किया गया है।

(8)

अध्यक्ष महोदय,

आधुनिक खेती में **नये प्रभेदों के बीज** की महती भूमिका है। जैसा **बीज** होगा वैसी ही फसल होगी। ऋग्वेद के अनुसार–

येन तोकाय तनयाय धान्यं बीजं वहध्वे अक्षितम।
कृते योनौ वपतेह बीजम्।।

अर्थात् उत्कृष्ट अन्न के लिए उत्तम कोटि का बीज बोना चाहिए। उत्तम खेती के लिए यजुर्वेद में औषधियों के जल एवं उनके मधुर रसों के साथ बीज बोने का वर्णन है जिससे बीजों में औषधियों की शक्ति और गुणवत्ता बढ़ जाती है। राज्य सरकार अत्याधुनिक फसल प्रभेदों के गुणवत्ता वाले बीज के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार के **बीज गुणन प्रक्षेत्रों** में खाद्यान्न फसलों एवं तेलहन का बीज उत्पादन कार्य किया जा रहा है। **बिहार राज्य बीज निगम के** माध्यम से गुणवत्ता वाले बीज का उत्पादन, भंडारण तथा किसानों के बीच सुनिश्चित रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। कोविड महामारी के बीच कृषि विभाग द्वारा **किसानों के घर तक बीज की होम डिलिवरी का विशेष पहल** किया गया है। इसके तहत खरीफ 2020 में 49246 किसान एवं रबी 2020–21 में 71098 किसानों को घर तक बीज पहुँचाया गया है। आधुनिक फसल प्रभेदों के बीज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रमाणित बीज के उपयोग पर अनुदान दे रही है। दलहनी फसलों के प्रमाणित बीज पर 50 रू० प्रति किलो तक अनुदान दिया जा रहा है। इसी तरह धान एवं गेंहूँ के बीज पर 20 रू० प्रति किलो तक अनुदान दिया जा रहा है। संकर धान प्रभेद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 100 रू० प्रति किलो तक अनुदान राशि किसानों को उपलब्ध करा रही है। आधुनिक फसल प्रभेदों के बीज को त्वरित गति से राज्य के सभी गाँवों में पहुँचाने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना** का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत सभी राजस्व गाँव के 05 किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर धान एवं गेंहूँ के आधुनिक प्रभेद के बीज उपलब्ध कराये गये हैं। इस योजना के तहत खरीफ मौसम में 12652.88 क्विंटल एवं रबी मौसम में 23807.68 क्विंटल

9

बीज किसानों को उपलब्ध कराया गया। एकीकृत बीज ग्राम योजना के अंतर्गत प्रखंड के चुने गये गाँव के सभी इच्छुक किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के तहत खरीफ मौसम में 811.29 क्विंटल एवं रबी मौसम में 3597.60 क्विंटल बीज किसानों को उपलब्ध कराया गया।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य सरकार **बागवानी** फसलों के विकास के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। राज्य के 23 जिलों में **राष्ट्रीय बागवानी मिशन** कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं तथा अन्य 15 जिलों में **मुख्यमंत्री बागवानी मिशन** कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से फल, सब्जी, मशाला, फूल के क्षेत्र विस्तार एवं मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्पादन पश्चात पोस्ट हार्वेस्ट मैंनेजमेंट के लिए किसानों एवं उद्यमियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जा रहा है। मखाना के क्षेत्र विस्तार के लिए मखाना विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। 22 जिलों के लिए 14 विशेष बागवानी फसल चिन्हित किये गये हैं तथा क्लस्टर के आधार पर बागवानी के विकास के लिए बिहार राज्य उद्यानिक उत्पाद विकास योजना शुरू की गयी है। इसके तहत किसानों को किसान उत्पादक समूह में संगठित किया गया है। किसान उत्पादन संगठन को आधारभूत संरचना के विकास के लिए 90 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। एकीकृत उद्यान विकास योजना के तहत अनार, शरीफा, निम्बू, बेर की बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत बगीचों में अन्तर्वर्ती फसल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सहजन के क्षेत्र विस्तार के लिए कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। शेडनेट में पान की खेती के लिए किसानों को 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। बगीचों के जिर्णोद्धार के लिए बाग उत्थान कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर एवं नालंदा जिला में घर के छत पर बागवानी फसल की खेती के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए **छत पर बागवानी कार्यक्रम** चलाया जा रहा है।

(10)

अध्यक्ष महोदय,

कृषि क्षेत्र मे निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक नयी शुरूआत की गयी है। **बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति** 2020 की स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा दी गयी है। इसके तहत राज्य में मखाना, फल एवं सब्जी, शहद, औषधीय एवं सुगंधित पौधे, मक्का, चाय एवं बीज से संबंधित प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए व्यक्तिगत निवेशकों को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत तथा किसान उत्पादक समूह को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में आधुनिक कृषि बाजार की स्थापना के उद्देश्य से कृषि विभाग के अधीन **बिहार एग्री वैल्यू चेन सिस्टम संभाग (बाभास)** का गठन किया गया है। इस संभाग के माध्यम से सरकारी बाजार प्रांगणों के आधारभूत संरचना को विकसित किया जा रहा है। साथ ही कृषि बाजार के क्षेत्र में नये–नये प्रयोगों को किसानों के हित में कार्यान्वित किया जा रहा है।

सरकारी बाजार प्रांगणों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने के लिए राज्य के 10 बाजार प्रांगणों को भारत सरकार की योजना **e-NAM** से जोड़ने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। **भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज** के तहत 10000 एफ.पी.ओ. प्रोमोशन योजना के अंतर्गत राज्य में प्रभावी रूप से कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए बिहार लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (Bihar Small Farmers Agri Business Consortium-BSFAC) को विशेष दायित्व दिया गया है। भारत सरकार से इस संघ को 10000 एफ.पी.ओ. प्रोमोशन स्कीम के तहत कार्यान्वयन एजेंसी नामित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है।

किसानों को **आधुनिक कृषि तकनीक में प्रशिक्षण** देने के लिए किसान चौपाल, किसान मेला, किसान पाठशाला एवं किसानों का परिभ्रमण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कोविड महामारी के बीच वर्ष 2020–21 में किसानों का **ऑनलाईन प्रशिक्षण** की नयी

(11)

शुरूआत की गयी है। ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 39708 कृषि प्रसार कर्मी एवं किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। कृषि के महत्वपूर्ण संस्थानों एवं तकनीकी प्रत्यक्षण स्थल पर 63776 किसानों का परिभ्रमण कराया गया। किसान पाठशाला के माध्यम से 19287 किसानों को कृषि तकनीक में प्रशिक्षित किया गया। किसान चौपाल के माध्यम से 8.79 लाख किसानों को कृषि तकनीक के साथ–साथ कृषि विभाग के योजनाओं की जानकारी दी गयी। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 2772 लाभुकों को प्रशिक्षण दिया गया।

अध्यक्ष महोदय,

कृषि क्षेत्र में **डिजीटल तकनीक** के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। डिजीटल तकनीक के उपयोग से 1.68 करोड़ से अधिक **किसानों का ऑनलाईन पंजीकरण** किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि राज्य के किसानों को आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजा जा रहा है। कृषि इनपुट अनुदान योजना तथा डीजल अनुदान योजना में किसानों को **अनुदान की राशि बैंक खाते** में भेजी जा रही है। कृषि यंत्रिकरण के लिए **ऑनलाईन फार्म मैकेनाइजेशन सॉफ्टवेयर** के माध्यम से किसानों से आवेदन लेने एवं अनुदान भुगतान की सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाईन किया गया है। **खाद, बीज एवं कीटनाशी के लाइसेंस की प्रक्रिया को ऑनलाईन** किया गया है। डिजीटल तकनीक के प्रयोग से किसानों के घर तक बीज की आपूर्ति की व्यवस्था की गयी है। **बिल एवं मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन के सहयोग से बिहान ऐप एवं डैशबोर्ड** शुरू किया गया है। बिहान ऐप को कृषि विभाग के लिए एकल विण्डो की तरह से विकसित किया जा रहा है, जिसमें कालान्तर में कृषि विभाग की सभी योजनायें एकल स्त्रोत से किसानों तक पारदर्शी तरीके से पहुँचाया जायेगा। राज्य में विभिन्न फसलों की खेती के पंचायत स्तरीय आंकड़े डिजीटल माध्यम से संग्रहित किये जायेंगे ताकि देश और देश के बाहर कहीं से भी कृषि उपज के खरीदार सीधे तौर पर उत्पादन स्थान पर पहुँच सकें और आसानी से कृषि उपज की बिक्री हो सके। इस प्रक्रिया से डिजीटल प्रमाण के आधार पर योजनाओं के निर्माण तथा गुणवत्ता से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा।

(13)

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में **कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा की व्यवस्था** को राज्य सरकार द्वारा सुदृढ़ किया जा रहा है। 2006 **के बाद राज्य में सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज** एवं **डुमरॉव में** नया कृषि महाविद्यालय, **नालंदा एवं मोतिहारी** में उद्यान महाविद्यालय, **किशनगंज** में मत्स्यकी महाविद्यालय तथा **किशनगंज** में पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया गया है। **सबौर में नया कृषि विश्वविद्यालय, पटना में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय** स्थापित किया गया है। राज्य के सभी जिलों के एक **माध्यमिक विद्यालय में आई.एस.सी.एजी. की शिक्षा शुरू की गयी है।** गरीब किन्तु मेधावी छात्रों को कृषि शिक्षा के प्रति उन्मुख करने के लिए राज्य सरकार स्नातक कृषि में नामांकित सभी छात्रों को स्टाइपेंड दे रही है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय की वर्ष 2010 में स्थापना के बाद इस विश्वविद्यालय के द्वारा कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की गयी है। विश्वविद्यालय के द्वारा धान, गेंहूँ, मक्का, तीसी, चना, फूलगोभी, बैंगन, लहसून, आम, लीची, बेल तथा मखाना के नये प्रभेदों का विकास किया गया है, जो न सिर्फ राज्य की कृषि जलवायु के अनुकूल है बल्कि उच्च उत्पादन देने में भी सक्षम हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सुपर ऑबजरमेंट पॉलिमर तथा नैनो टेक्नालॉजी पर आधारित तीन तकनीकी का पेटेंट आवेदन किया गया है। विश्वविद्यालय के प्रयास से जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान तथा कतरनी चावल का भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री किया गया है, जो बिहार के कृषि धरोहर को संरक्षित करने का अनुपम उपाय है। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा खाद्य श्रृंखला में आर्सेनिक के प्रदूषण को कम करने के लिए बैक्टीरिया की एक नयी प्रजाति की पहचान की गयी है, जिसके मिट्टी में उपयोग से खाद्य पदार्थ में आर्सेनिक के प्रदूषण की संभावना काफी कम हो जायेगी। विश्वविद्यालय के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना के तहत किसानों को मौसम पर आधारित सामयिक कृषि कार्य की सूचना किसानों को मोबाईल मैसेज के माध्यम से दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय के द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन चलाये जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आधुनिक कृषि तकनीक की जानकारी किसानों तक पहुँचायी जा रही है। विश्वविद्यालय के **किसान ज्ञान रथ** गाँव में घूम कर कृषि तकनीक का प्रचार प्रसार कर रहे हैं।

(14)

अध्यक्ष महोदय,

वर्ष 2021-22 में कृषि रोड मैप के अधीन

- कृषि विभाग में जितने भी स्वीकृत पद के विरूद्ध रिक्तियां हैं उसपर नियमित नियुक्ति हेतु प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी गयी हैं।
- कृषि विभाग के जितने भी नर्सरी हैं, जो या तो अतिक्रमित है या अक्रियाशील है उसे आधुनिक तरीके से विकसित करने हेतु योजना तैयार की जा रही है।
- बीज उत्पादन के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कृषि विभाग के जितने भी प्रक्षेत्र है, उसके अतिरिक्त किसानों के जमीन पर बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन के लिए नई बीज नीति तैयार की जायेगी ताकि बीज में आत्मनिर्भरता के साथ–साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हो।
- बीज योजना, जैविक खेती, बागवानी विकास, कृषि यांत्रिकरण, कृषि तकनीक के प्रचार–प्रसार, मिट्टी जाँच तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा कार्यक्रमों पर बल दिया जायेगा।
- जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम को प्राथमिकता के कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा तथा इसे एक स्थायी योजना का स्वरूप दिया जायेगा।
- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए नये कृषि महाविद्यालय स्थापित किये जायेंगे तथा विश्वविद्यालय से नीचे के स्तर पर विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था में कृषि के प्रति अभिरूचि बढ़ायी जायेगी।
- कृषि क्षेत्र में युवाओं को आत्म निर्भर एवं इन्टरप्रेन्योर बनाने के लिए नये सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किये जायेंगे।
- आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत फार्मर प्रोड्यूसर कम्पनी के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम चलाये जायेंगे।
- बिहार एग्री वैल्यू चेन सिस्टम तथा बिहार लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को सुदृढ़ किया जायेगा।
- 7 निश्चय पार्ट–2 के तहत हर खेत को सिंचाई का पानी पहुँचाने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम चलाये जायेंगे।
- औषधीय पौधों की खेती पर विशेष बल दिया जायेगा।
- आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत खेत के स्तर पर आधारभूत संरचना के विकास के लिए कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

(15)

अन्त में महोदय मै यह कहना चाहूंगा कि आजादी के 70 सालो के बाद केन्द्र में एक ऐसी सरकार आयी है जिसने पहली बार सच्चे मन एवं साफ नीयत से देश के अन्नदाता किसानों के हित में पूरी पारदर्शिता के साथ ऐतिहासिक कार्य किये है। 2005 के बाद जिस स्थिति में हमें बिहार मिला था उसे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में अविश्वसनीय सफलताएं हमने प्राप्त की है। हम यह दावा कर सकते है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा वर्ष 2006 में कृषि उपज बाजार अधिनियम के निरसन के बाद कृषि क्षेत्र में बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है तथा उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा कृषि के क्षेत्र में सुधार हेतु लाए गए तीन ऐतिहासिक कृषि कानून को यहां के किसानों द्वारा सह्रदय स्वागत किया गया है तथा यह मेरा विश्वास है कि नये कृषि कानूनों के लागू होने के बाद बिहार के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव होगा। खेती एवं खेतिहरों के प्रतिष्ठा पुनः प्रतिष्ठापित होगी ऐसा मैं सदन को आश्वासन देता हूँ।

अध्यक्ष महोदय,

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यगण से अनुरोध करता हूँ कि कृषि विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 33,35,47,43,000 (तेतीस अरब पैतीस करोड़ सैतालीस लाख तेतालीस हजार) रू० का बजट मांग पारित किया जाय।

।। जय हिन्द ।।